लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २६, १९५९/१८८० (शक)

[२३ फरवरी से ५ मार्च १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
8-5-82
Fumigated
On 15-7-83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ११ से २०—२३ फरवरी से ५ मार्च, १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)

अंक ११—सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२०, ५४७, ५२१ से ५२६, ५२८, ५२९, ५३१, ५३२, ५३४, ५३५ और ५३७	११९७—१२२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१२२२—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४६, ५४८ से ५६८	१२२४—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ६९१ और ६९३ से ७३४	१२३७—७२
श्री बेदलपतला गंगाराजू का निधन—	१२७२
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना	१२७२—७४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२७४—७५
राष्ट्रपति से सन्देश	१२७५
राज्य-सभा से सन्देश	१२७५
चल-चित्र (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१२७५
प्राक्कलन समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	१२७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि	१२७६
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	१२७७
१. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक	१२७७
२. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक	१२७७
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	१२७७—८४
खण्ड २ से २० तथा १	१२७७—८१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१२८१—८४

पृष्ठ

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . . १२८४—१३११

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . १३१२—१८

दैनिक संक्षेपिका . . . . १३१९—२५

अंक १२—मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७५, ५७७, ५८१, ५८३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९ और ५९३ . . . . १३२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८ से ५८०, ५८२, ५८४, ५८७, ५९० से ५९२ और ५९४ से ६२१ . . . . १३५२—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७९७ और ७९९ से ८४१ . . १३६७—१४१९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४१९

विनियोग विधेयक—पुर:स्थापित . . . १४२०

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . . . . १४२०—२६

भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक . . . १४२७—४०

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १४२७—३९

खण्ड २ से ५ और १ . . . . . . १४३९—४०

पारित करने का प्रस्ताव १४४०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक— . . . . . १४४०—५९

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . १४४०—५७

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . . १४५७—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १४६०—६६

पृष्ठ

अंक १३—बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३० और ६३२ से ६३४ १४६७—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १४९१—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ और ६३५ से ६६२ . . १४९३—१५०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ९३४ १५०६—४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५४४-४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . १५४५

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि . १५४६

विनियोग विधेयक—

पारित १५४६-४७

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . १५४७—८३

दैनिक संक्षेपिका . १५८४—९०

अंक १४—गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६७०, ६७२ और ६७४ से ६७८ . १५९१—१६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७३ और ६७९ से ७२१ . १६१२—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४८ और ९५० से १०३१ १६३७—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १६७८-७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संस्था को कास्टिक सोडा देने से कथित इन्कार १६८०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा १६८१—१७२२

दैनिक संक्षेपिका . १७२३—२९

पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९/८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२५, ७२७, ७२९ से ७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४७ और ७५१ . . . १७३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८, ७३५, ७३६, ७३९, ७४१, ७४२, ७४५, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५४ से ७६२ . . १७५६—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ से १११०, १११२ और १११३ . १७६४—१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . १८०२—०३

विधेयक पर राय . . १८०३

राज्य-सभा से सन्देश . . . १८०३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १८०३

प्राक्कलन समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८०३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति —

बारहवां प्रतिवेदन . . . १८०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गंडक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . १८०४

सभा का कार्य . . . . १८०४—०५

रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा . . . . १८०५—२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८२३

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . १८२३—४१

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प . १८४१—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . १८४३—४९

अंक १६—शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक)

सामान्य आय व्ययक, १९५९–६० का उपस्थापन . . १८५१—७३

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १८७३

दैनिक संक्षेपिका . . १८७४

पृष्ठ

अंक १७—सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ७६७, ७६९, ७७१ से ७७३, ७७५ और ७७६ . . . १८७५—९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . १८९६–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७७ से ७९२, ७९४ से ७९६ और ७९८ से ८२० . . . . १८९७—१९१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १११४ से ११९१ १९१४—४५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १९४५—४७

अनुपस्थिति की अनुमति १९४७–४८

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बारे में प्रक्रिया . . १९४८

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १९४९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १९९३—९८

अंक १८—मंगलवार, ३ मार्च, १९५९/१२ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८२३, ८२५ से ८२८, ८३०, ८३१, ८३३, ८३५, ८३७ और ८४० से ८४३ . . १९९९—२०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४, ८२९, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८३९, ८४४ से ८४७, ८४९ से ८६१ और ८६३ से ८७१ . . २०२५—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से १२०१, १२०३ से १२५० और १२५२ २०४१—६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता . . . २०६८—६९

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . २०६९—७०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २०७०—९०

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५९-६० . . . . २०९०—२१२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २१२७—३१

अंक १६—बुधवार, ४ मार्च, १९५९/१३ फाल्गुन, १८८० (शक)	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७३, ८७६, ८८०, ८८४, ८८६, ८८७, ८९१, ८९३, ९२१, ८९४, ८९५, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०८ और ९१० .	२१३३—५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ से ८	२१५५—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७२, ८७४, ८७५, ८७७ से ८७९, ८८१ से ८८३, ८८५, ८८८ से ८९०, ८९२, ८९६ से ९००, ९०५, ९०७, ९०९, ९११ से ९२० और ९२२ से ९२४ .	२१६१—७४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १३७३, १३७५ से १३८७ .	२१७४—२२२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ दिनांक १७ १२-५८ के उत्तर में शुद्धि	२२३०
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२२३०
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	२२३१
राज्य-सभा से संदेश	२२३१
प्राक्कलन समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन	२२३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन .	२२३१
भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—	
पुरःस्थापित	२२३२
अनुदानों की मांगें—रेलवे १९५९-६०	२२३२—७२
दैनिक संक्षेपिका .	२२७३—८०
अंक २०—गुरुवार, ५ मार्च, १९५९/१४ फाल्गुन, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ से ९२९, ९३२ से ९३५, ९३७ से ९३९ और ९४२	२२८१—२३०२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९	२३०२-०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३६, ९४०, ९४१, ९४३ से ९५७ और ९५९ से ९६३	२३०३—१२
अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ से १४८१	२३१२—५०
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	
डॉक लेबर बोर्ड कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली	२३५१-५२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २३५२

राज्य-सभा से संदेश २३५३

रेलवे आय-व्ययक अनुदानों की मांगें, १९५९–६० . . . २३५३—२४१३

स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के सम्बन्ध में प्रस्ताव . २४१४—२८

कार्य मंत्रणा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन २४१७

दैनिक संक्षेपिका २४२९–३५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———

388 (Ai) L.S.D.—12.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २३ फरवरी, १९५९

४ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियां

†*५१९. { श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि पुनर्वास मंत्रालय के अधीन जो पुनर्वास बस्तियां थीं, उन सभी बस्तियों और उनमें दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं के लिए मंजूर किये गये अनुदानों को दिल्ली नगर निगम के हवाले कर दिया जाये;

(ख) क्या निगम ने इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन प्रस्तुत किया है कि उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) वे बस्तियां कब तक निगम के हवाले कर दी जायेंगी ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शें० नास्कर)**: (क) जी हां। केवल उन्हीं बस्तियों में दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं सम्बन्धी सेवायें दिल्ली नगर निगम के हवाले करने का विचार है, जो कि निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्यों ही पारस्परिक समझौते से दिल्ली नगर निगम को दी जाने वाली राशि का फैसला हो जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण** : दिल्ली नगर निगम द्वारा कुल कितनी राशि मांगी गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

354 (Ai) LSD—1.

†श्री पू० शे० नास्कर : दिल्ली नगर निगम ने २३ लाख रुपयों का प्राक्कलन भेजा था, परन्तु बाद में निगम के इंजीनियरों और हमारे प्रविधिक मंत्रणादाताओं ने ब्योरे पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया है कि निगम को केवल १९ लाख रुपयों की राशि दी जाये। उन्होंने कुछ एक ऐसे मदों को निकाल दिया है जिनके सम्बन्ध में स्थानीय निकायों को पहले ही राशि दी जा चुकी है।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि दिल्ली की शरणार्थी बस्तियों के लिये जो ८० लाख रुपयों की राशि मंजूर की गयी थी, उसमें से अभी तक केवल ३० लाख रुपये ही खर्च किये गये हैं; और यदि हां, तो शेष राशि कैसे खर्च की जायेगी, क्या वह निगम के द्वारा खर्च की जायेगी या कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : दिल्ली की बस्तियों पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर चुके हैं।

†श्री वाजपेयी : मैं नागरिक सुविधाओं की ओर संकेत कर रहा हूं।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : नागरिक सुविधायें विकास का भाग ही हैं। उन बस्तियों के निर्माण और विकास पर हम २५ करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।

†श्री वाजपेयी : मेरा प्रश्न बस्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो स्पष्टतया ८० लाख रुपयों की उस राशि के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं जिसमें कुछ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। वे यह पूछना चाहते हैं कि शेष राशि का क्या होगा। क्या ८० लाख रुपयों की कोई अलग राशि निर्धारित की गयी थी ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जी, नहीं। किसी भी बस्ती के विकास में तीन तत्त्व निहित होते हैं। पहला भूमि प्राप्त करना, दूसरा नागरिक सुविधायें तथा विकास, और तीसरा है मकान खड़े करना। उन बस्तियों का निर्माण ८ या ९ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था और कई वर्षों तक चलता रहा। वह विशेष बात जो आज हमारे सामने है, वह यह है कि कई बस्तियां अभी भी हमारे क्षेत्राधिकार में हैं। हमने उन बस्तियों को पहले दिल्ली नगर पालिका के हवाले कर देने का प्रयत्न किया था और फिर नगर निगम के हवाले करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ मास पूर्व प्राक्कलन १५ लाख रुपयों का था। उसके उपरान्त वह अकस्मात बढ़ा कर ३३ लाख रुपये कर दिया गया। उस सम्बन्ध में जब दिल्ली की मेयर और कमिश्नर मुझ से मिलने के लिये आये तो उन्होंने ३३ लाख रुपयों की इतनी बड़ी राशि पर आश्चर्य प्रकट किया और यह कहा कि उन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि ये आंकड़े मंत्रालय के पास कैसे भेज दिये गये। इसलिये हमने सम्पूर्ण स्थिति पर फिर से विचार किया जिससे राशि घट कर २३ लाख रुपये हो गयी और अब १९ लाख रुपयों का फैसला किया गया है। इस मामले पर कुछ सप्ताह पूर्व ही विचार किया गया था और हम अभी भी इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि इस राशि में और कितनी गुंजायश की जा सकती है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : उन शरणार्थी बस्तियों को निगम के हवाले कर देने पर भी क्या वहां पर उसी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी, जैसी कि इस समय सरकार द्वारा दी जा रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इन बस्तियों का निर्माण कर के इनका एक विशेष स्तर तक विकास कर दिया गया है । यह स्तर समुचित स्तर है । परन्तु कुछ बस्तियों में हम विकास परियोजनाएं पूरी नहीं कर सके हैं और उसी सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ५२०. ।

†**श्री वे० प० नायर** : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या ५४७ को भी साथ ही ले लिया जाये क्योंकि दोनों के विषय एक समान ही हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, दोनों को साथ ही साथ ले लिया जाये ।

औषधियों का निर्माण

+

†*५२०. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स मर्क शार्प दोमे (इण्डिया) लिमिटेड[1] द्वारा किस-किस प्रकार की औषधियां तैयार की जायेंगी;

(ख) क्या प्रस्थापित परियोजना के सम्बन्ध में निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ग) औषधियों और भेषजों का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग).

विवरण

मेसर्स मर्क शार्प दोमे (इण्डिया) लिमिटेड को एक कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेन्स दिया गया है जिसमें प्रतिवर्ष १२० किलोग्राम कोटिसोन[2] तथा अन्य हार्मोन[3], ४ किलोग्राम विटामिन बी० १२, ३.५ टन थैलाइल सल्फाथायजोल[4], ३.५ टन सक्कीनाइल सल्फाथायाजोल[5]; ३ टन क्लोरोथायाजाइड[6] तथा कुछ फार्मुलेशन्स[7] का निर्माण किया जा सकेगा ।

उनका विचार है कि वे कारखानों का इसी वर्ष बम्बई में अस्थायी रूप से एक इमारत में फिलहाल स्थापित करेंगे और बाद में उसे बम्बई और पूना के बीच किसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Merck Sharp Dohme (India) Ltd.

[2] Cortisone.

[3] Hormones.

[4] Phthalyl Sulphathiazole.

[5] Succinyl Sulphathiazole.

[6] Chlorothiazide.

[7] Formulations.

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

+

†*५४७. श्री वाजपेयी :
श्री परुलकर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वें० प० नायर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ७ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड और मेसर्स मर्क एण्ड कम्पनी, अमरीका के बीच हुए करार में एक यह खण्ड है कि ब्यौरे को गुप्त रखा जायेगा और फैक्टरी में नियुक्त किये गये वैज्ञानिक कर्मचारियों की जांच पड़ताल की जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि २४ जनवरी, १९५९ को भारत की वैज्ञानिक कर्मचारी सन्था की सामान्य परिषद् की दिल्ली में जो वार्षिक बैठक हुई थी, उसमें उक्त करार के प्रति असन्तोष प्रकट किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वास्तविक उत्पादन होने से पहले ही इस करार का हमारे देश पर असर पड़ना प्रारम्भ हो गया है, उसके परिणामस्वरूप देश में स्ट्रेप्टोमाइसीन के भाव गिर गये हैं और उससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा में बचत हो रही है । करार लागू होने से पहले स्ट्रेप्टोमाइसीन का आयात किया जाता था और उसकी कीमत औसतन ४०० रुपये प्रति किलोग्राम थी । परन्तु अब करार पर हस्ताक्षर होते ही प्रथम अनुज्ञप्ति अवधि में अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, १९५८ में ही हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा २५० रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम कीमत पर १६,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन का आयात किया गया था । इससे देश को लगभग २५ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है । चालू अनुज्ञप्ति अवधि में अर्थात् अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ की अवधि में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा लगभग १६० रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से ३०,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन का आयात किया जा रहा है । उससे देश को लगभग ७२ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत होगी । इस प्रकार से केवल एक ही वर्ष में देश को लगभग ९७ लाख रुपयों की बचत होगी ।

†श्री वें० प० नायर : क्या इस करार के खण्ड १२ (क) से सहमत होने से पहले कम्पनी ने सरकार से अनुमति ले ली थी ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच नहीं है कि इस खण्ड के अधीन हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड भारत सरकार को भी कोई जानकारी न दे सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं ।

†श्री महन्ती : यह फैक्टरी सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं चलायी गयी है ? उसकी प्राधिकृत पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी कितनी होगी और इसके नियन्त्रक अंश किसे प्राप्त होंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में प्रश्न के दो भाग हैं और दोनों को यहां इकट्ठा कर दिया गया है। प्रश्न संख्या ५२० का सम्बन्ध मेसर्स मर्क शार्प दोमे नामक एक गैर-सरकारी कम्पनी से है। वह करार कुछ एक निश्चित वस्तुओं के उत्पादन के बारे में है। प्रश्न संख्या ५४७ का सम्बन्ध एक अन्य कम्पनी से है जो कि हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है ।

†श्री महन्ती : मेरे अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध प्रश्न संख्या ५२० से है। मेरा प्रश्न यह है कि औषधि निर्माण का कार्य सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ किया गया है, फिर यह काम एक विदेशी सार्थ को क्यों सौंपा गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके अधिकांश अंश किसके पास होंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक अंशों का सम्बन्ध है, उसके ६० प्रतिशत तो विदेशी सार्थ के पास होंगे और ४० प्रतिशत अंश भारतीय अंशधारियों, अर्थात्, टाटा के पास होंगे। जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, देश में पहले ही ६५ से अधिक भेषज तथा औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियां हैं, और फिर यह जरूरी भी नहीं हैं कि प्रत्येक औषधि का निर्माण सरकारी क्षेत्र में ही किया जाये। फिर भी हम रूस तथा जर्मन की सहायता से सरकारी क्षेत्र में कई परियोजनाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाहियां कर रहे हैं ।

†श्री दामानी : क्या यह सच नहीं है कि आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण देश में जीवन-रक्षक औषधियों की बहुत ज्यादा कमी है, यदि हां, तो सरकार ने उन्हें देश में ही तैयार करने के लिये अथवा इसके लिये खुले दिल से लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

†श्री मनुभाई शाह: प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति के समय देश में प्रतिवर्ष केवल ३२ करोड़ रुपयों की कीमत की औषधियां तैयार की जा रही थीं, जिनके लिये आधी से अधिक मूल सामग्री बाहिर से आयात की जाती थी। परन्तु उसके बाद के तीन वर्षों तक अर्थात् इस वर्ष तक देश में ६२ करोड़ रुपयों की मूल तथा भेषजीय औषधियां तैयार की गयी हैं जिनमें से केवल ११ करोड़ रुपयों की कीमत की मूल सामग्री आयात की गयी है, अर्थात् २० प्रतिशत से भी कम सामग्री मंगवानी पड़ी है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में जो विभिन्न कार्यवाहियां कर रहे हैं, उनसे देश आत्मनिर्भर हो जायेगा और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष तक हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा ।

†श्री स० चं० सामन्त : इसमें कौन-कौन से भारतीय भाग ले रहे हैं और ४० प्रतिशत अंशों के रूप में हमें कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : इस परियोजना पर लगभग २ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा और ४० प्रतिशत के रूप में ८० लाख रुपयों के अंश हमें खरीदने होंगे। टाटा-वोल्टाज़ उन हिस्सेदारों में से एक हिस्सेदार होंगे ।

†श्री वें० प० नायर : माननीय मन्त्री ने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है, जबकि करार की प्रति में इस प्रकार का एक उपबन्ध है जिसमें यह लिखा हुआ

†मूल अंग्रेजी में

है कि "पूर्वानुमति के बिना किसी भी अन्य व्यक्ति, एजेन्सी अथवा फर्म को इस बारे में जानकारी नहीं देंगे। "किसी भी अन्य व्यक्ति" के अन्दर तो सरकार भी आ जाती है।

†**अध्यक्ष महोदयः** माननीय मन्त्री ने अभी-अभी यह स्पष्ट किया है कि "किसी भी अन्य व्यक्ति" के अन्तर्गत सरकार सम्मिलित नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर** : यह करार सरकार और कम्पनी के बीच नहीं हुआ है। यह तो हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स और मर्क के बीच किया गया करार है, अतः "किसी भी अन्य व्यक्ति" के अन्तर्गत दोनों सम्बन्धित पार्टियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है।

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि आप करार को अच्छी प्रकार से पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें यह लिखा हुआ है कि "परन्तु भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन" भारत सरकार ने इस पर अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद ही इस करार को स्वीकार किया है। सरकार ही यहां स्वामी है। करार में भी मर्क को सम्पूर्ण विश्व में स्थापित किसी भी मर्क सार्थ में ५२ प्रतिशत का स्वामी माना गया है और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का स्वामी भारत सरकार को माना गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

†**श्री परुलकर** : क्या यह सच है कि यह करार भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संघ के इस समझौते का उल्लंघन करता है कि यह फैक्टरी सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेगी और यह एक ऐसा खुला केन्द्र होगा जहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाया करेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं। वास्तव में हम विश्व स्वास्थ्य संघ और संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सबसे पहली बार हमें ऐसी प्रक्रिया दी है जिसका हम अपनी इच्छानुसार हर समय और हर एक स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। परन्तु सभा को यह जानकार खुशी होगी कि जहां तक इस करार का सम्बन्ध है, इससे विश्व स्वास्थ्य संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि बड़े प्रसन्न हुए हैं।

†**श्री तंगामणि** : आर्डरों पर कितनी विदेशी मुद्रा अदा की जायेगी ? क्या इस करार के बाद हम किन्हीं विशेषज्ञों के जैसे कि श्री गणपति आदि को काम में लगाये रखेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक श्री गणपति का सम्बन्ध है, हमें इस प्रकार के व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहिये। वे बम्बई सरकार के एक पदाधिकारी थे और उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्त हो जाने पर उन्हें केवल वापस भेजा जा रहा है हमने उनकी पदावधि को और अधिक बढ़ाया नहीं है। परन्तु इस बात का करार से या इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अदा करनी पड़ेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, उसकी व्यवस्था भारत सरकार को मिलने वाले अमरीकन ऋण में से कर ली गयी है और यह राशि लगभग ९५ लाख रुपये है।

†**श्री तंगामणि** : प्रति वर्ष ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह राशि तो केवल एक ही बार सामान और मशीनरी खरीदने के लिये अदा करनी पड़ेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह करार उस समय किया गया था जिस समय उसी प्रकार के कारखाने की स्थापना के लिये रूसी दल भारत में सरकार से बातचीत कर रहा था और क्या उनकी शर्तें अधिक अनुकूल नहीं थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक इसका सम्बन्ध है, हम विभिन्न प्रविधिक परियोजनाओं के लिये विश्व के सभी देशों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। वास्तव में उत्पादन मंत्रालय मार्कस[1], फीज़र्स[2], स्किब्ज़[3] तथा अन्य विदेशी सार्थों से बहुत पहले से ही इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहा था। रूसी सार्थों से भी बातचीत की गयी थी। रूसी सार्थों से हमारी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और उस सम्बन्ध में फैसला करने के लिये डा० नगराज और श्री थई वहां गये हैं और हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही फैसला हो जायेगा।

धातु मिश्रण पदार्थ

+ ६

†*५२१. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में निकल, कोबाल्ट, टंगस्टेन और केडमियम आदि धातुमिश्रण पदार्थों की वाणिज्यिक उपलब्धता ; और

(ख) देश में उनके नियमित विकास के लिये की गई कार्यवाही ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) देश में इस समय इन धातुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ख) देश में इन धातुओं के नियमित रूप से विकास करने के प्रश्न पर तो देश में इनके ज़खीरों के मिल जाने के बाद ही विचार किया जा सकेगा। जहां तक केडमियम का सम्बन्ध है, जो कि देश में उपलब्ध है, राजस्थान में ज़वार नामक स्थान पर 'जिंक स्मेल्टर' स्थापित किया जा रहा है और उससे प्रतिवर्ष ५० से ६० टन केडमियम का उत्पादन किया जा सकेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त :** जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, क्या यह सच नहीं है कि तंगस्टेन कारबाइड के निर्माण के लिये अपेक्षित मुख्य कच्ची सामग्री हमारे अपने देश में अयस्क के रूप में विद्यमान है ? इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सच है कि यह सामान देश में उपलब्ध है। परन्तु तंगस्टेन की मांग और उसकी खपत इतनी कम है कि देश में उसके लिये कारखाना स्थापित करना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

1 Mercks
2 Pfeizers
3 Squibbes

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि एक बम्बई की और दूसरी कलकत्ता की फैक्टरी टंग्स्टेन कारबाइड का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? उन्हें कच्चा सामान कहां से संभरित किया जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : उन फैक्टरियों में तो कच्चो ग्रिल्स तथा अन्य वस्तुएं बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और उसके लिये विदेशों से टंग्सटेन कारबाइड के रूप में कच्चा सामान मंगवाया जा रहा है।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि इन धातुओं के घटिया किस्म के ज़खीरे देश में उपलब्ध हैं और उनमें इस्पात का मिश्रण करके मिश्रित धातु बनाने के लिये उनका उपयोग किया जा सकता है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में सहायता देने के लिये तैयार है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक अलौह धातुओं के बारे में मूल नीति का सम्बन्ध है, जहां भी कोई पार्टी घटिया किस्म के अयस्क को बढ़िया बनाने के सम्बन्ध में कोई सहायता चाहती है, हम उसके लिये सभी प्रकार की आवश्यक सहायता--ऋणों, प्रविधिक मंत्रणा और पथ प्रदर्शन के रूप में--देते हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस विवरण में राजस्थान में एक स्मेल्टिंग प्लांट के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि वह कारखाना अभी तक क्यों नहीं लगाया गया है, उसकी स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हो चुकी है और उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ।

†श्री मनुभाई शाह : उसकी स्थापना में कोई देर तो लगी नहीं है । जैसा कि सभा को ज्ञात है, कि जस्ते के अयस्क का खनन बड़ा कठिन काम है, परन्तु फिर भी सार्थ में प्रति दिन ५०० टन से अधिक जस्ते का निकालना शुरू कर दिया है । आशा है कि आगामी दो तीन वर्षों में स्मेल्टिंग प्लांट का काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : देश में निकल, कोबाल्ट, और टंग्स्टेन के निक्षेपों से धातु निकालने के काम को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन खनिजों की इतनी कम मात्रा में मांग होती है कि न तो उनका प्रासेसिंग (विद्यायन) मितव्ययी है और न ही उनका निर्माण करना। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में कोई अपनी प्रस्थापना प्रस्तुत करेगा और यदि वह प्रस्थापना लाभकारी हुई तो हम उसकी अवश्य सहायता करेंगे ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है ?

†श्री मनुभाई शाह : कई बार ।

†श्री बोस : भाग क में जिन मिश्रित धातुओं का उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ धातुओं की देश में स्थापित किये जाने वाले स्टेनलैस स्टील के कारखाने में आवश्यकता होगी । इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : स्टेनलैस स्टील की तो बात ही और है; उसमें इन धातुओं की जरूरत नहीं होगी । केवल एक विशेष प्रकार के स्टेनलैस स्टील के लिये कुछ एक अयस्कों की जरूरत होगी।

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु जैसा कि सभा को ज्ञात है, हम दो परियोजनायें चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं—एक स्टेनलैस स्टील के लिये और दूसरी मिश्रित इस्पात के लिये ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि अलौह धातुओं के लिये सरकार सभी प्रकार की सहायता देगी जिसमें वित्तीय सहायता और प्रविधिक ज्ञान सम्बन्धी सहायता भी सम्मिलित है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब सरकार इस प्रकार की सम्पूर्ण सहायता दे सकती है तो वह स्वयं ही सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के एक दो कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर क्यों नहीं विचार करती ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में बात यह है कि उसकी मांग बहुत कम है और देश में उसके अयस्क भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है । अतः ऐसी स्थिति में जब कि हम तांबे, अल्यूमिनियम, जस्ता और सीसा तथा अन्य कई वस्तुओं के निर्माण की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम अलौह धातुओं जैसी छोटी वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं दे सकते ।

दिल्ली की प्रविधिक संस्थाओं में हड़ताल

+

†*५२२. **श्री राधा रमण** :
श्री राम कृष्ण :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री ई० मधुसूदन राव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५८ में दिल्ली की प्रविधिक संस्थाओं में जो हड़ताल हुई थी, उसमें कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था ;

(ख) क्या उसका दिल्ली से बाहिर के केन्द्रों पर भी असर पड़ा था ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(घ) हड़ताल का क्या कारण था ; और

(ङ) वह हड़ताल कब तक जारी रही और उसके क्या परिणाम निकले ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १६४१ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हड़ताल का उत्तर प्रदेश में बरेली, आगरा और रामपुर की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और पंजाब में रोहतक की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पर असर पड़ा था ।

(घ) प्रशिक्षणार्थियों ने यह हड़ताल उस गलत धारणा के कारण की थी कि उन्हे पुराने डिप्लोमों के स्थान पर नये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिये जायेंगे ।

(ङ) २२ से ३० दिसम्बर, १९५८ तक। प्रशिक्षणार्थियों को अपनी गलती महसूस हुई और उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण :** क्या इस सम्बन्ध में इन प्रशिक्षणार्थियों का कोई प्रतिनिधिमंडल हाल ही में प्रधान मंत्री से मिला था ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** हाल ही में तो नहीं, हां, मेरा ख्याल है कि हड़ताल के समय या उसके फौरन बाद उनमें से कुछ प्रशिक्षणार्थी प्रधान मंत्री से मिले थे ।

†**श्री राधा रमण :** क्या यह विवाद समाप्त हो गया है या अभी भी प्रशिक्षणार्थियों और सरकार के बीच कोई झगड़ा चल रहा है ?

†**श्री नन्दा :** अब कोई हड़ताल नहीं है । परन्तु अनुशासनहीनता का प्रश्न निश्चय ही विचाराधीन है और उन विद्यार्थियों से यह बताने के लिये कहा गया है कि उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही क्यों न की जाये ।

†**श्री बोस :** क्या इस संस्था में प्राप्त प्रशिक्षण का स्तर अन्य संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण के स्तर के समान नहीं है ?

†**श्री आबिद अली :** प्रशिक्षण का स्तर वैसा ही है । मैं पहले बतला ही चुका हूं कि उनको डिप्लोमा न देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था । उनको डिप्लोमा दिया जायेगा । जिन्होंने संस्था में १ फरवरी, १९५९ के बाद दाखिला लिया है, सर्टिफिकेट दिया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या हड़ताली विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री नन्दा :** अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मंत्रालय के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को यह पता लगाने के लिये जांच करने को कहा गया है कि यह सब कैसे उत्पन्न हुआ और इसके बारे में अब क्या किया जाना चाहिये ।

सीमेंट उद्योग में ठेके की प्रथा का उन्मूलन

†*५२३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट उद्योग में ठेके की प्रथा समाप्त करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति द्वारा मार्च, १९५४ में हुये अपने द्वितीय सत्र में स्थापित उप-समिति ने उद्योगों में ठेके की प्रथा को समाप्त करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं । उप-समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों और सीमेन्ट कम्पनियों को बता दी गयी हैं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कम्पनियों ने ठेका पद्धति के अन्तर्गत लगे बहुत से श्रमिकों को कम कर दिया है ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या भारत की किसी सीमेंट फैक्टरी में इस प्रथा को हटा दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : मेरे विचार में यह पूरी तरह नहीं हटायी गयी है । परन्तु श्रमिकों की संख्या ८,००० से घटा कर २,००० तक कर दी गयी है ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या सरकारी सीमेंट फैक्टरियों में भी यह प्रथा चालू है ?

†**श्री आबिद अली** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या ठेका पद्धति को हटाये जाने से सीमेन्ट के उत्पादन लागत में कोई मितव्ययता हुई है और क्या इस मितव्ययता का लाभ उपभोक्ता को भी मिलेगा ?

†**श्री आबिद अली** : यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को निर्देशित किया जाना चाहिये ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : वहां पर पहले कितने ठेकेदार थे और अब कितने हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मैं कह चुका हूं कि श्रमिकों की संख्या ८,००० थी और अब इसको घटा कर २,००० कर दिया गया है । ठेकेदारों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या वह मजूरी बोर्ड जिस को सीमेंट श्रमिकों की मजूरी का निश्चय करने को कहा गया है, ठेके के श्रमिकों की मजूरी के प्रश्न पर भी विचार करेगा ?

†**श्री आबिद अली** : वे सीमेन्ट उद्योग से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की मजूरी पर विचार करेंगे ।

कपड़ा और पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

†*५२४. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा और पटसन मिलों का आधुनिकीकरण करने में अब तक क्या प्रगति की गयी है;

(ख) इस का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) ऐसे यूनिटों को अब तक कितनी धन राशि दी गयी है और किसी को अधिकतम कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण में बताया गया है कि केवल ११ कपड़ा मिलों को पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनें लगाने के लाइसेंस दिये गये हैं जब कि ४६ पटसन मिलों को आज्ञा दी गयी है । कपड़ा मिलों के धीमी गति से आधुनिकीकरण के क्या कारण हैं ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तव में राष्ट्रीय विकास निगम ने २० कपड़ा मिलों को ४.३१ करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी परन्तु बहुत सी मिलों ने इस अवसर से लाभ नहीं उठाया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : कपड़ा मिलों और पटसन मिलों को जो २,७० करोड़ रुपया दिया गया है, उस का विभाजन किस प्रकार है और इस में से कितना धन पटसन मिलों को और कितना धन कपड़ा मिलों को दिया गया ?

†श्री कानूनगो : कुल ४·४४ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । परन्तु विभिन्न यूनिटों द्वारा अब तक उपयोग किये गये धन के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । पूर्व सूचना मिलने पर ये बताये जायेंगे ।

†श्री बनर्जी : क्या मिलों का सर्वेक्षण करने के लिये प्रविधिज्ञों की कमी है और यदि हां, तो शीघ्र सर्वेक्षण के लिये प्रविधिज्ञों को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†श्री कानूनगो : जी, हां । कपड़ा मिलों का सर्वेक्षण करने के लिये प्रविधिज्ञों की कमी है और हम इस को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

†श्री जयपाल सिंह : पिछले नवम्बर में मंत्री महोदय ने बताया था कि दोनों उद्योग अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं । और वह हमें उन की धनराशि के बारे में आंकड़े नहीं बता सके थे । क्या वह हमें अब इस बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं कि क्या निगम द्वारा दिये गये ऋण के अतिरिक्त उद्योगों ने आधुनिकीकरण के लिये अपने कोई संसाधनों का उपयोग किया है ?

†श्री कानूनगो : जी, हां । परन्तु इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । और सूचना मिलने पर मैं वह बता सकूंगा ।

†श्री जयपाल सिंह : उन के पास इस समय आंकड़े हैं ।

श्री कानूनगो : मेरे पास ऋण की धनराशि के बारे मे आंकड़े है । मेरे पास इस बारे में कोई आंकड़े नहीं है कि कितने धन का उपयोग किया गया है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इन कम्पनियों ने अपने संसाधनों से कितना धन लगाया । वह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं

†श्री बिमल घोष: यह पता नहीं चलता कि यह प्रगति केवल निगम के ऋण से की गयी है— यह ही उद्योग की प्रगति है ।

†श्री कानूनगो : ऋण भी दिये गये हैं परन्तु कम्पनियां भी अपना कुछ धन लगाती हैं । प्रश्न यह है कि उन्हों ने कितना धन लगाया ? ये आंकड़े एकत्रित किये जाने होंगे ।

†श्री हेम बरुआ : कपड़ा जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि कपड़ा उद्योग द्वारा पुरानी और घिसी हुई मशीनों के बदले नयी मशीनें लगायी जानी चाहियें, क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योग द्वारा कपड़ा जांच समिति की यह सिफारिश किस हद तक क्रियान्वित की गयी है ?

†श्री कानूनगो : कपड़ा जांच समिति, जिस ने छः महीने पहले अपनी सिफारिशें भेजीं, बनाने से पहले ही मशीनों के बदलने का कार्यक्रम चल रहा है । कार्यक्रम की तीव्रता सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय विकास परिषद् से ऋण का आवंटन और इन कम्पनियों के पास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

†श्री जाधव : जब कि ११ मिलों में १७७६ स्वचालित करघों के लिये आज्ञा दी गयी है, तो वे अब तक क्यों नहीं लगाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** पुरानी योजना को जिस के अधीन उन कम्पनियों को जो पिछले निर्यात का ८७ प्रतिशत निर्यात न कर सकती थीं, एक दण्ड-शुल्क देना पड़ता था, प्रतिरोधक[1] पाया गया और इस लिये हमने योजना में परिवर्तन किया ।

†**श्री तंगामणि :** निगम द्वारा दी गयी लगभग २.७५ करोड़ रुपये की राशि में से सब से बड़ी एक राशि जो दी गयी है वह ७५ लाख रुपये है । क्या मैं जान सकता हूं कि किस को यह ७५ लाख रुपये की एक राशि दी गयी है ?

†**श्री कानूनगो :** यह नागपुर की मिल को दिया गया था जिस ने विस्तृत रूप से परिवर्तन किये थे ।

†**श्री बोस :** संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिये अपेक्षित सब मशीनें विदेशों से आयात की जाती हैं या उन में से कुछ भारत में बनती हैं ?

†**श्री कानूनगो :** कुछ यहां पर बनती हैं परन्तु अधिकाँश का आयात करना पड़ता है ।

†**श्री बोस :** इस की क्या प्रतिशतता है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रतिशतता बताना कठिन है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** २५ नवम्बर, को भी हम ने यही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और उन्हों ने कहा था कि इस के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अब उन का कहना है कि आंकड़े उपलब्ध हैं । मैं ने सोचा था कि उन को २५ नवम्बर का प्रश्न याद होगा और वे इस जानकारी को हमें देने के लिये तैयार हो कर आयेंगे । अब मुझे अन्य प्रथक् प्रश्न पूछने के लिये इन्तजार करना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न केवल सरकार द्वारा दिये गये ऋण अथवा सहायता के बारे में ही नहीं है । प्रश्न कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में की गयी प्रगति के बारे में है चाहे वह सरकार के धन से की गयी हो या अपनी निजी आय से । माननीय सदस्य का कहना है कि पहले कुछ उत्तर दिया गया था और अब दिये गये उत्तर से पता चलता है कि आंकड़े उपलब्ध हैं । परन्तु मंत्री महोदय के पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

†**श्री कानूनगो :** प्रश्न आधुनिकीकरण और प्रगति के बारे में है और विवरण में यह बताया गया है । परन्तु यह प्रश्न यह है कि कम्पनियों और संस्थानों ने पृथक रूप से अपने संसाधनों से कितना धन लगाया । यह आंकड़े एकत्रित किये जाने हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह:** आधुनिकीकरण निगम के ऋण से अतिरिक्त उद्योग के अपने संसाधनों से हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रगति से तात्पर्य शक्ति चालित करघे इत्यादि लगाने से है । संयोगवश वह वे आंकड़े बता रहे हैं जो उन के पास हैं । यदि माननीय सदस्य अधिक जानकारी चाहें तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं ..... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री जयपाल सिंह :** मेरा यही प्रश्न है । वह जानकारी देने में विलम्ब कर रहे हैं ।

†**श्री विमल घोष :** आधुनिकीकरण की प्रगति किस प्रकार .....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रगति से तात्पर्य सब संसाधन नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Deterrent

†श्री विमल घोष : दी हुई जानकारी पूर्ण नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार भिन्न है। मेरे विचार में आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में हुई प्रगति का तात्पर्य यह नहीं है कि कितने धन की व्यवस्था की गई । इस का तात्पर्य यह है कि कितने करघे लगाये गये और उन करघों के परिणाम क्या रहे ? यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस धन राशि की किस प्रकार व्यवस्था की गयी है और यह कि क्या उन्हों ने इस के एक भाग को खर्च किया है या नहीं तो इस का यह मतलब नहीं है कि मंत्री महोदय कोई उत्तर नहीं देना चाहते । केवल यह इस प्रश्न से सीधे रूप में उत्पन्न नहीं होता ।

रबड़ का उत्पादन

†*५२५. श्री उस्मान अली खां : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितने रबर का उत्पादन होता है;

(ख) वर्ष १९५८ में कितने रबर का उत्पादन हुआ; और

(ग) देश को रबड़ में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो) : (क) १९५८ में २४,३२८ टन कच्चे रबड़ का उत्पादन हुआ ।

(ख) ११,८७८ टन कच्चा रबड़ और ३,५२३ टन संश्लिष्ट रबड़ ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]

†श्री उस्मान अली खां : क्या भूमि और जलवायु के कारण हमारे देश में प्रति एकड़ औसत पैदावार अन्य देशों की पैदावार से एक तिहाई होती है; और यदि हां, तो क्या सरकार का अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में जहां की भूमि और जलवायु की तुलना विश्व के सर्वोत्तम रबड़-उत्पादक देशों के साथ की जा सकतीं है, पैदावार को बढ़ाने का विचार है ?

†श्री कानूनगो : अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में एक पृथक प्रश्न है । आज समस्या यह है । सरकार का प्रयत्न वर्तमान पौधों के स्थान पर अधिक उत्पादन वाले पौधों की किस्म लगाना है । भूमि और जलवायु के अतिरिक्त पौधों का भी महत्व होता है । अतः बढ़िया किस्म के बीज से नये पौधे लगाने का कार्यक्रम चालू है और उस में प्रगति हो रही है ।

जहां तक अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों का सम्बन्ध है, प्रारम्भिक प्रतिवेदन अत्याधिक अनुकूल है । इस का अभी परीक्षण किया जाना है और फिर यह देखा जायेगा कि सफलता आशा के अनुसार मिलती है या नहीं ।

†श्री उस्मान अली खां : उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम पर आधारित पहले प्रस्तावित संयंत्र के अतिरिक्त क्या सरकार बम्बई में एक दूसरा संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र स्थापित करने के बारे में भी विचार कर रही है ।

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : प्रथम संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र बरेली में स्थापित किया जायेगा और वह "पावर अल्कोहल" पर आधारित होगा । इस की वार्षिक उत्पादन क्षमता २०,००० से

---

†मूल अंग्रेजी में

३०,००० टन तक होगी। यह उत्पादन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये पर्याप्त होगा। इस समय कहीं भी दूसरे संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री पुन्नूस** : विवरण में बताया गया है कि रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के दो प्रस्ताव हैं। एक तो ७५,००० एकड़ क्षेत्र में पुनः पौधे लगाने के बारे में हैं और दूसरी संश्लिष्ट रबड़ के लिये १५ करोड़ रुपये की परियोजना है। क्या प्राकृतिक रबड़ के नये पौधे लगाने का कोई प्रस्ताव है और नये पौधे लगाने के बारे में रबड़ बोर्ड द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**श्री कानूनगो** : नये पौधे लगाने पर विचार किया जा रहा है, परन्तु इस समय वर्तमान पौधों के स्थान पर अधिक उत्पादन वाली किस्मों के पौधे लगाने का कार्यक्रम है।

†**श्री पुन्नूस** : यह कहा गया है कि वर्ष १९५७ और १९५८ में ६,५०० एकड़ भूमि में पुनः पौधे लगाये गये। इस के लिये क्या लक्ष्य बनाया गया था ? क्या यह सच है कि निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और कार्य निश्चित लक्ष्य से बहुत कम हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : लक्ष्य ७०,००० एकड़ का है। यह तो स्वाभाविक है कि पहले वर्षों में प्रगति कम होगी और बाद में इस में तीव्रता आयेगी।

†**श्री तंगामणि** : ७०,००० एकड़ भूमि में रबड़ का अधिक उत्पादन करने के लिये पुनः पौधे लगाने का काम कब पूरा किया जायेगा ? क्या यह इसी क्रम से चलता रहेगा जैसा कि अब चल रहा है ? अर्थात् ७,००० एकड़ प्रति वर्ष ?

†**श्री कानूनगो** : कार्यक्रम १० वर्षों के लिये है। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, इस में शीघ्र ही प्रगति होगी।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में कहा गया है कि सरकार संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र स्थापित करने के लिये विदेशी फर्मों से पत्र-व्यवहार कर रही है वे विदेशी फर्में कौन सी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस बात का कई बार निर्देश कर चुका हूं। फायरस्टोन, गुडइयर, डेटन और अन्य फर्मों ने इस में रुचि ली है। बरेली में एक संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है और हमें उन से कुछ टैक्नीकल रिपोर्ट मिलती है।

†**श्री हेम बरुआ** : पत्र-व्यवहार इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : परियोजना के बारे में प्रतिवेदन एक या अधिक से अधिक दो महीनों में प्राप्त हो जाने की आशा है।

†**श्री दासप्पा** : अच्छे किस्म की रबड़ के पौधे लगाने के लिये कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : ये समस्त भारत—विशेषतः केरल, मद्रास और मैसूर—के वर्तमान बागानों में लगाये जायेंगे।

†**श्री रामानाथन् चेट्टियार** : क्या रबड़ बोर्ड ने सरकार से सहायता को ४०० रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाने की सिफारिश की है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन से भारतीय रबड़ के उपभोग पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । इस की इतनी अधिक कमी है कि उत्पादन के अतिरिक्त हमें कई वर्षों तक संश्लिष्ट रबड़ का आयात करना पड़ेगा ।

†**श्री वारियर** : वर्तमान पौधों के स्थान पर अच्छी किस्म के रबड़ के पौधे लगाने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : अनुमोदित नर्सरियां अच्छी किस्म के पौधे देती हैं और रबड़ बोर्ड उन की जांच करता है और उन को पास करता है । जहां तक छोटे उत्पादकों का सम्बन्ध है, रबड़ बोर्ड की एक विस्तार शाखा है जो उत्पादकों को ठीक प्रकार का सामान प्राप्त करने में सहायता देती है और उन्हें पौधे लगाने के तरीके इत्यादि के बारे में भी परामश देती है ।

†**श्री वें० प० नायर**: मंत्री महोदय ने कहा है कि नये उत्पादकों को वित्तीय सहायता के बारे में रबड़ बोर्ड से सुझाव प्राप्त हुआ है । क्या यह सच नहीं है कि रबड़ बोर्ड ने यह सुझाव लगभग एक वर्ष पहले भेजा था । यदि हां, तो सरकार अभी तक इस पर निर्णय क्यों नहीं कर सकी है ?

†**श्री कानूनगो** : हम इस योजना की प्रगति देख रहे हैं जो नये पौधे लगाने की योजना की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।

खली का निर्यात

+

†*५२६ { **श्री वें० प० नायर :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू लाइसेंसिंग अवधि—अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९—में निर्यात के लिये कितनी खली 'रिलीज' की गई ;

(ख) इस से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) खल के निर्यात में वृद्धि करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि कोल्हू से निकाली गयी खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध है और केवल "सालवेण्ट एक्सट्रैक्शन" से निकाली गयी खली का ही निर्यात किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : कुछ किस्मों के आलावा जिनको निर्बाध निर्यात करने दिया जाता है, लगभग १,४०,००० टन ।

(ख) अक्तूबर-नवम्बर, १९५८ में १·६ करोड़ रुपये । अगले महीनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४**]

(घ) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि खली के निर्यात के बारे में संवर्धन योजना के अन्तर्गत दिल्ली क्लाथ मिल को प्रति दिन १०० टन खली निकालने के लिये मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस दिया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

†श्री वें० प० नायर : मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सच है कि क्योंकि "सल्वेंन्ट एक्सट्रैक्शन" तरीके से बनाई गयी खली के अतिरिक्त और खली का निर्यात करने पर कुछ प्रतिबन्ध था, क्या निर्यात के संवर्धन के अन्तर्गत दिल्ली क्लाथ मिल को "साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन" तरीका प्रयोग में लाने वाले एक पृथक संयंत्र के लिये कोई विशेष लाइसेंस दिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : वे इस उत्तर पर विवाद कर रहे हैं कि ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है और निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत किसी को कोई विशेष लाइसेंस नहीं दिया गया है । हम समूचे देश में "साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लान्ट" स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं जिस से कि बहुत मूल्यवान तेल जो कि खली में रह जाता है, इस तरीके से निकाला जा सके ।

†श्री जाधव : क्या खली का निर्यात करते समय स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि भारत में ही खली की बहुत मांग है ?

†श्री कानूनगो : तभी तो यह लाभ्यंश के आधार पर रखा गया है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार को इस बात का पता है कि पिछले निर्यात में, सामान्य तरीके की तुलना में "साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन" तरीके से निकाली गयी खली की क्या प्रतिशतता थी ।

†श्री मनुभाई शाह : प्रश्न स्पष्ट नहीं है । 'साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन' एक रसायनिक विधि है इस का निर्यात से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार यह बता सकती है कि विगत काल में निर्यात की गई खली में साल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि तथा सामान्य विधि से बनाई गई खली का अनुपात क्या था ?

†श्री कानूनगो : तेल निकाली गयी खली के अतिरिक्त अन्य खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध था । अब इसकी आज्ञा दे दी गयी है और इसको तेल के निर्यात से जोड़ दिया गया है और इसका अनुपात १ : १ है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य निर्यात के बारे में नहीं बल्कि प्रतिशतता के बारे में जानना चाहते हैं । खली निकालने के सामान्य तरीके की अपेक्षा इस तरीके से प्रतिशतता बढ़ी है या घटी है ।

†श्री मनुभाई शाह : यदि कोल्हू से ७ प्रतिशत तेल निकलता है तो साल्वेन्ट एक्ट्रैक्शन के तरीके से लगभग ६ प्रतिशत अतिरिक्त प्राप्त होता है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह तेल के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते । वे दो मामलों में खली के वज़न के बारे में जानना चाहते हैं । माननीय सदस्य भी कुछ कष्ट उठायें । तिलहन में तेल और खली दो

---

†मूल अंग्रेजी में

तत्व होते हैं। यदि माननीय सदस्य उसमें से तेल की मात्रा घटा दें तो उनको खली का पता लग जायेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा प्रश्न यह है कि निर्यात की गयी खली में कितनी इस साल्वेंट एक्स-ट्रैक्शन तरीके से बनी खली थी और कितनी सामान्य तरीके से बनी खली ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं यह बाद में बतला दूंगा।

आई० ए० सी० आफिस, कराची पर छापा

+

†*५२८. { **श्री वाजपेयी** : / **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **प्रधान मंत्री** २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कराची स्थित इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय पर पाकिस्तानी पुलिस के छापे के विरुद्ध जो विरोधपत्र पाकिस्तान को भेजा गया था, क्या इस बीच उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) पाकिस्तानी पुलिस तलाशी के बाद जो दस्तावेज तथा वस्तुएं अपने साथ ले गयी थी, क्या वे वापस मिल गयी हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) दिसम्बर, १९५८ में पाकिस्तान सरकार से उत्तर मिला था। इसमें मामले को एक खास संकुचित ढंग से रखा गया था और वह सन्तोषजनक नहीं था। इसलिए, पाकिस्तान सरकार के पास एक पत्र भेजा गया जिसमें यह लिखा गया था कि भारत सरकार अपना विचार बदलने का कोई कारण नहीं समझती और यह कि छापा बिल्कुल अनुचित और अन्यायपूर्ण था। पाकिस्तान सरकार से इसका जवाब हाल ही में मिला है और उस पर विचार हो रहा है।

(ग) जून १९५८ में कराची के चीफ कमिश्नर ने जो अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की थी, उसके अनुसार वे सभी चीजें पाकिस्तान सरकार ने जब्त कर लेनी थीं जो उठा ली गई थीं; इसी अधिसूचना के अनुरूप यह छापा मारा गया था।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम अंग्रेजी उत्तर चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेजी उत्तर भी पढ़ा जाये।

(इसके बाद उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री वाजपेयी** : पाकिस्तान से हाल ही में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उत्तर में उनकी कार्यवाही को उचित ही बताया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** : क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कराची के कार्यालय में भारत का नकशा दुर्घटना के बाद भी लगा है और यदि हां, तो क्या इसमें जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र भी सम्मिलित है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। भारत के जो नक्शे वहां लगे थे वे सम्भवतः अब पाकिस्तान सरकार के कब्जे में हैं। छापे का सारा प्रयोजन ही उन नक्शों को हटाना था।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में कुछ संस्थायें जम्मू और काश्मीर के समूचे क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग दिखाने वाले नक्शों को लगाने में पाकिस्तान से सम्बन्धित थीं ? यदि हां, तो क्या कोई तदनुरूप कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे ऐसी किसी संस्थाओं या ऐसे नक्शों का पता नहीं है। मैं इस समय यह भी नहीं कह सकता कि हम इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे। परन्तु सामान्यतः हम तब तक कार्यवाही नहीं करते जब तक कि उक्त कार्यवाही उचित नहीं समझी जाती।

†**श्री हेम बरुआ** : इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय पर यह आक्रमण पाकिस्तानी गुण्डागर्दी की एकमात्र घटना है या सरकार को ऐसी किसी अन्य घटनाओं के बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य नक्शों का निदेश कर रहे हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय पर यह आक्रमण पाकिस्तानी गुंडागर्दी की एकमात्र घटना है या सरकर को ऐसी ही अन्य घटनाओं के बारे में भी कोई जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कार्यालय पर 'आक्रमण' से माननीय सदस्य का क्या आशय है, मैं यह नहीं समझ सका। ऐसा कोई 'आक्रमण' नहीं हुआ। एक या दो सिपाही वहां गये और उन्होंने कागज देखने चाहे और उनको देखने के बाद कुछ पत्रिकाओं और नक्शों को लेकर चले गये। और कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि कहीं और भी ऐसी घटना हुई है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या भारत का नक्शा भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में किसी और स्थान पर भी लगा है, और यदि हां, तो उसके बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में लगाया जाना जरूरी है क्योंकि ऐसा कार्यालय उस देश के क्षेत्राधिकार में समझा जाता है, जिसका कि वह कार्यालय है।

†**श्री वाजपेयी** : इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का कार्यालय भारत के नक्शे के बगैर किस प्रकार कार्य कर सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि जो नक्शे ले जाये गये वे विज्ञापन एडवर्टाइजमेण्ट फोल्डर गाइड बुक, छोटे चार्ट आदि थे। हो सकता है उनमें एक या दो बड़े नक्शे भी हों। मैं नहीं कह सकता कि वह किस प्रकार कार्य कर रहा है परन्तु सम्भवतः जो व्यक्ति जगह रिजर्व कराने जाते हैं उन्हें भारत के भूगोल का कुछ ज्ञान होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संगठन तथा रीति विभाग

†*५२९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठन तथा रीति विभाग की कर्मचारी संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी; और

(ख) क्या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति परामर्शदाता के रूप में विभाग को सहयोग दे रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) तथा (ख). संगठन तथा रीति विभाग के बारे में कामों पर लोक-सभा में ६ दिसम्बर, १९५८ को विभाग के ४ थे वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श के समय विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। उस समय गृह-कार्य मंत्री ने विस्तारपूर्वक बताया था कि विभाग के कार्य तथा अन्य संबंधित समस्यायें क्या हैं। मन्त्रिमण्डल सचिवालय में केन्द्रीय संगठन तथा रीति विभाग एवं मंत्रालयों व सम्बद्ध कार्यालयों में संगठन तथा रीति यूनिटों का ढांचा व कर्मचारी संख्या उन कार्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है जो वह समय समय पर करते हैं। फिर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार इनका समय समय पर पुनरीक्षण होता है।

२. यह आवश्यक नहीं है कि संगठन के पूर्णतया विभागीय कार्यों के बारे में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का सहयोग प्राप्त किया जाये। फिर भी, जैसा कि ६ दिसम्बर, १९५८ को गृह-कार्य मंत्री ने बताया था कि प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं में रुचि रखने वाले संसत्सदस्य प्रधान मंत्री या गृह मंत्री से विचार विमर्श कर सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ऐसे विचार विमर्श सम्भव बनाने के लिये माननीय प्रधान मंत्री ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई नहीं। मेरा विचार था कि दूसरे लोग कार्यवाही करेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह आशा की जाती है कि सदस्य माननीय प्रधान मंत्री या माननीय गृह-कार्य मंत्री को विचार विमर्श के लिये लिखें अथवा उनका विचार एक परामर्शदाता निकाय बनाने का है या वे इन विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये सदस्यों को बुलाना चाहते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आशा है कि इस बारे में प्रत्येक सदस्य मुझे नहीं लिखेगा। यदि कोई सदस्य किसी विषय विशेष पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो यह कहना उनका काम है। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्य निश्चय ही अपने अनुभव से विशेष बातों का उल्लेख कर सकते हैं। सारे मामले पर सामान्य विचार विमर्श से कोई लाभ न होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है इस विभाग का कार्य-संचालन मूल रूप से गृह-कार्य मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव पर छोड़ दिया जाता है और यदि ऐसा नहीं है तो, संयुक्त सचिव से उच्चतर व्यवस्था क्या कार्य तथा उत्तरदायित्व लेती हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि एक संयुक्त सचिव उसके भार साधक हैं और सब मंत्रालयों में भी वरिष्ठ अधिकारी भार साधक हैं। अन्य व्यवस्था की बात मेरी समझ में नहीं आई।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह समझा जाता है कि प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल संगठन तथा रीति विभाग को नियंत्रित करते हैं और मार्गप्रदर्शन करते हैं। परन्तु मेरी जानकारी जो मैं ने प्रश्न में बताई है, यह है कि गृह-कार्य मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव मूल रूप से इसकी देखभाल करते हैं। यदि यह बात नहीं है तो, और यदि प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल सचिवालय का इस में हाथ रहता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय या मंत्रिगण, अर्थात् संयुक्त सचिव से उच्चतर पदाधिकारी, क्या उत्तर-दायित्व तथा कार्य करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** गृह-कार्य मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव इसके भार साधक हैं। परन्तु मंत्रिमंडल सचिवालय यह कार्य करता है और मैं उसके द्वारा यह कार्य करता हूं।

†**श्री वासुदेवन नायर :** इस विभाग का एक कार्य व्यय में कमी करना है। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में इस विभाग का कार्य-परिणाम आंका है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस विभाग के प्रतिवेदन हमने पटल पर रख दिये हैं और इस प्रश्न का विशेषकर विस्तृत उत्तर दिया गया है।

मैंगनीज़

+

†*५३१. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री किस्तैया :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कच्चे मगनीज़ के व्यापार में वृद्धि करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में ११ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति की कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ख) इसके मुख्य निर्णय क्या हैं ; और

(ग) इन निर्णयों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) पांच बार।

(ख). तथा (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या ५]**

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं है कि हाल की प्रतिगति के उपरान्त विदेशों में हमारे मुख्य ग्राहकों की मैंगनीज़ खरीद बढ़ गई है तथा प्रतिगति के पहिले की मात्रा तक पहुंच गई है और यदि हां तो, क्या हम उतना ही कच्चा मैंगनीज़ निर्यात कर रहे हैं जितना कि हम प्रतिगति आरम्भ होने के पूर्व किया करते थे ?

†**श्री कानूनगो :** मैंगनीज़ व्यापार में एक वर्ष पूर्व की अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई है। परन्तु यह भी सच है कि खरीदने वाले देशों ने मुकाबला करने वाले अन्य देशों से अपनी खरीद बढ़ा दी है। हम अपनी प्रतिगति पूर्व स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। अमरीका अधिकतर पास के देशों से खरीद रहा है जहां से भाड़ा और मूल्य कम पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्या चरण शुक्ल : राज्य व्यापार निगम का विभिन्न श्रेणियों का कितना कच्चा मैंगनीज़ यहां पड़ा हुआ है और उसका मूल्य क्या है ?

†श्री कानूनगो : आपका अभिप्राय राज्य व्यापार निगम की उस खरीद से है जो अभी ले जाई नहीं गई ? मेरे पास वह जानकारी नहीं है ।

†श्री पाणिग्रही : हमें बताया गया था कि व्यापार में प्रतिगति के कारण गत वर्ष मैंगनीज़ की १३७ खानें बन्द हो गईं । कच्चे मैंगनीज़ के व्यापार में वृद्धि होने से अब उनमें से कितनी खुल गई हैं ?

†श्री कानूनगो : भारत में सुधार का पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा हैं क्योंकि मुकाबला करने वाले देश भारत की अपेक्षा सस्ते मूल्य पर दे सकते हैं ।

†श्री दामानी : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम कच्चे मैंगनीज़ के निर्यात पर कुछ व्यय वसूल करती है और यदि हां, तो भारत में किस दर से वसूल किया जाता है ? क्या यह भी सच है कि इसका प्रभाव हमारे निर्यात पर पड़ा है ?

†श्री कानूनगो : नहीं, यह कुछ नहीं लेती । वास्तव में, राज्य व्यापार निगम दीर्घकाल के लिये भी ठेके देने को तैयार है ।

वस्तुतः इस बारे में तीन मास पूर्व एक सामान्य नोटिस निकाला गया था ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : विवरण में उल्लेख है कि बैठक में यह निर्णय हुआ है कि खान मालिकों के साथ संदिग्ध ठेके किये जायें तथा उन्हें प्रति ५० प्रति शत तक व्यय का भुगतान कर दिया जाये । राज्य व्यापार निगम ने खान मालिकों से ऐसे कितने संदिग्ध ठेके किये हैं तथा खनन-कार्य में वृद्धि करने के लिये खान मालिकों को कितना भुगतान किया गया है ?

†श्री कानूनगो : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि यह निश्चय कुछ ही समय पूर्व किया गया है । आजकल कोई उचित निर्यातादेश नहीं है ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय मंत्री ने कोई आंकड़े नहीं बताये हैं । क्या यह आश्वासन दिया जा सकता है कि वे बाद में बता दिये जायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में सभा में कोई आश्वासन नहीं मांगा जा सकता ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

+

†*५३२. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री तंगामणि : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जनवरी १९५९ को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी फीड़ेशनों तथा संघों के प्रतिनिधि उनसे मिले ;

(ख) यदि हां तो, कर्मचारियों की मांगें क्या थीं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) हां ।

(ख) कुछ कर्मचारियों के खिलाफ़ निगम ने जो अनुशासनीय कार्यवाही की है उसके बारे में सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या फीड्रेशनों तथा संघों द्वारा रखी गई अनेक मांगों में एक मांग यह भी थी कि मालिक लोग मजदूरों में वैमनस्य व अशांति फैला रहे हैं और यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ? परिणाम क्या है ?

†**श्री आबिद अली :** मामले की जांच हो रही है । हमारे सन्मुख रखी गई सारी बातें एक अधिकारी के जांच के लिये दे दी गई हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या वेतन आयोग सेवा की शर्तों पर भी विचार करेगा ?

†**श्री आबिद अली :** उनकी सेवा की शर्तों का भी उल्लेख किया गया है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या यह सच है कि कलकत्ता मज़दूर संघ के अध्यक्ष तथा मंत्री अपनी वैधानिक मजदूर संघीय कार्यों के कारण शिकार बने बिना किसी पूर्वसूचना के कार्य से हटा दिये गये हैं और यदि हां, तो उन्हें पुनः काम देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** उन्हें शिकार नहीं बनाया गया । वे अनोपयुक्त समझे गये तथा कार्य से हटा दिये गये ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या ये कारण सेवाच्युति-पत्र में दिये गये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** उन्हें एक मास की पूर्वसूचना दी गई थी क्योंकि वे उपयुक्त नहीं समझे गये ।

†**श्री तंगामणि :** क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी फीड्रेशन को मान्यता दे दी है ? क्या यह सच है कि इस संघ के गठन के बाद मद्रास में संघ के कार्यकर्ताओं के अविवेकी तबादले किये गये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** फीड्रेशन को मान्यता नहीं मिली है क्योंकि इसने इस सम्बन्ध में बने नियमों का पालन नहीं किया है । कुछ तबादले हुए हैं परन्तु उनका कारण मज़दूर संघीय कार्यवाही नहीं है ।

†**श्री तंगामणि :** उपमंत्री ने कहा है कि निगम तथा उसके कर्मचारियों का झगड़ा मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है । इस विशेष मामले में मंत्रालय क्या कार्यवाही करेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) :** कुछ समय पूर्व विभिन्न केन्द्रों के मज़दूरों के प्रतिनिधि मुझ से मिले थे और उनकी अपनी शिकायतें थीं । मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी जांच की जायेगी । मैं ने इन सब बातों की जांच करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया तथा यदि यह विदित होता है कि मज़दूरों का कुछ भी बुरा किया गया है तो निश्चय ही वह ठीक किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्यात-गृह[1]

+

†*५३४. { श्री कोडियान :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए निर्यात-गृह बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की तफसील क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). मामला निर्यात-संवर्धन परामर्शदात्री परिषद् की स्थायी समिति के विचाराधीन रहा है। विस्तारपूर्ण कोई निश्चित प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है।

†**श्री कोडियान** : इस बारे में अन्तिम निश्चय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह निश्चय करने का प्रश्न नहीं है। एक विचार बताया गया था। फेडेरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा असोसियेटेड चैम्बर्स से प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने अभी कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा संयंत्र

+

†*५३५. { श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत तथा उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) यह कहां स्थापित होगा;

(घ) कारखाने के लिये कितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या इसकी स्थापना के लिये किसी विदेश से कोई करार हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्। मेसर्स आन्ध्र सुगरस् लि०, तानुकू का ऐसा प्रस्ताव है।

(ख) अनुमानित लागत ६० लाख रु० होगी। प्रस्तावित क्षमता ३,८०० टन प्रति वर्ष कास्टिक सोडा की है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Export Houses.

(ग) राजामुन्दरी, पूर्वी गोदावरी जिला।

(घ) लगभग ३५ लाख रु०।

(ङ) अभी नहीं।

†श्री नागी रेड्डी : विदेश के साथ वार्ता आजकल किस स्थिति में हैं ? क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस कारखाने के स्थापित होने की कोई संभावना है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमें यही आशा है, क्योंकि शर्तों पर पूर्वी जर्मनी सरकार से बातचीत हो रही है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही हम उन पर कार्यवाही करेंगे।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*५३७. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने करगली कोयलाखानों की कार्य समितियों के निर्वाचन जो २६ नवम्बर, १६५८ को होने वाले थे, स्थगित कर दिये हैं;

(ख) क्या सरकार को मज़दूर संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) हां, एक संघ से।

(ग) संघ ने कार्य समितियों के निर्वाचन स्थगित करने की शिकायत की थी।

(घ) प्रबन्ध को सुझाव दिया गया है कि वह शीघ्र ही निर्वाचन करे।

†**श्री गामणि** : १६वें श्रम सम्मेलन में भी यह निश्चय किया गया था कि कार्य समितियों को अधिक अधिकार दिये जायें। करगली कोयला खानों तथा अन्य दो खानों में, जिनका उल्लेख १७ ता० को उत्तर देते समय किया गया था, निर्वाचन किस तारीख को होंगे ?

†**श्री आबिद अली** : दूसरे मज़दूर संघ ने इस आधार पर निर्वाचन करने पर आपत्ति की थी कि यह बिहार की श्रम परामर्शदात्री समिति के निश्चय के विरुद्ध था एवं मामले पर विचार किया गया। अतः निर्वाचन स्थगित करना आवश्यक समझा गया। ठीक है कि इसका उल्लेख किया गया था।

†**श्री तंगामणि** : उन्होंने पहले एक अवसर पर कहा था कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने इसकी जांच कर ली है और निश्चय कर लिया गया है तथा निश्चित तारीख निर्धारित की जायेगी। यह विशिष्ट निर्वाचन कब होगा ?

†**श्री आबिद अली** : तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कैमरून्स

+

अल्प सूचना संख्या ३. { **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :** **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कैमरून्स में जनता आन्दोलन के प्रतिनिधियों के हाल के उन अभ्यावेदनों की ओर, जो उन्होंने भारत सरकार से किये हैं, दिलाया गया है जिनमें वहां जन स्वतंत्रता की पुष्टि की प्रार्थना की गई है;

(ख) क्या कैमरून्स के भविष्य का प्रश्न शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की न्यासिता परिषद[1] के समक्ष आ रहा है;

(ग) क्या कैमरून्स में परिस्थितियों के बारे में उक्त परिषद् को सूचना देने के लिए भेजे गये आयोग में भारत सम्मिलित था; और

(घ) क्या इस मामले में हमारी दृष्टि व्यक्त करने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) कैमरून्स में कई राजनीतिक दल है। उनमें से एक पार्टी आफ़ दि यूनियन आफ़ दि पापुलेशन आफ़ दि कैमरून्स नामक दल है। उसने हमें लिखा है कि हम उसके दृष्टिकोण का समर्थन करें।

(ख) न्यासिता परिषद् की बैठक ३० जनवरी को हुई थी और वह कैमरून्स के भविष्य के बारे में पहिले ही सिफ़ारिश कर चुकी है।

(ग) न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि के कार्यालय में प्रथम सचिव, श्री रिखी जयपाल, हाल में कैमरून्स जाने वाले मिशन में न्यासिता परिषद् द्वारा भारतीय विशेषज्ञ चुने गये थे। फिर भी, वह सरकारी प्रतिनिधि न थे और अपनी व्यक्तिगत स्थिति में चुने गये थे।

(घ) जाने वाले मिशन ने एकमत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। एक प्रति संसद् पुस्तकालय को भेज दी जायेगी।

†**श्री वासुदेवन नायर :** न्यासिता राज्य क्षेत्र कैमरून्स के भविष्य का निश्चय करने के बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है ? क्या भारत सरकार कैमरून्स की जनता की इस मांग का समर्थन करती है कि कैमरून्स के भविष्य तथा दो कैमरून्स के यूनियन का प्रश्न का निश्चय करने के पूर्व जनमत लिया जाना चाहिए ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** न्यासिता के अधीन जनता की स्वतन्त्रता के बारे में भारत सरकार का रवैया सर्वविदित है। प्रक्रिया महा सभा तथा न्यासिता परिषद द्वारा अपनाई जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Trusteeship Council.

†श्री **वासुदेवन नायर** : मैं इस मामले में भारत सरकार का रवैया जानना चाहता हूं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत सरकार का रवैया यह है कि ये सारे क्षेत्र वहां की जनता के परामर्श से स्वतन्त्र होने चाहियें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भारतीय विशेषज्ञ ने कैमरून्स गये उस आयोग के प्रतिवेदन में विमति टिप्पण क्यों नहीं दिया जिसमें कैमरून्स के वर्तमान विभाजन को इसकी सिफारिशों का आधार स्वीकार किया गया है एवं विशेष रूप से यह सिफारिश भी की गई है कि ब्रिटिश कैमरून्स का एक भाग ब्रिटिश नाइजीरिया से मिला रहे जो भारत सरकार की अभी बताई नीति के विरुद्ध है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह एक तथ्यान्वेषी मिशन है और भारत सरकार ने विशेषज्ञ को कोई अनुदेश नहीं दिये थे । मैं विशेषज्ञ का चुनाव संबंधी नियम पढ़ती हूं जिस से स्थिति स्पष्ट हो जायगी :

> "न्यासिता परिषद् प्रत्येक जाने वाले मिशन के सदस्यों में एक या अधिक व्यक्ति परिषद् में प्रतिनिधियों में से लेगी : प्रत्येक मिशन को विशेषज्ञों तथा स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा सहायता दी जा सकती है । मिशन और उस का प्रत्येक सदस्य, पर्यटन करते समय केवल परिषद् के अनुदेशों के आधार पर कार्य करेगा तथा इस के लिये पूर्णरूपेण उत्तर दायी होगा ।"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है कि वहां कई दल हैं । कैमरून्स को मिलने वाली स्वतन्त्रता के बारे में स्पष्ट होना एक बात है तथा अपनाये जाने वाले ढंग के बारे में स्पष्ट होना दूसरी बात है । उदाहरणार्थ, एक कठिनाई है । क्या मैं कह सकता हूं कि समस्त कैमरून्स एक हो तथा स्वतन्त्र हो ? यदि उन की वर्तमान मांग का अर्थ यह है कि कैमरून्स का वह भाग जो स्वतन्त्र हो सकता है स्वतन्त्र नहीं हो तो एक कठिन प्रश्न उठता है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता । परिस्थितियां,वहां के लोग तथा उनकी इच्छाओं को जानना है । साधारण बात यह है कि कैमरून्स स्वतन्त्र तथा स्वाधीन हो । हम इस का समर्थन करते हैं । शेष के बारे में, यह कैमरून्स के नेताओं के निश्चय करने का प्रश्न है कि वे क्या करना चाहेंगे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या भारत सरकार का प्रतिनिधित्व महा सभा में कमरून्स के लिये मिशन के प्रतिवेदन का पूर्ण समर्थन नहीं कर रहा है तथा क्या इस प्रश्न पर महा सभा में एशियाई-अफरीकी दल की ओर से कोई विशेष संयुक्त प्रस्ताव रखा जायगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे पता है, कैमरून्स में विभिन्न दलों में मतभेद है । मैं नहीं जानता कि एशियाई-अफरीकी दल की हाल की कार्यवाही कार्य क्या है । परन्तु, स्वयं कैमरून्स में भी जन संगठनों में मतभेद है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या भारत सरकार को पता लागा है कि कैमरून्स गये आयुक्त की शिकायतें हुई हैं कि महासभा और न्यासिता परिषद् चाहती थीं कि वे जेलों में भी जायें और याचिकायें प्राप्त करें एवं उन्होंने ऐसा नहीं किया ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अनुदेशों के अधीन आयुक्त की जो चाहे जहां जाने और याचिका प्राप्त करने तथा याचिकों से भेंट करने का अधिकार है । क्योंकि यह एक तथ्यान्वेषी मिशन है, यह निर्देश पदों के बारे में तथ्य का पता लगाने के लिये सारी आवश्यक कार्यवाही करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : फ्रांसीसी कैमरून्स के बारे में, जो फ्रांसीसी संघ में १ जनवरी, १९६० को स्वाधीन घोषित हो जायेगा, क्या भारत सरकार फ्रांसीसी संघ में स्वाधीनता की घोषणा का समर्थन करते हुए उस तारीख के बाद कैमरून्स से ६०,००० विदेशी सैनिक हटाने पर जोर देगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : स्वाभाविक है कि हम सेना का हटाया जाना पसंद करेंगे । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का इस पर जोर देने से क्या अभिप्राय है । हम किस स्थिति में जोर दें ? हम अवसर आने पर मत प्रकट करते हैं ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : स्वीकृत संकल्प में इन बातों का ध्यान रखा गया है । यही कारण है कि हमने संकल्प का समर्थन किया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात ढलाईघर[1]

†*५२७. श्री स० म० बनर्जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमवार द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश में कितने इस्पात ढ़लाईघर खोले जायेंगे; और

(ख) इन ढ़लाईघरों की क्षमता कितनी होगी और उनपर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) द्वितीय योजना काल में १० इस्पात ढ़लाई घर खोले जाने हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ख) १० ढलाई घरों की कुल उत्पादन क्षमता ४४,८२० टन प्रति वर्ष है । इन पर कुल ६.५ करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । इस में फाउंडरी फोर्ज/प्लांट की लागत शामिल नहीं है जो कि सरकारी क्षेत्र में लागया जाने वाला है । चार यूनिट में चालू हो गये हैं और चार और १९५९ की समाप्ति तक लग जायेंगे । इस के अतिरिक्त चैकोस्लोवेकिया की सहायता से रांची में फाउंडरी फोर्ज की एक बहुत बड़ी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति

*५३०. श्री भक्त दर्शन : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था उस के सिलसिले में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Steel Foundries.

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : इस विषय पर दूसरे मंत्रालयों और प्लानिंग कमीशन की सलाह से विचार काफी हद तक पूरा हो चुका है । यह कोशिश की जा रही है कि फैसला लगभग अगले दो महीनों में किया जा सके ।

सिंगापुर को भारती वस्त्र का निर्यात

†*५३३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सिंगापुर ने भारतीय वस्त्र के आयात पर प्रतिबन्ध हटा दिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : सिंगापुर में भारतीय वस्त्र के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

प्रतिलिप्यधिकार करार[1]

†*५३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के सम न्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच प्रस्तावित प्रतिलिप्यधिकार करार के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई उतर उस के बाद मिला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रहीं है ।

चीनी दस्तों के कब्जे में भारतीय राज्यक्षेत्र

†*५३८. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश चीन सीमा पर भारतीय राज्य-क्षेत्र के कुछ भाग पर चीनी दस्तों ने कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो चीन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) हमें सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश-तिब्बत सीमा पर से सरदी के मौसम में जब हम ने अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया तो चीनी लोगों ने हमारे राज्य क्षेत्र के एक दो स्थानों पर कब्जा कर लिया । सरदी के मौसम में वहां पहुंचना सम्भव नहीं होता इसलिये इन सूचनाओं की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

(ग) हम चीनी प्राधिकारियों से बात चीत कर रहे हैं और आशा है कि दोनों सरकारों में करार हो जाने पर साधारण सीमा विवादों का निबटारा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Copyright Agreement.

शक्ति-चालित करघे

†*५३९. श्री झूलन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो कि :

(क) देश के हथकरघा क्षेत्र में अब तक कितने शक्ति-चालित करघे लगाये गये हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में वे चालू किये गये हैं और काम कर रहे हैं ;

(ग) हथकरघा उद्योग पर और विशेषकर उस में काम करने वाले लोगों पर उन का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) हथकरघा उद्योग में अब तक शक्ति-चालित करघे लगाने के लिये कितनी राजसहायता, ऋण और अनुदान दिये गये हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ३७५ ।

(ख) बम्बई, बिहार उड़ीसा और मद्रास राज्य में प्रयोगात्मक रूप से परिवर्तन करने की एक योजना चल रही है ।

(ग) अभी हथकरघा उद्योग पर शक्तिचालित करघों के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक बहुत कम विद्युत् करघे लगाये गये हैं ।

(घ) २,२९,३९,१९५ रुपये का ऋण दिया गया है और १९,९१,९०३ रुपये अनुदान के तौर पर ।

कोलम्बो योजना

†*५४०. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी उद्योगों को विशेषज्ञ टैक्नीकल मंत्रणा प्राप्त करने की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) कुल कितने उद्योगों ने यह विशेषज्ञ मंत्रणा प्राप्त की है; और

(ग) कितने उद्योगों ने यह मंत्रणा मांगी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विरवण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) गैर सरकारी उद्योगों को विदेशी टक्नीकल कर्मचारी प्राप्त करने में सहायता देने की व्यवस्था की गई है । वर्ष में एक बार उद्योग तथा व्यापार मंडलों के द्वारा उद्योगों से उन की विदेशी विशेषज्ञों की मांग का पता लगाया जाता है जिन की व्यवस्था टेक्नीकल सहकारिता मिशन/कोलम्बो योजना/संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक मंत्रणा करार जैसे विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है । जो प्रस्ताव प्राप्त होते हें उन की टैक्नीकल छानबीन करने के बाद उन पर कार्यवाही की जाती है ।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कोलम्बो योजना के अधीन एक ।

(ग) आठ और फर्मों ने कोलम्बो योजना के अधीन विशेषज्ञ मांगे हैं। इन के अतिरिक्त, दो विशेषज्ञ, एक खनन और एसबसटास तैयार करने के लिये और दूसरा "वार्फ डेरिक" और क्रेन तैयार करने के लिये, कुछ उद्योगों के लिये मांगे गये हैं।

फेनी नदी

†*५४१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री ८ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३० के उतर के सम्बन्ध में, जो त्रिपुरा (भारत) और पूर्वी पाकिस्तान के बीच फेनी नदी के बारे में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नदी सम्बन्धी विवाद में नवीनतम प्रगति क्या हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: पाकिस्तान सरकार ने बताया है कि भारत सरकार के साथ बातचीत करने से पहले वह मामले का अध्ययन करना चाहते हैं।

लौंग, लाख और रबड़ के सामान का निर्यात

†*५४३. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में अब तक भारत के लौंग, लाख और रबड़ के सामान के निर्यात में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) यदि १९५७-५८ की तत्स्थानी अवधि के निर्यात से तुलना की जाये तो १९५८–५९ में लौंग और लाख का निर्यात कम हुआ है और रबड़ के सामान का बढ़ा है।

(ख) लाख का निर्यात मूल्य कम हो जाने के कारण कम हो गया था और लौंग का स्थानीय खपत बढ़ जाने के कारण ।

लंका द्वारा बीड़ी के आयात में कमी

†*५४४. { **श्री सम्पत** :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार भारत से बीड़ियों के निर्यात में कोई कमी कर रही है;

(ख) क्या लंका और भारत में किसी व्यापारिक करार के फलस्वरूप ऐसा किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को तिरुनिवेली बीड़ी उत्पादक संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत और लंका में हुए एक व्यापारिक करार के अन्तर्गत लंका सरकार ने करार में उल्लिखित मात्रा की सीमा तक ही बीड़ी का आयात करने की अनुमति देना स्वीकार किया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

क्यूबा को मान्यता देना

*५४५. { **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री रघुनाथ सिंह** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने क्यूबा की नई सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्यूबा की सरकार के साथ इस समय भारत सरकार के किस प्रकार के दौत्य सम्बन्ध हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). हम ने लगभग २० जनवरी १९५९ को क्यूबा के नये शासन को मान्यता दी ।

(ग) हमारा संबंध दूतावास के स्तर पर है ।

हंगरी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध

†*५४६. **श्री काजो मतीन**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में हंगरी और भारत के बीच कुल कितना व्यापार हुआ; और

(ख) हंगरी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत बनाने के लिये संघ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत से हंगरी को १९५७ में २९.७ लाख रुपये का और जनवरी, नवम्बर, १९५८ में ५५.८ लाख रुपये का निर्यात किया गया। उसी अवधि में हंगरी से क्रमवार ७६.९ लाख और ५५.३ लाख रुपये का आयात किया गया था।

(ख) राज्य व्यापार निगम और भारत आये शिष्टमंडलों के द्वारा हंगरी की विदेशी व्यापार संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित हो गये हैं। अब दोनों देशों में व्यापारिक करारों में कुछ रूपभेद करने के बारे में बातचीत की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'अमृत पत्रिका' का बन्द हो जाना

†*५४८. **श्री साधन गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री आसर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के श्रम जीवी पत्रकार संघ और "अमृत बाजार पत्रिका" प्रेस कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन मिला है जिस में इलाहाबाद के 'अमृत पत्रिका' के बन्द हो जाने के बारे में कर्मचारियों और प्रबन्धकों का ब्यौरा बताया गया है और जिस में "अमृत बाजार पत्रिका" का इलाहाबाद संस्करण निकालने के लिये एक अलग उपक्रम बनाने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्हों ने यह मांग की है कि केन्द्रीय सरकार यह विवाद किसी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपे ।

(ग) यह विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में पड़ता है और वह इसे देख रही है ।

सिन्दरी में उर्वरक का लागत व्यय

†*५४६. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड में गत दो वर्ष की तुलना में उर्वरक के उत्पादन पर अधिक लागत आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन की लागत बढ़ने के मुख्य कारण ये हैं :

(१) कच्चे माल के मूल्य बढ़ जाना ।

(२) रेलवे द्वारा माल भाड़ा बढ़ाया जाना ।

(३) मजूरी में साधारण वृद्धि और कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम सहायता ।

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता के गोदी श्रमिक

†*५५०. { **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९५९ को कलकत्ता के बहुत से गोदी श्रमिकों ने काम रोक दिया जिस के कारण कुछ जहाजों में सामान लादने और उतारने का काम अंशतः रुक गया;

(ख) क्या यह सच है कि उन में कई अनाज वाले जहाज थे;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह हड़ताल हुई;

(घ) कितनी हानि हुई; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) प्रातःकाल पारी के लिये बुक किये गये १६४७ श्रमिकों में से ९८३ ने और बाद दोपहर की पारी के लिये बुक किये गये २६७६ श्रमिकों में से ५९४ ने काम रोक दिया परन्तु प्रदर्शन के पश्चात् वे काम पर आ गये थे।

(ख) अनाज के एक जहाज में सुबह काम रुका और एक में दोपहर के बाद ।

(ग) कुछ असन्तुष्ट व्यक्तियों ने गोदी श्रमिक बोर्ड के इस निर्णय का गलत अर्थ निकाला था कि पहचान पत्र पर क्रम संख्या की एक पर्ची लगा कर वह नम्बर स्पष्ट कर दिया जाये ।

(घ) आर्थिक हानि के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि काम न रोका जाता तो लगभग ७०० टन और अनाज जहाजों से उतारा जा सकता था ।

(ङ) बोर्ड द्वारा की जाने वाली किसी अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के अतिरिक्त उन श्रमिकों की समय के अनुसार मजूरी काट ली जायेगी जिन्होंने काम रोका था।

भारतीय साधारण चाय का निर्यात

†*५५१. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि संसार की मार्किट में साधारण चाय को अन्य उत्पादक देशों से काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विदेशों में इसकी खपत पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार साधारण चाय को और सहायता देने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). चाय की पैदावार करने वाले देशों में चाय का उत्पादन बढ़ जाने के कारण घटिया किस्म की चाय का बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रवृत्ति से हमारे साधारण चाय का उत्पादन करने वाले प्रदेशों, जैसे कि कचार, त्रिपुरा और तराई, के लिये बड़ी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ;

चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में विशेष छूट दी गई है। इन उपायों से साधारण किस्म की चाय प्रतिस्पर्धा के योग्य हो जायेगी। अभी और कोई सहायता देना आवश्यक नहीं है ।

कटिहर जूट मिल का बन्द होना

†*५५२. **श्री फ० गो० सैन** :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री झूलन सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहर जूट मिल बन्द हो गई है ;

(ख) इसके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) मिल को पुनः चालू करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) आर्थिक घाटे और अंशतः श्रम विवाद ।

(ग) लगभग १२०० ।

(घ) मिल की टैक्नीकल जांच करने से पता चला है कि मिल को तभी पुनः चालू किया जा सकता है जबकि उसके कताई विभाग में नये नमूने की मशीनें लगाई जायें। मिल के प्रबन्धकों को कुछ सुझाव दिये गये हैं जो यदि कार्यान्वित हो गये तो आधुनिक मशीनें लगाने के लिये उन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से सहायता मिल सकेगी ।

रूस को भारत का निर्यात

†*५५३. **श्री दलजीत सिंह** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारत से रूस को कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत में रूस से जो आयात किया गया उसका मूल्य क्या था ; और

(ग) रूस से आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). १९५८ के पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। पहले ११ मास में भारत से २१·५५ करोड़ रुपये का माल रूस भेजा गया और १९·१८ करोड़ रुपये का माल मंगवाया गया।

(ग) आशा है कि रूस के साथ नया व्यापारिक करार होने से दोनों देशों में सन्तुलित आधार पर व्यापार बढ़ेगा।

केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के लिये नई इमारतें

†*५५४. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन' ने केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के लिये पांच नई इमारतें बनाने की सिफारिश की हैं ; और

(ख) उस पर सरकार ने क्या निर्णय, यदि कोई हो, किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी हां। पांच इमारतों में से चार में केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के लिये और एक संसद् सचिवालयों के लिये।

(ख) इस सिफारिश को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

अन्दमान और निकोबार द्वीपों में रबड़ के बागान

†*५५५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ उत्पादन आयुक्त की सिफारिशों के अनुसार अब तक अन्दमान और निकोबार द्वीपों में रबड़ बागान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) निकोबार द्वीपों में जो २ लाख एकड़ भूमि उपलब्ध है उसमें से कितनी भूमि का प्रयोग गैर-सरकारी दलों द्वारा रबड़ के उत्पादन के लिये किया जा रहा है ;

(ग) क्या उन्हें कोई अन्तरिम सहायता देने का विचार है ; और

(घ) क्या कोई सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) रबड़ की काश्त के लिये ठोस योजनायें बनाने के लिये प्रतिवेदन अन्दमान और निकोबार के मुख्य आयुक्त को सौंप दिया गया है। मुख्य आयुक्त रबड़ की काश्त के लिये उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिये कर्मचारियों का एक दल नियुक्त करेगा।

(ख) इस समय निकोबार द्वीपों में रबड़ की काश्त नहीं होती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) अभी नहीं।

समवाय अधिनियम १९५६

†*५५६. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी समवायों को समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की शर्तों से क्यों मुक्त किया गया है जिनके अधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को अपने नाम के साथ शब्द 'प्राइवेट' लिखना होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: सरकारी समवायों जिनमें प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के तौर पर रजिस्टर की गई कम्पनियां भी शामिल हैं, की अंश-पूंजी सारी अथवा उसका अधिकांश सरकारी होता है। इन समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन संसद् अथवा सम्बन्धित राज्य विधान-मण्डलों के समक्ष रखने पड़ते हैं ताकि जनता को उनकी स्थिति का पता चल सके। इसलिये यह उपयुक्त और वांछनीय नहीं समझा गया कि उन्हें "प्राइवेट" कम्पनियां कहा जाये।

श्रम मंत्रणा समिति

†*५५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों के लिये त्रिपक्षीय श्रम मंत्रणा समितियां बनाने का प्रश्न किस अवस्था में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैसूर सरकार ने एक श्रम मंत्रणा समिति नियुक्त की है। मध्य प्रदेश के बारे में स्थिति वही है जो ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ के उत्तर में बताई गई थी।

पटसन का उत्पादन

†*५५८. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री जोनचन्द्रन् :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के मौसम में मेस्टा समेत पटसन के उत्पादन का लगभग अनुमान क्या है ;

(ख) क्या यह उत्पादन भारतीय मिलों की खपत के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान से पटसन का आयात बन्द करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पटसन के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन के अनुसार पटसन की पैदावार ५१.७८ लाख गट्ठे होगी । मेस्टा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु द्वितीय अखिल भारतीय प्राक्कलन के अनुसार ८.१७ लाख एकड़ भूमि में मेस्टा की काश्त की गई है ।

(ख) मात्रा के लिहाज़ से तो यह पर्याप्त है परन्तु बढ़िया किस्म की नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । आयात केवल उन्हीं प्रकार की पटसन का किया जाता है जो भारत में नहीं होतीं और जो विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिये अत्यन्त आवश्यक होती हैं ।

पाकिस्तान के साथ सीमा व्यापार

†*५५९. **श्री उस्मान अली खां :**
श्री द्वारिका ना० तिवारी :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुपकार :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ पुनः सीमा व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इसके लिये बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). जी नहीं ।

१९५७–५८ में दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन

*५६०. **श्री वाजपेयी** : क्या **योजना** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन इस बीच तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में हुई प्रगति का समीक्षा-पत्र तैयार हो रहा है ।

(ख) जी, हां ।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में गैर-सरकारी निदेशक

†*५६१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और निगमों के निदेशालयों और प्रबन्ध में गैर-सरकारी लोगों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में १९५८--५९ में की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें एक से अधिक निगम में रखे जाने वाले व्यक्तियों के नाम और ऐसा करने के कारण बताये गये हों ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडो`शिया में भारतीय

†*५६२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि दिसम्बर, १९५८ में इण्डोनेशियाई सरकार ने समुद्रपार देशों के लिये सुमात्रा छोड़ने वाले व्यक्तियों पर चाहे वे इण्डोनेशियाई हों अथवा विदेशी---पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगा दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितने भारतीयों पर असर पड़ा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) जी हां । यह समाचार मिला है कि इण्डोनेशियाई सरकार ने सुमात्रा के उन लोगों पर जो सिंगापुर जाने वाले थे, अस्थायी प्रतिबन्ध लगा दिया था । बताया जाता है कि यह प्रतिबन्ध एक सप्ताह तक चलने के पश्चात् २८ दिसम्बर, १९५८ को उठा लिया गया था ।

(ख) हमें कोई जानकारी नहीं है किन्तु संभवतः कुछ भारतीयों पर असर पड़ा होगा ।

गुड़ का निर्यात

†*५६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी-पूर्वी एशिया और लंका को गुड़ का निर्यात बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष निर्यात की क्या संभावनायें हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) संभावनाओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

ऐण्टी आक्सीडेण्ट्स

†*५६४. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में कोई ऐण्टी-आक्सीडेण्ट व्यापार करने के लिये तैयार किया जाता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक ऐण्टी आक्सीडेण्ट की कुल कितनी आवश्यकता होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं, किन्तु, सरकार ने इस प्रकार के कुछ रसायन कलकत्ता के अल्कली केमिकल कारपोरेशन द्वारा तैयार करने की योजनायें स्वीकृत की हैं। सहयोग की शर्तें तथा मशीनों के आयात आदि की शर्तों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) रबड़ का सामान बनाने के उद्योग के इस्तेमाल के लिये लगभग ८५० से ९०० टन प्रति वर्ष और वनस्पति उद्योग के लिये लगभग ३०.२ टन की आवश्यकता होगी। खनिज तेल उद्योग की आवश्यकता सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राज्य व्यापार निगम

†*५६५. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विमल घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने जापान के सूती वस्त्र की मशीनें बनाने वालों, जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य तथा ज़ेकोस्लोवाकिया से विभिन्न प्रकार की सूती कपड़े की मशीनों के संभरण के बारे में करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा जेकोस्लोवाकिया से किये गये करारों में भारतीय रुपयों में ४ वर्षों के लिये आस्थगित भुगतान करने का उपबन्ध है, जिसका उपयोग विशिष्ट भारतीय सामान खरीदने में किया जाने वाला है। जापान के मामले में आस्थगित भुगतान की शर्त पांच वर्षों के लिये है और भुगतान जापानी सिक्के येन में किया जायेगा।

करार निम्न काल तक मान्य रहेगा :—

जापान . .	४-२-६०
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	३०-६-६३
ज़ेकोस्लोवाकिया	६-१-६०

कार्यान्विति समिति

†*५६६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों ने जिन्होंने राज्य और स्थानीय निकायों के स्तर पर अभी तक कार्यान्विति समितियों की स्थापना नहीं की है उन्होंने उनकी स्थापना करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जिन राज्यों ने अभी तक कार्यान्विति समितियों की रचना अन्तिम रूप से नहीं की है वे आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना का प्रचार

†*५६७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपने योजना प्रचार के तरीकों के परिणामों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो वे परिणाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). योजना प्रचार के दौरान में इन वर्षों में सरकार को जो कुछ अनुभव हुआ है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दृश्य श्रव्य माध्यम जैसे फिल्म हमारी स्थितियों के लिये सबसे अधिक अच्छा सिद्ध हुआ है। प्रदर्शनियां भी जनता के लिये लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। प्रत्येक माध्यम एकक में एक मूल्यांकन अनुभाग स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है जो आपके द्वारा जारी किये गये उपकरणों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाया करेगा।

सम्पूर्ण पता लगाने में कुछ समय लगेगा।

रांची में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना का सुझाव

*५६८. **श्री वाजपेयी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर तथा अन्य बनवासी क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये रांची में एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर (लघु तरंग प्रेषित्र) लगाने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). एक कम ताकत वाला ३५० वाट्स का शार्ट वेव ट्रांसमीटर पहिले ही २७-७-१९५७ से रांची में लगा हुआ है। इससे दक्षिणी बिहार तथा बनवासी क्षेत्रों के भाग की आवश्यकता पूरी होती है। इसकी जगह जल्दी ही एक २ किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगा दिया जायगा।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†६६६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल करने के लिये पंजाब में अभी कितने श्रमिक और रह गये हैं; और

(ख) इन श्रमिकों के लिये यह योजना कब लागू होगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) लगभग २१,०००।

(ख) १९५९–६० में लगभग १,९५,००० मज़दूरों के शामिल किये जाने की आशा है।

पंजाब में गृह-निर्माण

†६६७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार द्वारा १९५८–५९ में विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अधीन आवंटित राशि में से कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

थोक डिपो

†६६८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पाद बेचने के लिये (राज्यवार) अब तक कितने थोक डिपो खोले गये हैं ; और

(ख) देश में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल से १९५८–५९ में कितना मुनाफा और नुकसान हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]**

व्यापार मेले

†६६९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में १९५७–५८ में ऐसे कितने व्यापार मेले हुये और उनके क्या-क्या नाम थे जिनमें भारत ने भाग लिया था ;

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) इस प्रकार भाग लेने से कितना व्यापार हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) प्रदर्शनी निदेशालय भारतीय निर्यातकों और निर्माताओं को भारतीय उत्पादों में विदेशों में भाव रखने वाले उपभोक्ताओं और आयातकों को प्रोत्साहन देने की सुविधायें देता है। प्रदर्शनी देखने वालों द्वारा किये गये करार के बारे में जानकारी संकलित करना संभव नहीं है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों का निर्यात

†६७०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]**

राज्यों को सहायता

†६७१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में (राज्यवार) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को छोटे पैमाने के उद्योगों में ऋण और अनुदान के रूप में कितनी राशि वितरित की गई ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: १९५७-५८ में उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम तथा अन्य जो विनियम लागू हैं उनके अधीन राज्य सरकारों को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण के रूप में वितरित करने हेतु स्वीकृत और जारी की गई ऋण राशि संबंधी राज्यवार विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]** छोटे पैमाने के उद्योगों में वितरण के लिये राज्य सरकारों को अनुदान नहीं दिया जाता।

राष्ट्रपति की मलाया यात्रा

†६७२. **श्री राम कृष्ण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति की मलाया यात्रा पर कितना व्यय किया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : राष्ट्रपति की मलाया फेडरेशन की यात्रा पर परिवहन व्यय को छोड़ कर १०,१९४ रुपये व्यय हुआ था।

बम्बई में दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र

†६७३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई राज्य के लिये कितने दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये मंजूरी मिल गई है और वे कहा-कहां पर होंगे ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्र पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

बिना बिका हथकरघे का सामान

†६७४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र और सहकारिता के क्षेत्र में इस समय कितना बिना बिका हथकरघे का सामान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सहकारिता के क्षेत्र में ३० नवम्बर, १९५८ को ३५.४४ लाख गज जिसका मूल्य ३९.८३ लाख रुपये है; सहकारिता के बाहर के क्षेत्र संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में टेक्निकल प्रशिक्षण

†*६७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को १९५८-५९ में टेक्निकल प्रशिक्षण के विकास के लिये सहायतानुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) किन-किन मदों में उसका इस्तेमाल किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) पंजाब राज्य की सरकार को १९५८-५९ में टेक्निकल प्रशिक्षण के विकास के लिये सहायतानुदान के रूप में १२,२७,६०० रुपये की राशि देने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राशि का इस्तेमाल निम्न मदों में किया जा रहा है :—

(१) शिल्पिकों का प्रशिक्षण . . . . १२,००,००० रुपये

(२) औद्योगिक श्रमिकों के लिये सान्ध्य कालीन कक्षायें . ७,६०० रुपये

(३) राष्ट्रीय शिशिक्षु योजना . . २०,००० रुपये ।

दिल्ली में शरणार्थियों के लिये गीता कालोनी

†६७६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी नगर, दिल्ली के निकट शरणार्थियों की गीता कालोनी में नाली, सड़कों और बिजली के कनेक्शनों की समुचित व्यवस्था करने के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** कालोनी के मूलभूत १०० एकड़ के क्षेत्र में सड़कें और नालियां पूरी बन चुकी हैं । कालोनी के १०० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में जून, १९५९ तक नालियों के पूरी हो जाने की आशा है । इस क्षेत्र में सड़कों के बनाने के काम के सौंपने के बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है । बरसाती पानी निकालने के लिये स्थायी प्रबन्ध करने के लिये संभरण तथा निबरान महानिदेशक के पास पम्पों के लिये आदेशयम दिया जा चुका है, जिनके अप्रैल, १९५९ तक प्राप्त हो जाने की आशा है । सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के बारे में पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार हो चुका है जिसकी केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग प्राधिकार द्वारा जांच की जा रही है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब

†६७७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५८-५९ में पंजाब के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) १९५९-६० में बोर्ड को कितनी राशि देने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पंजाब के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को १९५८-५९ में ११८·८९ लाख रुपये अनुदान के रूप में और ५७.९३ लाख रुपये ऋण के रूप में आवंटित किये हैं ।

(ख) इस समय राशि बताना संभव नहीं है क्योंकि १९५९—६० का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से नहीं बन सका है । निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा ।

रेडियो सक्रियता

†६७८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अप्रैल, १९५७ में रेडियो सक्रियता जो सबसे अधिक बताई गई थी उसमें कुछ और भी परिवर्तन हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या उससे जनता के स्वास्थ्य को कोई खतरा हो सकता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जनवरी, १९५९ तक वायु में सबसे अधिक रेडियो सक्रियता की धूल जिसका पता लगाया है, वह वायु के प्रतिघन मीटर में २०.२२ माइक्रोमाइक्रो क्यूरी है। यह २७ अक्तूबर, १९५८ को दिल्ली में रिकार्ड किया गया था अभी तक भारत में सभी केन्द्र पर रिकार्ड किये गये आंकड़ों में से यह सबसे अधिक है जो अधिकतम सीमा से काफी कम है।

भारत और जापान के बीच व्यापार

†६७९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १००३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और जापान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २७ अगस्त, १९५८ के प्रश्न संख्या १००३ के उत्तर में बताये गये उपायों के साथ ही भारत और जापान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये निम्न और उपाय किये गये हैं :—

(१) भारत जापान के साथ व्यापार के लिये व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौते के अनुच्छेद ४५ को लागू नहीं करेगा।

(२) टोकियो में मई, १९५९ में होने वाले तृतीय टोकियो अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने का निश्चय कर लिया गया है।

(ख) परिणामों का अभी तक पता नहीं लग सकता।

पंजाब में खादी का उत्पादन

†६८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५८ में प्रतिमास कितनी खादी तैयार की गई ; और

(ख) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]** जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें अम्बर तथा परम्परागत खादी कार्यक्रम के अधीन तैयार की गई खादी के भी आंकड़े शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग परम्परागत एवं अम्बर खादी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये वित्तीय और टैक्निकल दोनों प्रकार की सहायता देता है।

उत्पादन की मात्रा और किस्म दोनों प्रकार से सुधार करने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:—

(१) कच्ची कपास खरीदने के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधायें देना ;

(२) फुटकर बिक्री पर छूट, उत्पादन तथा संस्थाओं द्वारा की गई खरीद पर राज्य सहायता देना तथा आत्म-निर्भरता के आधार पर किये गये उत्पादन पर राज्य सहायता देना ;

(३) औजारों के लिये राज्य सहायता देना ;

(४) कताई प्रतिद्वंदिता प्रदर्शनियों, प्रदर्शनों आदि के द्वारा प्रचार करना ;

(५) खादी केन्द्रों को परामर्श देने और उनका निरीक्षण करने के लिये भ्रमण-कारी दल भेजना ;

(६) अल्प-कालिक पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वारा श्रमिकों को कताई और बुनाई में प्रशिक्षण देना ;

(७) तकनीक और औजारों में सुधार संबंधी गवेषणा के लिये सुविधायें देना ;

(८) बुनकरों को प्रशिक्षण और बुनकर मास्टरों की नियुक्ति ;

(९) उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसरण सेवाएं और विशेषकर अम्बर-चर्खा पर।

रोजगार नमूना सर्वेक्षण

†६८१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग के सहयोग से चलाया गया रोज़गार नमूना सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मैसूर में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं पर व्यय

†६८२. **श्री सिदय्या :** क्या **योजना** मंत्री २ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के बारे में योजना मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने के संबंध में संसद-कार्य मंत्री द्वारा १२ दिसम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(क) क्या मैसूर राज्य के लिये १९५७-५८ में केन्द्र द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं पर व्यय का ब्योरा अब उपलब्ध हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**श्रम, रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). जी नहीं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर के लिये ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनायें

†६८३. **श्री सिदय्या** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के लिये १९५८-५९ में ग्राम्य गृह-निर्माण की कितनी योजनाएं तैयार की गई हैं और उनके लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी परियोजनायें आवंटित करने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) मैसूर राज्य को ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना संबंधी योजना के अधीन १९५८-५९ में ७५ गांवों का आवंटन किया जायेगा और ३.७५ लाख रुपये की सहायता दी जायेगी।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने के लिये सभी ७५ गांव ले लिये गये हैं।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मैसूर राज्य सरकार को कुल २५० गांव आवंटित किये गये हैं।

काम दिलाऊ दफ्तर

†६८४. **श्री सिदय्या** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में १९५७-५८ और १९५८-५९ के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के (३१ जनवरी, १९५८ तक) चालू रजिस्टरों में कितने बेरोज़गार स्नातक, इण्टरमीडियेट, मैट्रीक्युलेट तथा अन्य लोग दर्ज थे और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के कितने व्यक्ति थे ; और

(ख) उपर्युक्त काल में कितने व्यक्तियों को काम मिल गया और उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या क्या थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जानकारी नीचे दी गई है । ३१ जनवरी, १९५९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्रेणी	३१–१२–५७ तक चालू रजिस्टर में दर्ज लोगों की संख्या			३१–१२–५८ तक चालू रजिस्टर में दर्ज लोगों की संख्या		
	योग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जतियां	योग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१	२	३	४	५	६	७
स्नातक	१,७३७	१४	–	१,६५६	३	२
मैट्रीक्युलेट (जिन में इंटरमीडियेट भी शामिल हैं)	११,४८४	४७३	९	१४,९०७	६६२	९
अन्य . .	१५,८३९	२,२४७	२२	२३,९४४	३,८०१	१५
योग .	२९,०६०	२,७३४	३१	४०,५०७	४,६६६	२६

(ख) जानकारी विवरण १ और २ में नीचे दी गई है:—

विवरण १

१९५७-५८ और १९५८-५९ में काम दिलाये गये शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या :—

श्रेणी	जितने लोगों को इस काल में काम दिलाया गया	
	१९५७-५८	१९५८-५९ (अप्रैल-दिसम्बर)
१	२	३
स्नातक	४०९	३९९
मैट्रिक्युलेट्स (जिनमें इण्टरमीडियेट भी शामिल हैं)	१,६७९	२,००९
अन्य . . .	२,७१०	२,७९५
योग . .	४,७९८	५,२०३

†मूल अंग्रेजी में

विवरण २

१९५७-५८ और १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जितने उम्मीदवारों को काम मिला :—

श्रेणी	जिनको इस समय में काम मिला	
	१९५७-५८	१९५८-५९ (अप्रैल-दिसम्बर)
१	२	३
अनुसूचित जातियां . .	७९१	६८५
अनुसूचित आदिम जातियां . .	२०	१५

कपास

†६८५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में विभिन्न देश से ब्योरेवार कुल कितनी कपास का आयात किया गया तथा उसमें से लम्बे रेशे वाली कपास की मात्रा कितनी थी ; और

(ख) आयात की गई कपास में से उपर्युक्त वर्षों में भारत से निर्यात किये गये वस्त्रों के रूप में अनुमानतः कितनी कपास का उपयोग किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) भारत प्रभुत्व रूप से मोटा और मध्यम दर्जे का कपड़ा निर्यात करता ह । थोड़ी विदेशी कपास में देशी कपास मिलाकर मध्यम दर्जे का कपड़ा तैयार करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है । निर्यात किये गये सूती वस्त्रों में कितनी विदेशी कपास लगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं ।

वस्त्र निर्यात संवर्द्धन योजना

†६८६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र निर्यात संवर्द्धन योजना का ब्योरा क्या है और उसके अधीन कितनी रूई का आयात किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रकार आयात की गयी रूई पर किस ढंग से नियंत्रण रखा जाता है ; और

(ग) क्या इस आशय की कोई शर्त है कि निर्यात किये जाने वाले वस्त्र में कुछ प्रतिशत आयात की गयी रूई का भी इस्तेमाल होना चाहिये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) योजना का व्यौरा, जिसमें आयात की गयी रूई का व्यौरा भी शामिल ह, देने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या ८७-आई०टी०सी० (पी० एन)/५८, ८८-आई०टी०सी० (पी० एन०)/५८, दिनांक ३१–१०–१९५८, ९१-आई० टी० सी० (पी० एन०) ५८/५८, दिनांक ५–११–१९५८, प्रेसनोट दिनांक २२–११–१९५८ और सार्वजनिक सूचना संख्या १०-आई०टी०सी० (पी० एन०)/५९, दिनांक १०–२–१९५९ लोक-सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

२२–११–५८ के प्रेसनोट में रूई के आयात के संबंध में योजना का जो व्यौरा दिया हुआ है उसमें बम्बई के आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की १६ फरवरी, १९५९ की घोषणा के द्वारा रूपभेद कर दिया गया है । पुनरीक्षित योजना की मुख्य विशेषतायें नीचे दी जाती हैं :—

(१) सूती कपड़े या सूत का निर्यात करने वाली मिलों का अपने निर्यात के नौतल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के ६० प्रतिशत के बराबर आयात करने की अनुमति दी जायेगी । यह आयात जनवरी-मार्च, १९५९ की तिमाही से आरम्भ हो जायेगा ।

इस योजना के अधीन मिलें जितनी रूई का आयात करने की अधिकारी होंगी वे कुल अनुमत परिमाण के १० प्रतिशत के बराबर रूई अपने इस्तेमाल के लिये आयात कर सकेंगी और रख सकेंगी—किस-किस श्रेणी की रूई का आयात किया जा सकेगा यह वस्त्र आयुक्त समय-समय पर बतायेंगे । शेष परिमाण को उन शर्तों और निबंधनों पर वस्त्र आयुक्त के सुपुर्द कर दिया जायेगा जो वे समय समय पर निर्धारित करें ।

(२) पात्र मिलों को जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून की दोनों तिमाहियों में प्रत्येक के लिये ६$^1/_3$ प्रतिशत अतिरिक्त आयात करने की अनुमति दी जायेगी ।

बम्बई के आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की घोषणा की एक प्रति शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विदेशी रुई का आयात करने की अनुमति केवल उन्हीं मिलों को दिया जाता है जो वास्तव में उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें इस बात की कोई बन्दिश नहीं है कि इस रूई का उपयोग किसी विशेष प्रकार की वस्तुयें बनाने के लिये ही किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस आशय की कोई शर्त्त नहीं है कि मिलें निर्यात किये जाने वाले कपड़े में इस रुई का इस्तेमाल करें। फिलहाल यह शर्त्त लागू करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

ब्रिटेन को वस्त्र का निर्यात

†६८७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों में ब्रिटेन को कितने मूल्य के कितने वस्त्र का निर्यात किया गया;

(ख) ब्रिटेन भारतीय वस्त्रों का उपयोग किस प्रयोजन के लिये करता है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन कितने भारतीय वस्त्रों का परिष्करण कर उनका फिर से निर्यात कर देता है; और

(घ) मुख्य रूप से किन-किन किस्मों के वस्त्रों का ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है और उनमें आयात की हुई रुई का लगभग कितना अंश रहता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५६, १९५७ और १९५८ में ब्रिटेन को निर्यात किये गये वस्त्रों का परिमाण और मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

	परिमाण हजार गजों में	मूल्य हजार रुपयों में
१९५६	९१,८२०	६,९०,५५
१९५७	१५१,१०९	११,०५,२३
१९५८ (नवम्बर तक)	९२,९५६	६,९४,८२

(ख) खुद अपने इस्तेमाल और पुनर्निर्यात के लिये ।

(ग) सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

(घ) ब्रिटेन को वस्त्र का निर्यात प्रायः भूरे बिना धुले हुए कपड़े तक ही सीमित है जिसमें आयात की हुई रुई बिल्कुल नहीं होती ।

घड़ियों का निर्माण

†६८८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियों का निर्माण आरम्भ करने के लिये सरकार ने स्विस या अन्य घड़ी निर्माताओं का प्रविधिक सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**:(क) जी हां; विदेशों के विश्वस्त घड़ी निर्माताओं का, जिनमें स्विजरलैण्ड के घड़ी निर्माता भी शामिल हैं, प्रविधिक सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रविधिक सहयोग के किसी भी प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं प्रदान किया जा सका है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राजस्थान में हथकरघा उद्योग

†६८९. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन स्थानों में हथकरघा उद्योग के शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर हथकरघा उद्योग के गवेषणा और डिजायन केन्द्रों की स्थापना की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) राज्य सरकार ने खबर दी है कि १२० सामुदायिक विकास खण्डों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कोटा के लिये एक आदर्श हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र मंजूर किया गया है।

(ख) एक भी नहीं।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग

†६९०. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीरोद्योगों के विकास के लिये कुछ योजनायें मंजूर की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितनी राशि व्यय की जाने वाली है; और

(ग) ये योजनायें किस प्रकार की हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार चालू योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल नयी योजनाओं के सम्बन्ध में प्रविधिक अनुमोदन आवश्यक होता है। आगामी वर्ष के लिये यह अनुमोदन अभी नहीं प्रदान किया गया है।

(ख) १९५९-६० के लिये राजस्थान की वार्षिक योजना पर विचार करते समय योजना आयोग ने विभिन्न ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये निम्नलिखित व्यय मंजूर किये थे :—

	केन्द्रीय सहायता	(लाख रुपयों	में)
	ऋण	अनुदान	जोड़
१. हथकरघा	२.९४	५.८८	८.८२
२. छोटे पैमाने के उद्योग	१७.५०	६.५०	२४.००
३. औद्योगिक बस्तियां	१५.००	—	१५.००
४. दस्तकारी	१.५०	३.५०	५.००
५. रेशम कीट पालन	—	०.०१	०.०१
६. खादी तथा ग्रामोद्योग*	—	—	—
जोड़	३६.९४	१५.८९	५२.८३

*खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अभी केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १६५६-६० की राज्य विकास योजना में, जिस के लिये केन्द्रीय सहायता तय हो गयी है, शामिल की जाने वाली योजनाओं का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

आकाशवाणी को हुई हानि

†६६१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो स्टेशनों और रेडियो प्रकाशनों पर प्रतिवर्ष आकाशवाणी को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घाटे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या वह करने वाली है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). इस समय आकाशवाणी के जो प्रपत्र लेखे संकलित किये जाते हैं उनसे पता चलता है कि रेडियो स्टेशनों और रेडियो-प्रकाशनों पर घाटा हो रहा है। इस की बहुत कुछ वजह यह है कि रेडियो स्टेशनों और रेडियो प्रकाशनों के प्रपत्र लेखे जिस ढंग से रखे जाते हैं उसमें एक विकासोन्मुख सेवा के रूप में आकाशवाणी की विशेष कार्यक्रमों का ध्यान नहीं रखा जाता जिसमें प्रतिकार पाये बिना भी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। आकाशवाणी को एक वाणिज्यिक विभाग समझा जाता है और उसमें महानिदेशालय, गवेषणा विभाग, गायन—तथा नाटक डिवीजन और शिमला की मॉनिटरिंग सर्विस को शामिल नहीं किया जाता। एक ओर तो प्रपत्र लेखों में महानिदेशालय पर होने वाले व्यय का आधा अंश केन्द्रीय राजस्व के महालेखा पाल द्वारा प्रति वर्ष अनुमोदित किये जाने वाले अनुपात में बांट दिया जाता है और गवेषणा विभाग का आधा व्यय रेडियो स्टेशनों के प्रपत्र लेखों में जोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर इस बात का कुछ भी श्रेय नहीं दिया जाता कि आकाशवाणी से भारत सरकार के अन्य विभागों से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं और इन के लिये आकाशवाणी को बदले में कुछ नहीं मिलता, (२) विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य होते हैं और (३) निदेशालय तथा गवेषणा विभाग पर, जिन्हें सेवा विभाग माना जाता है, व्यय होता है। यदि इन मदों पर होने वाला व्यय निकाल दिया जाये और रेडियो तथा उसके उपकरणों से होनेवाली सीमा-शुल्क सम्बन्धी आय प्रपत्र-लेखों में जोड़ दी जाय तो पता चलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल भी घाटा नहीं हुआ है या यदि घाटा हुआ भी है तो वह नगण्य है। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में इस ढंग से हिसाब लगाने के बाद की स्थिति दर्शायी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक रेडियो पत्रिकाओं में होने वाले घाटे का सम्बन्ध है, उस का कारण यह है कि प्रधान कार्यालय का संस्थापन-खर्च तो देना ही होता है, ऊपर से बिक्री कम है । विज्ञापनों से आय भी कम ही होती है और उनका उत्पादन-व्यय बढ़ गया है ।

(ग) विकास कार्य-क्रम पूरे होने के बाद आकाशवाणी की वित्तीय स्थिति बिल्कुल दूसरा ही चित्र प्रस्तुत करेगी । यह भी आशा की जाती है कि लाइसेंसों की संख्या बढ़ जायेगी और इससे अतिरिक्त आय होने लगेगी । जहां तक व्यवहार्य होगा खर्च में बचत भी की जायेगी ।

जहां तक रेडियो-पत्रिकाओं में होने वाले घाटे का प्रश्न है, उनके खर्च में बचत करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि उनका आकार कम कर दिया जाय, सस्ते कागज का इस्तेमाल किया जाय, उनके कलेवर में सुधार किया जाय, विज्ञापन शुल्क का पुनरीक्षण किया जाय, कुछ कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाय और कुछ पत्रिकाओं की कीमत बढ़ा दी जाय । यह भी निश्चय किया गया है कि जिन क्षेत्रों की पत्रिकायें घाटे में चल रही हैं उनमें यदि कार्यक्रमों के प्रकाशन के लिये संतोषजनक प्रबन्ध हो सके तो इन पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द कर दिया जाय ।

कर्मचारियों की भर्ती

†६६३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के नियोजकगण अक्सर ऐसे व्यक्तियों को रोजगार दे देते हैं जिनके नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज नहीं होते ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है कि सरकारी क्षेत्र में उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाय जिनके नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज हों ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं । अक्सर ऐसा नहीं होता । लेकिन, केन्द्रीय सरकार के कुछ प्रतिष्ठान, कुछ राज्य सरकारें और कुछ अर्द्ध-सरकारी और संविहित तथा स्थानीय निकाय अभी काम दिलाऊ दफ्तरों की ही मार्फत भर्त्ती करने के लिये राजी नहीं हुए हैं ।

(ख) इन सभी के सम्बन्ध में संबंधित मंत्रालयों राज्य सरकारों और अर्द्ध-सरकारी संगठनों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे काम दिलाऊ दफ्तरों की सेवाओं का और भी पूरी तरह उपयोग करें । इस सम्बन्ध में इस आशय का विधान बनाने का भी विचार किया जा रहा है । जिसके अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी नियोजकों को काम-दिलाऊ दफ्तरों को अपने यहां के सभी रिक्त स्थानों की सूचना देनी पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

†*६९४. { श्री राम कृष्ण :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री दे० वें० राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर और इन्दौर की जो कपड़ा मिलें बन्द हो गयी हैं उनकी वर्त्तमान अवस्था की जांच करने के लिये क्या कुछ विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने इनमें सुधार के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी नहीं। लेकिन कानपुर की एथर्टन वेस्ट मिल्स के, जो १ अप्रैल, १९५८ को बन्द हो गयी थी, और इन्दौर की कल्याण-मल मिल्स के, जिसके बन्द होने की संभावना थी, सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अधीन तदर्थ जांच समितियां नियुक्त की गयी थीं।

(ख) इन समितियों ने सुधार के लिये कुछ कार्यवाही का सुझाव दिया है और उन पर विचार किया जा रहा है।

मशीनों और उपकरणों का निर्माण

†६९५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मशीनों और उपकरणों के, जिनका अब भी आयात होता है, निर्माण की योजना बनाने के लिये स्थायी समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव इस समय किस प्रक्रम पर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

नारियल जटा उद्योग में श्रमिक

†६९६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को नौकरी की शर्त्तों के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गयी थी ;

(ख) क्या इसने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हाल के वर्षों में तो कोई समिति नियुक्त नहीं की गयी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ईराक को भारतीय वस्त्रों का निर्यात

†६९७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की सख्त होड़ के कारण ईराक को भारतीय वस्त्रों का निर्यात कम हो गया है और कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले ६ महीनों में उसमें कितनी कमी हुई है ; और

(ग) निर्यात में इस गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । हमारे निर्यात में कुछ कमी हुई है । पता चला है कि इसी अवधि में ईराक को जापान के निर्यात में कुछ वृद्धि हो गयी है ।

(ख) जून-नवम्बर, १९५८ में भारत ने ईराक को १८ लाख गज़ वस्त्र का निर्यात किया जब कि १९५७ की इसी अवधि में २९ लाख गज वस्त्र का निर्यात किया गया था । ११ लाख गज की कमी हो गयी है ।

(ग) बम्बई की सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने बगदाद में एक समुद्र-पार कार्यालय की स्थापना की है । पिछले वर्ष परिषद् ने उस बाज़ार क्षेत्र में भारतीय वस्त्रों का दृश्य-श्रव्य प्रचार करने के लिये बगदाद में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था । भारत सरकार भी मार्च, १९५९ में बगदाद में एक और प्रदर्शनी कर रही है ।

वस्त्र उद्योग होड़ ले सकने योग्य मूल्यों पर अच्छी किस्म के वस्त्रों का उत्पादन करने के लिये सतत कार्यवाही कर रहा है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

†६९८. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने की जो योजना लागू की गयी है उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) यह योजना अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है इसलिये अभी से इसके परिणामों का निर्णय नहीं किया जा सकता।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषतायें श्रम-प्रबन्ध सहकारिता सम्बन्धी विचारगोष्ठी सम्बन्धी पुस्तिका में दिये हुए हैं और इसकी एक प्रति २२ अप्रैल, १९५८ को लोक-सभा पटल पर रख दी गयी थी।

मराठवाड़ा के समवाय

†६९९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में मराठवाड़ा के कुछ समवायों का दिवाला निकल चुका है और कुछ परिसमापकों के खिलाफ शिकायतें दायर की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन समवायों और उनके परिसमापकों के नाम क्या हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५६-५७ में बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के दो समवायों का परिसमापन हुआ। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में उस क्षेत्र के किसी समवाय का परिसमापन नहीं हुआ है। परिसमापित उपर्युक्त दोनों समवायों में से एक के परिसमापक के खिलाफ शिकायत दाखिल की गयी है।

(ख) दि जनता मोटर सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड; श्री ए० ए० कोपे।

(ग) बम्बई में चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में अभी कार्यवाही चल रही है।

कर्म-समितियां

†७००. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी कपड़ा मिलों में कर्म समितियां कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या कुछ कपड़ा मिलों ने कर्म समितियों की स्थापना करने से इंकार कर दिया है ; है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मिलों के नाम क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

पांडेचरी

†७०१. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पांडेचेरी में १९३५ या उसके आसपास के समय का एक फ्रेंच कानून लागू है जिससे प्रायः स्थायी रूप से सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ; और

(ख) इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २३ अक्तूबर, १९३५ के फ्रांसीसी कानून के अधीन, जिसे १९४७ के एक और कानून द्वारा पांडिचेरी पर लागू किया गया था, सड़कों पर सभी प्रकार की सभायें करने पर प्रतिबन्ध है। इस के अधीन यह अपेक्षित है कि सार्वजनिक सड़कों पर जलूसों और सामान्य सभाओं की अनुमति के लिये मेयर से प्रार्थना की जाय। यदि मेयर को किसी सार्वजनिक अव्यवस्था का डर हो तो वह ऐसे जलूस या सभाओं पर रोक लगा सकता है। जो भी हो, मेयर को २४ घंटे के भीतर वह अर्जी और उसके बारे में अपने आदेश चीफ़ कमिशनर को भेजने चाहियें। चीफ़ कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह मेयर के आदेशों में परिवर्त्तन कर दे या उनका खंडन कर दे।

जहां तक सार्वजनिक सड़कों से बाहर सभायें करने का प्रश्न है, पांडिचेरी के कानूनों के अनुसार उस भूमि के स्वामी की अनुमति होनी चाहिये। इस प्रकार सरकार अथवा नगर-पालिकाओं की जमीन के लिये सरकारी अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

सभाओं या जलूसों पर कोई स्थायी प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन जब सार्वजनिक अव्यवस्था का डर होता है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) वर्त्तमान पद्धति में सुधार करने के लिये अभी कुछ भी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। पांडिचेरी एक भीड़भाड़ वाला शहरी क्षेत्र है और अधिकारियों को संभावित अव्यवस्थाओं से बच कर रहना होता है। निर्वाचन के समय के आसपास यह खतरे और भी बढ़ जाते हैं। पांडिचेरी के आगामी निर्वाचन अप्रैल-मई, १९५९ में होने की आशा है और इसके पूरे होने के बाद स्थिति पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

मलाया में भारतीय

†७०२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया में ११२० व्यक्तियों को औपनिवेशिक नागरिकता से वंचित कर दिया गया था ; और

(ख) क्या इनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं। हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार ३१ अगस्त, १९५७ के बाद से ३३ व्यक्तियों को विभिन्न कारणों के आधार पर मलाया की नागरिकता से वंचित किया गया है।

(ख) उपर्युक्त ३३ व्यक्तियों में ११ मूलरूप से भारतीय बताये जाते हैं।

सीमावर्ती घटना

†७०३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार के डिप्टी कमिश्नर ने सिलहट के डिप्टी कमिश्नर को ७ जनवरी, १९५९ को पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोलीवर्षा के विरोध में कड़ा विरोध-पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस उत्तर में क्या कहा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १३-२-५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ के लोक-सभा में दिये गये उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिल्ली में श्रमिक कल्याण केन्द्र

७०४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने श्रमिक कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) ये कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या इन केन्द्रों की अपनी इमारतें हैं ;

(घ) यदि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इन केन्द्रों की अपनी इमारतें कब तक बनने की आशा है ; और

(ङ) इन इमारतों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय होगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) आठ।

(ख) १—कमलानगर, सब्जीमंडी, दिल्ली।

२—मौडल बस्ती, दिल्ली।

३—चूड़ीवालान, चावड़ी बाजार, दिल्ली।

४—हरिजन कौलोनी, रीडिंग रोड, नई दिल्ली।

५—विलिंग्डन वर्कर्स कौलोनी, डिप्लोमैटिक इन्क्लेव, नई दिल्ली।

६—कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली।

७—वेर्स्टन एक्सटेन्शन ऐरिया, करोल बाग, नई दिल्ली।

८—काबुल नगर, जी० टी० रोड, दिल्ली शाहदरा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) जी नहीं। ये किराये की इमारतों में स्थित हैं।

(घ) और (ङ). इन केन्द्रों के लिये इनकी अपनी इमारतें बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

ताड़ गुड़

७०५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में ताड़ गुड़ बनाया जाता है ;

(ख) ताड़ गुड़ का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) क्या ताड़ गुड़ के उत्पादन के प्रशिक्षण के लिये कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) (१) आंध्र प्रदेश, (२) आसाम, (३) बिहार, (४) बंम्बई, (५) केरल, (६) मद्रास, (७) मैसूर, (८) उड़ीसा, (९) पंजाब, (१०) मध्य प्रदेश, (११) राजस्थान, (१२) उत्तर प्रदेश, (१३) प० बंगाल, (१४) त्रिपुरा और (१५) लक्षदीप, मिनिकाय और अमीनद्वीप द्वीप समूह।

(ख)

वर्ष	परिमाण मनों में	मूल्य रु०
१९४९–५०	१३,९९,४४०	२,७९,८८,२५०
१९५०–५१	१६,६८,०५३	३,३३,५७,८६२
१९५१–५२	१६,२१,९०६	३,२४,५५,७३२
१९५२–५३	१६,०४,१२४	३,२०,७१,२६५
१९५३–५४	१९,०९,८५९	३,६९,६०,६४१
१९५४–५५	२१,४१,०७३	४,०८,४३,४४७
१९५५–५६	२२,७८,३२०	४,१८,७०,८०६
१९५६–५७	२२,४७,९१३	४,४९,७५,१९३
१९५७–५८*	१८,९५,०००	३,७८,९२,०००

*१९५७–५८ के पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अपनी ताड़ गुड़ विकास योजनाओं को अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों/राज्य बोर्डों के अपने अपने कर्मचारी हैं। उनके शैल्पिक कर्मचारी सुधरी हुई प्रणालियों की शिक्षा कार्यकर्त्ताओं को देते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इस काम के लिए कोई विशेष अफसर नियुक्त नहीं किये हैं लेकिन ताड़ गुड़ उद्योग के बारे में प्रशिक्षण विद्यालय चला रहा है जिसका नाम है भारतीय ताड़ गुड़ शिल्प भवन, दहानू, बंबई राज्य।

केले के पौधे से कागज का निर्माण

७०६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केले के पौधे के गूदे से ऊंची किस्म के कागज के निर्माण के लिये गवेषणा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). पूना स्थित हाथ-निर्मित कागज गवेषणा केन्द्र ने जो परीक्षण किये हैं उनसे यह निष्कर्ष निकला है कि केले का पौधा व्यापारिक आधार पर अच्छी किस्म का कागज बनाने के उपयुक्त नहीं है। लेकिन केले के पौधे के गूदे से बनी बिना ब्लीच की हुई लुग्दी के साथ जूट की पुरानी कतरनों और पुरानी बोरियों से बनी ४० प्रतिशत लुग्दी मिला कर पेक करने और लपेटने का कागज हाथ से बनाया जा सकता है।

अखबारी कागज

७०७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितना अखबारी कागज आयात किया गया ; और

(ख) नेपा मिल द्वारा कितना अखबारी कागज दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जनवरी से नवम्बर १९५८ तक ५२,६०० टन अखबारी कागज आयात किया गया।

(ख) १९५८ में नेपा मिल द्वारा २२,१३३,६६ टन अखबारी कागज दिया गया।

काम दिलाऊ दफ्तर

†७०८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५८ तक देश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने नान-मैट्रिक, मैट्रिक पास, स्नातक और एम० ए० पास व्यक्तियों के नाम (अलग अलग) दर्ज थे ; और

(ख) अभी तक कितनों को नौकरियां नहीं मिली हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जानकारी निम्नलिखित है :-

वर्ग	३१-१२-५८ तक चालू रजिस्टरों में संख्या			
	नान मैट्रिक	मैट्रिक पास जिनमें इंटर पास भी शामिल हैं	स्नातक जिनमें एम० ए० पास भी शामिल हैं	कुल
१	२	३	४	५
अनुसूचित जातियां . .	१,१३,७५७	१४,६७८	१,१६४	१,२९,५९९
अनुसूचित आदिम जातियां .	३०,७९६	९१६	१०५	३१,८१७

फिज़ो

†७०९. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ दिसम्बर, १९५८ के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता) में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि एक नागा विद्रोही नेता, फ़िज़ो, को बर्मा में पनाह दी गई है ; और

(ख) क्या बर्मा सरकार से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). फिज़ो के बर्मा जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

भारत से पश्चिमी जर्मनी को निर्यात

†७१०. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मनी को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये वहां जो भारत सरकार का प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रस्ताव था वह किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जर्मनी में व्यापार संवर्धन संस्था की स्थापना का प्रारम्भिक प्रबन्ध किया जा चुका है । वह संस्था इस वर्ष अप्रैल में चालू हो जायेगी । भारतीय वस्तुओं जैसे कि चाय, पटसन उत्पाद सूती वस्त्र और नारियल जटा उत्पादों आदि के जर्मनी में आयात के लिये अधिक सुविधायें दिलाने के हेतु पश्चिम जर्मन सरकार से बातचीत की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

जूतों का निर्यात

†७११. { श्री राम कृष्ण :
　　　श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी, बलगारिया और युगोस्लाविया के साथ भारतीय जूतों के संभरण सम्बन्धी बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नारियल जटा उद्योग

†७१२. **श्री थानुलिंगम नादर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये ४५ लाख के आवंटन को बढ़ा कर १.५ करोड़ रुपये कर देने के बाद क्या केरल सरकार ने अपने नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

चीनी की मिलों के श्रमिकों के लिये अवकाश-गृह

†७१३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की मिलों के श्रमिकों के लिये कोई अवकाश-गृह बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ऐसी कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चमड़ा प्लास्टिक के सामान का आयात

†७१४. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में कुल कितना चमड़ा प्लास्टिक के सामान का आयात किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १६५८ के उत्तरार्ध में उक्त सामग्री के आयात में कोई कमी की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आयात व्यापार के वर्गीकरण में "चमड़ा प्लास्टिक का सामान" कोई मद नहीं है । शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय कृत्रिम चमड़े से है । १६५७-५८ में कुल २,५४,००० रुपये के कृत्रिम चमड़ का आयात किया गया था ।

(ख) और (ग). दिसम्बर, १६५८ के आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । जनवरी-जून, १६५८ में ३८,००० रुपये का और जुलाई-नवम्बर, १६५८ में ७,००० रुपये के कृत्रिम चमड़े का आयात किया गया था ।

इस प्रकार १६५८ के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में कम आयात किया गया ।

अधिक अन्न उपजाओ योजना सम्बन्धी आकाशवाणी कार्यक्रम

†७१५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आकाशवाणी से "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के बारे में कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित करना चाहती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : रब्बी फसल कार्यक्रम के बारे में आकाशवाणी के केन्द्रों से देहाती कार्यक्रम में प्रसारण किये जाते हैं । भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में फार्म रेडियो अफसर द्वारा एकत्र की गई सामग्री का भी प्रयोग किया गया था । इन प्रसारणों की ओर विशेष ध्यान देते हुए नाटक, प्रगतिशील कृषकों और कृषि श्रमिकों के साथ इन्टरव्यू किये गये और गीत और कवितायें सुनाई गईं । विभिन्न प्रकार की खाद्यों के बारे में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् से प्राप्त की गई प्रचार सामग्री का भी प्रयोग किया गया था । ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखा जायेगा और रेडियो फार्म फोरम प्रोग्राम (जो इस समय कुछ एक केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं) फोरमों के संगठित होते ही सभी राज्यों में प्रसारित होने लगेंगे ।

नये एककों के लाइसेंस देना

†७१६. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६, १६५७ और १६५८ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मंत्रालय के विकास अनुभाग को नये कारखाने खोलने के लिये फीरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को नये कारखाने खोलने की अनुमति दी गई ;

(ग) नये कारखाने खोलने की अनुमति देने पर प्रतिबन्ध लगाने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) लाइसेंस प्राप्त नये कारखानों में कांच की चूड़ियां बनाने के कितने और 'ब्लोइंग' कारखाने कितने ह ?

(ङ) क्या नये कारखाने चालू करने की अनुमति देने से पूर्व विकास अनुभाग ने कोई पूछताछ की थी ; और

(च) यदि हां, तो क्या पूछताछ दिल्ली में ही की गई थी या कि मौके पर जाकर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) नये कारखाने खोलने के लिये फीरोज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को छ: आवेदन पत्र; १९५६ में १; १९५७ में ४ और १९५८ में १, मिले है।

(ख) दो ।

(ग) सभी आवेदन पत्र विभिन्न प्रकार की कांच की वस्तुएं बनाने के लिये हैं। क्यों कि इस क्षेत्र में पर्याप्ति क्षमता के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं और कुछ एक फर्मों को, जिन्हों ने आवेदन पत्र दिय थे, वह सामान तैयार करने सम्बन्धी टैक्नीकल जानकारी नहीं थी इसलिये उनकी योजनायें स्वीकृत नहीं की गईं थीं ।

(घ) जिन दो नये उपक्रमों को लाइसेंस दिये गये हैं वे 'ब्लोइंग' कांच ही तैयार करते हैं। कांच की चूड़ियां बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं करना पड़ता है क्यों कि वह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के क्षेत्र में नहीं आता ।

(ङ) और (च). इन बातों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाता है:

(१) इस क्षेत्र में वर्तमान क्षमता कितनी है

(२) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितनी क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(३) आवेदन पत्र देने वाले को टैक्नीकल जानकारी है या नहीं । किसी विस्तृत अथवा मौके पर पूछताछ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सरकार उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार कर सकती है ।

तरल सुनहरी पालिश[1]

†७१७. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण प्रतिबन्ध लगने से पूर्व तरल सुनहरी पालिश का कुल कितना आयात किया गया था;

(ख) भारत में सब से अधिक कितनी मात्रा में तरल सुनहरी पालिश का आयात किया गया और किस वर्ष किया गया था; और

(ग) जब से भारत में तरल सुनहरी पालिश का उत्पादन आरम्भ हुआ तब से कुल कितने औंस अथवा बोतलें तरल सुनहरी पालिश देश में तैयार की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जनवरी, १९५७ में तरल सोने के आयात पर कड़ा प्रतिबन्ध लग जाने के पूर्व कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश के व्यापारिक वर्गीकरण में तरल सुनहरी पालिश की मद अलग नहीं रखी गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) गत चार वर्ष में तरल सोने के उत्पादन के आंकड़े सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Liquid Gold.

कुटीर उद्योग

७१८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार को १९५७ और १९५८ में कुटीर उद्योगों के लिये कितना रुपया दिया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य को किस आधार पर अनुदान दिया गया; और

(ग) विभिन्न राज्यों में १९५७ और १९५८ में कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार की गई चीजों का ब्यौरा क्या है और उनकी बिक्री के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं जिनमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया। [देखिये **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ख) विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राज्यों को धन देने का आधार निम्न प्रकार है :—

(१) **खादी तथा ग्रामोद्योग**

(अ) कच्चे माल और ट्रेनिंग पाये हुए लोगों का मिल सकना ;

(आ) उद्योग के संगठन करने का संस्थाओं को अनुभव;

(इ) उद्योग का और भी विस्तार हो सकने की गुंजाइश;

(ई) पहले किये गये काम की प्रगति और उसके परिणाम; और

(उ) राज्य सरकारों की सलाह से योजना कमीशन द्वारा योजना में की गयी व्यवस्था।

(२) **रेशम उद्योग**

(अ) उद्योग की आवश्यकतायें; राज्य विशेष में इसका महत्व, जलवायु तथा भावी संभावनायें; और

(आ) जैसा कि ऊपर १ (उ) में दिया गया है।

(३) **हाथ करघा**

(अ) राज्य सरकारों के लिये निर्धारित उच्चतम सीमायें काम में लाये गये सूत और चालू करघों पर आधारित हैं; और

(आ) जैसा कि ऊपर १ (उ) में दिया गया है।

(४) **दस्तकारियां**

(अ) कच्चे माल, शैल्पिक कर्मचारियों और बिक्री व्यवस्था की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं; राज्य सरकारों की विकास-योजनाओं को अमल में ला सकने की क्षमता, पिछली कारगुजारी आदि;

(आ) जैसा कि ऊपर १ (उ) में दिया गया है।

(५) नारियल की जटा

(अ) नारियल का कुल उत्पादन, ऊपर की जटा का औद्योगिक प्रयोग करने के लिये उपलब्ध सुविधायें तथा उद्योग की भावी संभावनायें ।

(आ) जसा कि ऊपर १ (उ) में दिया गया है ।

(ग) विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

१. आन्ध्र : खादी—पुराने ढंग की और अंबर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, बर्तन, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र, दस्तकारियां, नारियल की सुतली और नारियल के रस्से ।

२. आसाम : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र और दस्तकारियां ।

३. बिहार : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, बर्तन, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र और दस्तकारियां ।

४. बम्बई : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, ग्रामीण कुम्हारी, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़ गुड़, हाथ करघे के वस्त्र, दस्तकारियां, नारियल की सुतली और नारियल के रस्से ।

५. केरल : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ का कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, ग्रामीण कुम्हारी, साबुन, हाथ से बना कागज, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र, दस्तकारियां, नारियल की सुतली तथा रस्से, नारियल की जटा की फर्श, रग और कारपेट ।

६. मध्य प्रदेश : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, ग्रामीण कुम्हारी, साबुन, हाथ से बना कागज, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र और दस्तकारियां ।

७. मद्रास : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, बर्तन, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र, दस्तकारियां और नारियल की जटा की वस्तुएं ।

८. मैसूर : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, ग्रामीण कुम्हारी, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र, दस्तकारियां, नारियल के रस्से और सुतली ।

९. उड़ीसा : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, साबुन, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र और दस्तकारियां।

१०. पंजाब : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, ग्रामीण कुम्हारी, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, रेशम, हाथ करघे के वस्त्र और दस्तकारियां।

११. राजस्थान : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, ग्रामीण कुम्हारी, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, हाथ करघे के वस्त्र तथा दस्तकारियां।

१२. उत्तर प्रदेश : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, कुटीर दियासलाई, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़-गुड़, रेशम, हाथ करघे से बने वस्त्र और दस्तकारियां।

१३. प० बंगाल : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, बर्तन, कुटीर दियासलाई, साबुन, हाथ से बना कागज, गुड़ और खांडसारी, शहद, ताड़गुड़, रेशम, हाथ करघे से बने वस्त्र तथा दस्तकारियां।

१४. जम्मू और काश्मीर : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—हाथ से बना कागज, शहद, रेशम, हाथ करघे से बने वस्त्र और दस्तकारियां।

१५. दिल्ली : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—हाथ करघे के कपड़े और दस्तकारियां।

१६. हिमाचल प्रदेश : खादी—पुराने ढंग की और अम्बर—रेशम, हाथ करघे से बने कपड़े और दस्तकारियां।

१७. मणिपुर : पुराने ढंग की खादी, ग्रामीण तेल, साबुन, हाथ से बना कागज, रेशम, हाथ करघे से बने कपड़े और दस्तकारियां।

१८. त्रिपुरा : अम्बर खादी, ग्रामीण तेल, हाथ से कुटा चावल, हाथ से बना कागज, शहद, हाथ करघे से बने कपड़े और दस्तकारियां।

१९. पांडचेरी : हाथ करघे से बने कपड़े और दस्तकारियां।

उक्त चीजों की बिक्री-व्यवस्था के लिये नीचे लिखा इन्तजाम है :—

१. **खादी तथा ग्रामोद्योग** : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बंगलौर में बिक्री-भंडार (एम्पोरिया) खोले हैं। विभिन्न राज्य बोर्डों और संस्थाओं को विपणन डिपो और ग्रामोद्योग बिक्री भंडार खोलने के लिये वितीय सहायता दी जाती है। विशेष उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री व्यवस्था करने के लिये सहकारी समितियों के संघों और रजिस्टर्ड बिक्री एजेन्सियों को भी सहायता दी जाती है।

२. **रेशम उद्योग** : टसर के कोयों को बिहार तथा उड़ीसा स्थित डिपों के द्वारा बेचा जाता है। मैसूर, उड़ीसा, बिहार और प० बंगाल में टसर और ऐरी रेशम की बिक्री के लिये विपणन डिपो और सहकारी समितियां हैं। लेकिन अधिकांश कच्चा रेशम साधारण व्यापारिक ढंग से ही बेचा जाता है।

३. **हाथकरघे के वस्त्र** : बिक्री डिपो, अन्तर्राज्य डिपो और केन्द्रीय डिपो खोलने के लिये उपकर निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है। चलयानों, रेढ़ियों और फेरीवालों के द्वारा भी कपड़ा बिकवाया जाता है। विदेशों में बिक्री करने के लिये अदन, कोलम्बो, बंकाक, कुआलालम्पुर और सिंगापुर में बिक्री भंडारं खोले गये हैं।

आल इण्डिया हैन्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हैन्डलूम हाउस चला रही है। बिक्री बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष हथकरघा सप्ताह मनाये जाते हैं।

४. **दस्तकारियां** : दस्तकारियों की बिक्री बढ़ाने के लिये बिक्री भंडारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों में ७५ डिपो खोलने की एक योजना पर अमल करने का प्रस्ताव है। इनकी बिक्री बढ़ाने के लिये दस्तकारी सप्ताह मनाते हैं, चल प्रदर्शनियां करते हैं, प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण होटलों एवं रेलवे स्टेशनों पर शो-केस और स्टाल लगाये जाते हैं। बिक्री में सुधार करने के लिये जांच पड़ताल की जाती है। अप्रैल, १९५८ में सरकार ने इंडियन हैण्डीक्राफ्ट्स डेवलपमैण्ट कारपोरेशन प्रा० लि० स्थापित किया जिसकी प्राधिकृत पूंजी १ करोड़ रु० है। इसका काम दस्तकारियों का निर्यात बढ़ाना और उत्पादन में सुधार करना है जिससे उपयुक्त प्रतिमान का माल गारंटी के साथ दिया जा सके।

५. **नारियल की जटा** : नारियल की जटा की चीजें, रेशा, सुतली, रस्से, फर्श, चटाइयां, पावदान और गलीचे मुख्यत: केरल में बनाये जाते हैं और अधिकांशत: निर्यात किये जाते हैं। इन चीजों का सिर्फ थोड़ा सा भाग ही देश में प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का निर्यात विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेकर, विदेशों में भारत सरकार के व्यापार केन्द्रों और प्रदर्शन कक्षों में नारियल की जटा की चीजों का प्रदर्शन करके, बाजार सर्वेक्षण आदि करके बढ़ाया जाता है। देश में इनकी बिक्री बढ़ाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण शहरों में प्रदर्शन कक्ष और बिक्री डिपो खोले गये हैं। इनकी चीजों का विज्ञापन पत्रिकाओं, सिनेमा स्लाइडों आदि के द्वारा भी किया जाता है। नारियल की जटा की चीजों की बिक्री करने के लिये प्रमाणित विक्रेता नियुक्त करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब में पुनर्वास विभाग

†७१९. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री राधा रमण :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में पुनर्वास विभाग को बन्द करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कितने समय में बन्द कर दिया जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम एक वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है जिसके पश्चात्

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य में पुनर्वास विभाग को जारी रखना आवश्यक नहीं होगा। बचा खुचा काम करने के लिये थोड़े से कर्मचारी रख लिये जायेंगे।

'दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट'

†७२०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट मार्च, १६५६ के आरम्भ में चालू हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्लांट पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) प्लांट की मासिक उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट की फरवरी, १६५६ के अन्तिम सप्ताह में चालू होने की आशा है।

(ख) प्लांट पर अब तक कुल ४२६ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) प्लांट प्रति मास २८,००० टन कोक तैयार करेगा।

भारत और रूस द्वारा मिलकर बच्चों के लिये फिल्में बनाना

†७२१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि दोनों मिलकर बच्चों के लिये फिल्में बनायें ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मितव्ययता

†७२२. { **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सरकारी विभागों में बचत और मितव्ययता के लिये क्या उपाय किये गये ;

(ख) उन से कितनी बचत हुई; और

(ग) चालू वर्ष में सरकार और क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान ९ अगस्त, १९५७, १३ दिसम्बर, १९५७ और ७ मई, १९५८ के क्रमवार तारांकित प्रश्न संख्या ७४२, १०८१ और १०३६ की ओर आकर्षित किया जाता है जिन में बताया गया था कि १९५७-५८ में मितव्ययता के क्या-क्या उपाय किये गये थे और कितनी बचत हुई थी।

(ग) ७ मई, १९५८ के प्रश्न संख्या २०३६ भाग (ख) और (ग) के उत्तर में बताया गया था कि १९५८—५९ के आयव्ययक प्राक्कलन मितव्ययता को सामने रखते हुए ही तैयार किये गये थे और उनमें और कमी करने की कोई सम्भावना नहीं थी। फिर भी जब कभी कोई विकास सम्बन्धी अथवा अन्य व्यय किया जाता है तब मितव्ययता को ख्याल में रखा जाता है। केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड और आन्तरिक मितव्ययता समितियां निरन्तर इस उद्देश्य से सरकारी खर्च पर निगाह रखती हैं कि गैर-जरूरी और कम आवश्यक वस्तुओं पर जहां तक सम्भव हो कम खर्च किया जाये।

चालू वर्ष के प्रथम छः मास में किये गये उपायों का आर्थिक प्रभाव दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१**]

भाग्यनगर (मैसूर) का कढ़ाई और सिलाई केन्द्र

†७२३. { **श्री अगाड़ी** :
　　　 श्री सिदनंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचुर जिले के कोयल तालुक में भाग्यनगर स्थान पर केन्द्रीय सरकार की सहायता से एक कढ़ाई और सिलाई केन्द्र खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता लेकर भाग्यनगर में एक कढ़ाई केन्द्र (उत्पादन) चालू किया है।

(ख) केन्द्र १७ मार्च, १९५८ से चालू किया गया था।

केरल में कपूरथला प्लाट

†७२४. { **श्री अ० क० गोपालन** :
　　　 श्री कोडियान :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की कुछ एकड़ भूमि जिसका नाम कपूरथला प्लांट है भारत सरकार के कब्जे में है;

(ख) भारत सरकार ने भूमि पर कब्जा करने के कारण केरल को कुल कितना किराया दिया है;

(ग) भारत सरकार ने वास्तव में भूमि पर कब कब्जा किया था; और

(घ) क्या केरल सरकार ने जमीन को खाली करने के लिये कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां।

(ख) अभी कोई किराया नहीं दिया गया है।

(ग) १९४३ में त्रावनकोर हाउस के अहाते में ०.७५५ एकड़ और ५.९७३ एकड़ क्षेत्रफल के दो प्लाटों पर इमारत के साथ ही कब्जा किया गया था।

(घ) नवम्बर, १९५३ में उस समय के त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मुख्य-सचिव से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिसमें इसे खाली करन के लिये कहा गया था और अक्तूबर, १९५४ में उसका उत्तर दे दिया गया था जिसमें भारत सरकार द्वारा इसे खाली करने की असमर्थता व्यक्त की गई थी।

निष्क्रमणार्थियों के नगद निक्षेप

†७२५. **श्री वाजपेयी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार में न्यायालयों को ये हिदायतें जारी नहीं कीं कि भारत और पाकिस्तान के अविभाजित प्रान्तों में निष्क्रमणार्थी जो नगद निक्षेप छोड़ गये थे उनके हस्तान्तरण का तरीका क्या होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). भारत के अविभाजित प्रान्तों में निष्क्रमणार्थी न्यायालयों के पास जो नगद निक्षेप छोड़ आये थे उनके हस्तान्तरण की प्रक्रिया जनवरी, १९५८ में परिपालन समिति की बैठक में निर्धारित हो गई थी। इस करार के बाद दोनों सरकारों के क्षेत्राधिकारों में स्थित न्यायालयों को हिदायतें दी जानी थीं। सामान्यतः दोनों देशों में एक साथ एक से आधारों पर ही ऐसी हिदायतें जारी की जाती हैं। क्योंकि इसमामले में पाकिस्तान सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी इस लिये भारत के कस्टोडियन आफ डिपाजिट ने पाकिस्तान में कस्टोडियन आफ डिपाजिट को जुलाई, १९५८ में लिखा था। उसके पश्चात् भारत ने १ सितम्बर, १९५८ को हिदायतों का प्रारूप तैयार करके सहमति के लिये पाकिस्तान को भेज दिया था। पाकिस्तान सरकार से १५ दिसम्बर, १९५८ को ही उत्तर प्राप्त हुआ है। इस उत्तर का परीक्षण किया जा चुका है और सही स्थिति उन्हें बता दी गई है। उन से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह २२ फरवरी, १९५९ को हिदायतें देना स्वीकार कर लें। उन से आगे और उत्तर मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

ऊन विकास परिषद

†७२६. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में राजस्थान में जो ऊन विकास परिषद् की जो बठक हुई उसमें कौन सी मुख्य सिफारिशें की गईं ;

(ख) उन में से कौन सी सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) उल्लिखित बैठक ३ फरवरी, १९५८ को की गई थी और सरकार को अभी परिषद् की सिफारिशें नहीं मिली हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

करोल बाग (नई दिल्ली) में 'औक्युपेशनल थिरेपी होम'

†७२७. श्री बहादुर सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोल बाग, नई दिल्ली में अपंग बच्चों के लिये 'औक्युपेशनल थिरेपी होम' के लिये अधिक स्थान की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इसके लिये कोई नजल भूमि आवंटित की गई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). करोल बाग नई दिल्ली में अपंग बच्चों के लिये 'औक्युपेशनल थिरेपी होम' से हाल ही में एक प्रार्थना प्राप्त हुई है जिसमें इमारत बनाने के लिये १.५ एकड़ भूमि मांगी गई है। इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई राज्य में गन्दी बस्तियां हटाने का काम

†७२८. श्री जाधव : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य की कई नगर समितियों ने गन्दी बस्तियां हटाने की अपनी-अपनी योजनायें राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार के पास भेजी हैं;

(ख) वे कौन-कौन सी नगर समितियां हैं और सरकार से उन्होंने कितनी-कितनी आर्थिक सहायता मांगी है;

(ग) क्या यह सच है कि मालेगांव नगर समिति ने भी गन्दी बस्तियां हटाने की अपनी योजना भेजी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस नगर समिति ने कितनी आर्थिक सहायता मांगी है और सरकार इसे कब तक मंजूर करेगी ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२] जिस में बताया गया है कि ३१ जनवरी, १९५९ तक बम्बई सरकार से गन्दी बस्तियां हटाने की कितनी परियोजनाय प्राप्त हुईं और अनुमोदित परियोजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मिल सकती है।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कुल ५.१८ लाख रुपये की लागत के प्राक्कलन में से मालेगांव नगर समिति ने केन्द्रीय सरकार से २.५९ लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर और १.२९ लाख रुपये राजसहायता के तौर पर मांगे थे। शेष लागत राज्य सरकार और मालेगांव नगर समिति को वहन करना था। टैक्नीकल छानबीन करने पर पता चला कि परियोजना पूर्ण नहीं थी इस लिये वह पुनरीक्षण के लिये बम्बई सरकार को लौटा दी गई। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार स्वयं उस परियोजना को स्वीकृत कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश में खादी की सहकारी संस्थायें

†७२९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कितनी खादी की सहकारी संस्थायें हैं और वे कहां-कहां हैं; और

(ख) १९५८-५९ में केन्द्र ने उन्हें कुल कितनी सहायता दी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) हिमाचल प्रदेश में खादी की केवल एक सहकारी संस्था, अर्थात् 'हिमाचल प्रदेश कोआप्रेटिव खादी ग्रामोद्योग मण्डल लिमिटेड, शिमला', को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सहायता दी है।

(ख) १९५८–५९ में इस संस्था को ६,७९४ रुपये अनुदान के रूप में दिये गये हैं।

निर्यात प्रतिबन्ध

†७३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ से किन वस्तुओं पर आंशिक या पूर्ण निर्यात प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फिल्मों का आयात

†७३१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में योरोप के किन-किन देशों से कितनी फिल्में आयात की गईं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कच्ची फिल्मों तथा चित्रित फिल्मों की सांख्यिकी फुटों में रखी जाती है आंकड़ों में नहीं। एक विवरण जिसमें १९५७ और १९५८ (जनवरी-नवम्बर) में योरोप के देशों से मंगाई गई सिनेमाओं की चित्रित फिल्मों की फुटों में लम्बाई का उल्लेख है, पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]। दिसम्बर, १९५८ के बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोल्ट व नट

†७३२. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ तथा १९५८ में क्रमानुसार भारत में कितने बोल्ट व नट का निर्माण हुआ;

(ख) उत्पादन आरम्भ करने के लिये उद्योग को क्या सुविधायें दी गईं; और

(ग) उपरोक्त काल में कितनी कीलों तथा नटों का (देशवार) निर्यात किया गया ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) (१)

(१) बड़े पैमाने का उद्योग

वर्ष	उत्पादन
१९५७	३२,१३६ टन *
१९५८	३५,००० टन (अनुमानित)

(*कुछ फर्मों की पूरे वर्ष की पूर्ण विवरणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः १९५८ का अनुमानित उत्पादन दिया गया है।)

(२) छोटे पैमाने के उद्योग :

छोटे पैमाने के उद्योगों में बोल्ट व नटों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) (१) जुलाई, १९५८ से उद्योग के लिये इस्पात का बांट बढ़ा दिया गया है।

(२) उत्पादन में वृद्धि के लिये सांचों (डाई) के निर्माण के लिये विशेष औजार इस्पात के आयात की व देश में बने बोल्टों में ठीक आन वाले तैयार नटों, मशीन के पुर्जों तथा अलग पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है। जब कभी छड़ों तथा अन्य टुकड़ों के देशीय निर्माता बोल्टों व नटों के निर्माताओं की आवश्यकता पूर्ण नहीं कर पाते तब माइल्ड स्टील की छड़ों तथा अन्य टुकड़ों के आयात की भी अनुमति दे दी जाती है।

(ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]

भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†७३३. श्री सिद्धनंजप्पा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात से कितना विदेशी विनिमय अर्जित किया गया; और

(ख) किस देश ने इनका सर्वाधिक आयात किया तथा उसका मूल्य क्या था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) जनवरी–सितम्बर, १९५८ में भारतीय दस्तकारी की ५,०१,१३,८६६ रु० के मूल्य की वस्तुओं का आयात हुआ। अक्टूबर-दिसम्बर, १९५८ के निर्यात के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं।

(ख) इन वस्तुओं का सर्वाधिक आयात ब्रिटेन ने किया और उनका मूल्य २,२४,८७,२७७ रु० था।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†७३४. { श्री नागी रेड्डी :
श्री दे० वें० राव :
श्री मं० वें० कृष्ण राव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में स्थापित होने वाली औद्योगिक बस्तियों की योजनायें तथा प्राक्कलन निश्चित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी तफसील क्या है;

(ग) क्या किसी औद्योगिक बस्ती की स्थापना में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

श्री वेदलपतला गंगाराजू का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि श्री वेदल पतला गंगाराजू का पश्चिम गोदावरी के कोव्वली नामक स्थान में ६ फरवरी, १९५९ को देहान्त हो गया।

श्री वेदलपतला गंगाराजू १९४५–४६ में भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य थे। मुझे विश्वास है कि सभा श्री गंगाराजू के परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगी। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए एक मिनट मौन खड़े हों।

इसके पश्चात् सदस्यगण एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री हेम बरुआ से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाने के कारण एक भारतीय राष्ट्रजन के मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह एक लगातार चले आने वाला मामला है और हमको बताया जाता है कि सभी प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही है। क्या माननीय प्रधान मंत्री को कुछ कहना है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मेरा एक नम्र निवेदन है। प्रायः हमें बताया जाता है कि ऐसा तो बहुत समय से होता आ रहा है। परन्तु इस अवसर पर पाकिस्तानी गोली-वर्षा के कारण १८ फरवरी को एक व्यक्ति, मुनव्वर अली, के मर जाने से तथा २१ फरवरी को एक महिला के घायल हो जाने से स्थिति गंभीर हो गई है क्योंकि इससे एक आभास मिल जाता है कि वहां पर जीवन कितना ग्रस्त व्यस्त हो गया है। हमें करीमगंज के स्थानीय

---

†मूल अंग्रेजी में

बोर्ड के सभापति के तार मिले हैं कि वहां पर रहना संकटमय हो गया है और डाक सेवा भी समाप्त हो गई हैं। यदि ऐसा होने दिया गया तो वहां की जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जायेगा और वह निराश हो बैठेगी।

कानपुर में प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हम दूसरों की बेवकूफी कुछ हद तक ही सहन कर सकते हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब हमें पाकिस्तान की बेवकूफी सहन नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कृपा करके उस क्षेत्र का दौरा करें। मैं समझता हूं कि हमने अपने सीमान्त की बहुत उपेक्षा कर रखी है और इसीलिये प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री का वहां ध्यान तक नहीं गया है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है, जैसा कि आप बता चुके हैं, गोली-वर्षा बहुत दिनों से हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहोनार अली नामक एक व्यक्ति इसमें मारा भी गया . . . .

†**श्री हेम बरुआ** : मुनव्वर अली।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आप इस नाम का किसी भी प्रकार उच्चारण करें। यह व्यक्ति कुरीखोला का रहने वाला था और १७ फरवरी को गोली से घायल होकर अगले दिन मर गया। इसी प्रकार उलुकन्डी नामक स्थान की रहनेवाली गोलकराम नामशूद्र की पत्नी कोटई की कलाई में पाकिस्तानी गोली लगी जब वह १७ फरवरी को कपड़े धो रही थी फिर हमीन्दपुर की एक रमीजा बीबी के भी, जब वह घर के बरामदे में बैठी हुई थी, छाती में गोली लगी।

यह बड़ी शोचनीय घटनायें हैं और माननीय सदस्यों के समान मुझे भी इनकी बड़ी चिन्ता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति को गोली लगी परन्तु सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि गोली काण्ड अभी भी जारी है। गोली चलने पर गोली के किसी के लगने की सम्भावना तो रहती ही है। और मैं समझता हूं यह शायद आश्चर्य की ही बात है कि इतनी गोली-वर्षा होने पर भी अपेक्षाकृत कम ही व्यक्ति मरते या घायल होते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि हम देश के इस क्षेत्र अथवा सीमा की उपेक्षा करते हैं। यह कहना उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह हम से क्या करवाना चाहते हैं—इस बात को छोड़िये कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई कदम उठायें या न उठायें। सैनिक तथा पुलिस दोनों दृष्टियों से समस्त सीमा की पूरी तरह रक्षा की जा रही है। परन्तु जब गोलियां सीमा पार से चलाई जाती हैं तो सामान्यतः उसका उत्तर गोलियों से ही दिया जा सकता है। (सीमा पार करने की घटनायें बहुत ही कम होती हैं; यदि होती हैं तो बस कुछ गज इधर या उधर की बात ही होती है।)

गोलियों द्वारा उत्तर दिये जाने से, जैसे इस पार के कुछ व्यक्ति घायल होते हैं वैसे ही उधर उस पार के कुछ व्यक्ति भी घायल होते हैं। यह सब नासमझी है, मैं मानता हूं, परन्तु ऐसा होता है। यह सब बचपने की बातें है क्योंकि सीमा पर इधर उधर गोली चलाकर पाकिस्तान हमें अपनी नीति से भ्रष्ट नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन अब सवाल यही रह जाता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके अलावा माननीय सदस्य क्या चाहते हैं जो हम करें। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। मैं बड़ी खुशी से जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं वहां क्या कर सकूंगा क्योंकि वह तो सैंकड़ों मील लम्बी सीमा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : भारत के राष्ट्रमण्डलीय सचिव, श्री ऐम० जे० देसाई इस समय पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के बारे में पाकिस्तान प्राधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। क्या वह इस मामले के बारे में वहां बातचीत नहीं कर सकते?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, इस प्रश्न को भी उठाया जायेगा। सीमा सम्बन्धी किसी समझौते की बातचीत के अतिरिक्त इस विषय को जोरदार शब्दों में उठाया जायेगा। समझौता हो अथवा न हो, यह बात अलग है, परन्तु इस प्रकार के मामलों में कुछ शिष्टता का होना भी जरूरी है।

†**श्री हेम बरुआ** : जो व्यक्ति पाकिस्तानी गोलियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए सहायता की क्या व्यवस्था है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह मुझे नहीं पता। यह काम आसाम सरकार और अन्य लोगों और सेना का है। मैं समझता हूं कि सहायता का प्रश्न उन्हीं मामलों में उठता है जब किसी व्यक्ति के गोली लग जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही करने के लिये कोई ठोस सुझाव नहीं दिये गये हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री निश्चित रूप से सभी उपाय करने के लिये तैयार हैं और सारे उपाय किये भी जा रहे हैं। इस प्रकार की घटनायें बहुत दिनों से चली आ रही हैं जो बड़े खेद की बात है। परन्तु यह स्थगन प्रस्ताव के लिये उपयुक्त विषय नहीं है, इसीलिए मैं इस की अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**. मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(१) नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का १९५७-५८ का लेखा—परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१२३८/५९]

(२) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड का १९५७-५८ का लेखा—परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१२३९/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय (केन्द्रीय समवाय के) सामान्य नियम तथा प्रपत्र में संशोधन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री नीतीश चन्द्र)**: मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२४०/५९]

राष्ट्रपति से सन्देश

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे राष्ट्रपति से २० फरवरी, १९५९ का निम्न संदेश मिला है :—

"९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष मैंने जो अभिभाषण दिया था उसके लिए लोक-सभा द्वारा पारित धन्यवाद का प्रस्ताव मुझे मिला है और उस पर मुझे परम संतोष है।"

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव**: मुझे सभा को बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को बताना है कि राज्य सभा ने अपनी १८ फरवरी, १९५९ की बैठक में चल-चित्र (संशोधन) विधेयक, १९५८ को, जिसे लोक-सभा ने अपनी १९ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है :—

अधिनियमन सूत्र

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Ninth year" (नवें वर्ष) के स्थान पर "Tenth year" (दसवें वर्ष) शब्द रखे जायें।

खण्ड १

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में, "1958" ["१९५८"] के स्थान पर "1959" ["१९५९"] अंक रखा जाये।

अतः मैं इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों से लोक-सभा की सहमति इस सभा को प्रेषित की जाये।"

चल-चित्र (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गए रूप में सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव**: मैं चल-चित्र (संशोधन) विधेयक, १९५८ को जिसे राज्य सभा ने संशोधनों सहित लौटा दिया है, सभा-पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं परिवहन तथा संचार मंत्रालय—सामान्य विषय तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के इकतालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के बारे में प्राक्कलन समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड की इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी में रेलवे वैगन बनाने वाले दक्ष कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मुझे पता लगा है कि मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड की इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी में रेलवे वैगन बनाने वाले दक्ष कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम से अलग कर दिये जाने के नोटिस २० फरवरी, १९५९ के प्रातः वापस ले लिए थे, और उस तिथि से सामान्य काम आरंभ हो गया था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या यह कम्पनी गत छः महीने से धांधलबाजी से काम कर रही है और क्या माननीय मंत्री ने कम्पनी को बता दिया है कि भविष्य में इसको सहन नहीं किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : १० फरवरी को तारांकित प्रश्न संख्या ४ पर श्री अ० मु० तारिक तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा था कि कराची में ब्रिटेन के उच्चायुक्त द्वारा बचाव का वकील नियुक्त किया गया था। यह बात ठीक नहीं थी। सच बात यह है कि सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के कराची स्थित प्रतिनिधि ने जहाज के मास्टर को अपने बचाव के बारे में सलाह देने के लिए अंग्रेज वकील को रखा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी):** मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।**

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में खंडवार चर्चा करेगी ।

खण्ड २ पर किसी माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए मैं इसे मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २३-२-५९ में प्रकाशित ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित ।

खण्ड ४--(धारा ४ का संशोधन)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं अपने संशोधन संख्या २, ३ तथा ४ प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने संशोधन के द्वारा प्रतीक्षावधि को तीन दिन से दो दिन कराना चाहता हूं मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कोई वित्तीय कठिनाई भी नहीं आयेगी। मेरे इस संशोधन के विरोध में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के कामगर प्रतिकर अधिनियम में प्रतीक्षावधि तीन दिन है परन्तु यह कहते हुए हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे मजदूरों को वह सभी सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के मजदूरों को प्राप्त हैं।

माननीय मंत्री ने बताया कि मूल विधेयक में प्रतीक्षावधि पांच दिन रखी गई थी, लेकिन बाद में अनौपचारिक बैठक में उन्होंने इसको तीन दिन कर दिया था। माननीय मंत्री ने जो आरोप उस दिन लगाये उनका उत्तर देने के लिए मेरे प्रमाण उस बैठक की कार्यवाहियों से प्राप्त हो सकते थे परन्तु उसका कोई रिकार्ड न होने के कारण मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु भविष्य में इस प्रकार की बैठकों में जाने से पहले मैं गंभीरता से विचार करूंगा। जब उस बैठक में प्रतीक्षावधि के बारे में विचार हो रहा था उस समय एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि यह अवधि तीन दिन होनी चाहिये। मैंने माननीय उपमंत्री को बताया था कि विभिन्न कार्मिक संघों की टिप्पणियों के लिए भेजे गए प्रारूप संशोधन में सरकार की ओर से दो दिन की प्रतीक्षावधि का ही सुझाव दिया गया था मेरे पास अब वे रिकार्ड नहीं हैं क्योंकि दुर्भाग्यवश बाढ़ में वह सभी रिकार्ड जो हमारे यूनियन कार्यालय में थे समाप्त हो गये हैं।

सबसे पहले तो हमारा विचार था कि प्रतिकर की प्रतीक्षावधि होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कोई जानबूझ कर चोट खाना नहीं चाहता है। यदि हम दुर्घटनाओं अथवा अपंग हो जाने क कारण दिए गए प्रतिकर की औसत राशि देखें तो पता लगता है कि १९५५ में यह राशि ७९ रुपये तथा १९५६ में ८४ रुपये थी। इससे पता लग जाता है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिए जाने पर कोई वित्तीय समस्या भी हमारे सामने नहीं खड़ी हो जायेगी।

मैं अपने दूसरे संशोधन के द्वारा अट्ठाइस दिन की अवधि को चौदह दिन कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति चौदह दिन तक काम करने के अयोग्य रहें उनको दुर्घटना के दिन से प्रतिकर दिया जाये।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक को जिस पर इस समय विचार हो रहा है, उन मूल संशोधनों के आधार पर बनाया गया है जिनको परिचालित किया गया था और जिनके बारे में सुझाव मांगे गये थे। हमने उन सब बातों पर विचार करके इसे तैयार किया है, इसलिए माननीय सदस्य का पहला संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अनौपचारिक समिति के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि उसमें उपस्थित होकर उन्होंने गल्ती की। जो कुछ उन्होंने कहा उसे मैं मना नहीं कर रहा; मैं उसे मानता हूं। फिर यह शिकायत क्यों है कि चूंकि कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, इसलिये मुझे बैठक में

---

†मूल अंग्रेजी में

आने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैंने तो यह कहा था कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि तीन दिन की प्रतीक्षावधि रखने का सुझाव एक सदस्य ने दिया था। संभवतया माननीय सदस्य के पास बैठक होने से पहले की बातचीतों के रिकार्ड नहीं है। मेरे पास इसका रिकार्ड है और मैं बताना चाहता हूं कि श्री भूपेश गुप्ता, श्री राज बहादुर गौड़, तथा श्री पी० एन० नायर राज्य सभा के इन तीन कम्युनिस्ट सदस्यों ने तीन दिन की प्रतीक्षावधि का प्रस्ताव रखा था और अनौपचारिक बैठक में हमने इसे स्वीकार किया था।

इसीलिए मेरा कहना है कि निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। यह सच है कि माननीय सदस्य ने दो दिन की प्रतीक्षावधि का ज़िक्र किया था और इनका विभिन्न संगठनों को परिचालित किए जाने वाले ज्ञापन में उल्लेख कर दिया गया था। इसलिए मेरा कहना है कि सर्वसमिति से निर्णय हुआ था। हमने प्रतीक्षावधि पांच दिन रखी थी। उन्होंने उसको तीन दिन किया। अब हमने तीन दिन मान लिया तो वे दो दिन कराना चाहते हैं और फिर एक भी नहीं कहेंगे। इस प्रकार की बात ठीक नहीं है। जब एक निर्णय सर्वसम्मति से कर लिया जाये तो उस पर आपत्ति उठाना उचित नहीं है।

फिर, मैंने ब्रिटेन की व्यवस्था का भी ज़िक्र नहीं किया था। मैंने तो यह कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय में ५ दिन की प्रतीक्षावधि रखी गई थी जिसको कम करके हमने तीन दिन कर दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बताई गई अवधि को भी हमने कर दिया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। इसलिए इसको और कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, ३ तथा ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १७—(अनुसूची १ के स्थान पर नयी अनुसूची का रखा जाना)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि मजूरी की सीमा को ४०० रुपये से ५०० रुपये कर दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने संशोधन संख्या ८ कहा। यह संशोधन खण्ड २ पर था जो स्वीकार किया जा चुका है। इसलिए अब मैं खण्ड १७ तथा १८ मतदान के लिए रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १७ तथा १८ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १७ तथा १८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १६--(अनुसूची ३ का संशोधन)

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरी): मैं अपने संशोधन संख्या १० तथा ११ प्रस्तुत करता हूं। मैं समझता हूं कि भूमिगत नालियों में काम करने वाले लोगों और चमड़े को कमाने के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए।

†**श्री आबिद अली**: संशोधन संख्या १० में बताये गये व्यक्तियों यानी भूमिगत नालियों में काम करने वालों के सम्बन्ध में और विचार किया जायेगा। मैं वादा करता हूं कि हम प्रविधिकों की सलाह लेंगे और दूसरा संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय अगर जरूरी हुआ तो इसे शामिल कर लेंगे।

संशोधन संख्या ११ के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसको स्वीकार करने से लगभग १००० कामों के लिए और व्यवस्था करनी होगी। परन्तु अधिनियम की धारा ३(२) के अधीन राज्य सरकारों को शक्तियां दी गई हैं कि अनुसूची में नये रोग रख दें। इसलिए आवश्यक होने पर अनुसूची का संशोधन किया जा सकता है।

†**श्री नंजप्पा**: माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, इसको देखते हुए मैं अपने संशोधनों को वापस लेने की सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1958" ("१६५८") के स्थान पर "1959" ("१६५६") रखा जाये।

—[**श्री आबिद अली**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति १ में " ninth year " ["नवें वर्ष"] के स्थान पर " tenth year " ["दसवें वर्ष"] शब्द रखे जायें।

—[**श्री आबिद अली**]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मुझे प्रसन्नता है कि कामगार प्रतिकर अधिनियम में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं। परन्तु और कुछ कहने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि १९५५ में इस सभा में बताया गया था कि एक विस्तृत विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जायेगा। सभा को पता है कि मूल अधिनियम १९२३ में बताया गया था जिसका १९३३ तथा १९४६ में संशोधन किया गया था। मेरे विचार से तो आवश्यक यह था कि मूल अधिनियम के स्थान पर एक अन्य विस्तृत विधान बनाया जाता। एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता होने पर भी यह छोटा सा विधान प्रस्तुत किया गया, इसका आश्चर्य है।

राज्य सभा में इस विधेयक को पुरस्थापित करते समय इसके उद्देश्यों के विवरण में बताया गया था कि इस अधिनियम का संशोधन आवश्यक हो गया है और संक्षेप में कुछ महत्व-पूर्ण संशोधन इस प्रकार किए गए हैं: पहले तो वयस्क तथा नाबालिगों का भेद मिटाया गया है। दूसरे पांच दिन की प्रतीक्षावधि करना तथा यदि अंगहानि की अवधि अट्ठाइस दिन से अधिक है तो अंगहानि की तिथि से प्रतिकर दिलाना, तीसरे प्रतिकर न दिए जाने पर जुर्माने की व्यवस्था करना और चौथे अनुसूची १, २ तथा ३ की व्याप्ति बढ़ाना : यह भी बताया गया था कि मजूरी की सीमा ३०० रुपये से बढ़ाकर ४०० रुपये की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह जानते हुए कि इस विधेयक का बड़ा सीमित उद्देश्य है मैं समझता हूं कि खण्ड ४ क ही इस विधेयक में महत्वपूर्ण खण्ड हैं। संक्षेप में खण्ड ४ क इस प्रकार है कि जब मालिक उतना प्रतिकर नहीं देगा जितना कि दावा किया गया है तो उसको जितनी वह जिम्मेदारी समझता है उतना प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कराना होगा अथवा मजदूर को देना होगा। परन्तु जब प्रतिकर अधिनियम के अनुसार अथवा मजदूर के हिसाब से प्रतिकर की एक निश्चित राशि होती हो तो वह राशि आयुक्त के पास जमा करवाई जानी चाहिये न कि जितनी राशि मालिक ठीक समझे उतनी इस आधार पर विचार करने से हम देखेंगे कि खण्ड अधूरा ही लाभ मजदूर को देता है।

दूसरी बात प्रतिकर की प्रतीक्षावधि के बारे में है। माननीय मंत्री ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुसार तो पांच दिन की अवधि रखी गई थी उसको राज्य सभा में कम करके तीन दिन का कर दिया गया और इसको तीन दिन से दो दिन करने में कोई औचित्य नहीं है। मेरे विचार से उनका इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि क्योंकि राज्य सभा में इसको तीन दिन का कर दिया गया इसलिए और कम नहीं किया जा सकता है। मेरा तो यह ख्याल है कि इस प्रतीक्षावधि की कोई जरूरत ही नहीं है।

अंगहानि की अवधि के बारे में विधेयक में दिया है कि 'अट्ठाइस अथवा उससे अधिक समय के लिये अंगहानि होने पर'। मैं समझता हूं कि इसको १४ दिन रखा जाना चाहिए था।

जैसे श्री विट्ठलराव ने कहा औद्योगिक विकास अधिनियम में 'कामगार' शब्द की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं की गई है; इस तरह 'कामगार' का प्रश्न औद्योगिक न्यायाधिकरण के हाथों में ही छोड़ दिया गया है इस समय औद्योगिक विवाद अधिनियम ५०० रुपये या इससे कम पाने वाले कर्मचारी पर लागू होता है। और इसीलिए कामगार की परिभाषा में ५०० रुपये तक पाने वाले सभी मजदूर आ जाते है। परन्तु इस विधेयक में कामगार उनको रखा गया है जो ४०० रुपये वेतन पाते हैं। इस प्रकार की अनियमतता को दूर किया जाना चाहिये।

अनुसूची १, २ तथा ३ में जो संशोधन किए गए हैं वे संतोषजनक नहीं हैं क्योंक हमने बहुत से व्यावसायिक लोगों को इन अनुसूचियों में नहीं रखा है। प्रतिकर की राशि भी बहुत थोड़ी है। अपंगों के लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में भी कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है।

मेरे विचार से किसी कामगीर के मर जाने पर ४,५०० रुपये तथा स्थायी अंगहानि के लिए ६,३०० रुपये प्रतिकर दिए जाने की व्यवस्था है। जो व्यक्ति ४०० रुपये पाता है क्या वह ६,३०० रुपये की राशि उसके समस्त जीवन के लिए पर्याप्त होगी?

अन्त में, मैं पुनः अपनी पहली बात दोहराता हूं कि शीघ्र ही एक विस्तृत विधान यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री हमें निश्चित अवधि बतायें कि वह विस्तृत विधान कब तक प्रस्तुत कर देंगे।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यदि माननीय सदस्य उस दिन उपस्थित होते जिस दिन इस विधेयक पर, प्रथम प्रक्रम पर, चर्चा हो रही थी तो वह इन बातों का उल्लेख न करते जो बातें पहले की जा चुकी हैं।

विस्तृत विधान के संबंध में मेरा कहना है कि 'विस्तृत' शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता है। माननीय सदस्य ने बताया कि अनौपचारिक समिति के समक्ष मैंने कहा था कि एक विस्तृत विधान प्रस्तुत किया जायेगा। मैं समझता हूं कि उन्हें जो सूचना मिली है वह गलत है। मैंने विस्तृत शब्द का प्रयोग नहीं किया था और ऐसा कोई विधेयक पुरस्थापित करने का कोई इरादा भी नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री उस समिति के कार्यवाही विवरण को देखें।

†**श्री आबिद अली** : मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा कोई भी विचार नहीं है। इस विषय पर जब भी चर्चा होती है, मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि आगे क्या संशोधन करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य हमेशा यही कहते आये हैं कि यह एक पुराना अधिनियम है। अतः जिन संशोधनों की आवश्यकता थीं, वे इसमें रख दिये गये हैं।

†**श्री तंगामणि** : श्री राज बहादुर गौड ने एक विस्तृत विधान बनाने के लिए अनेक सुधार दिये थे। यदि आप उनके सुझावों को देखेंगे तो सारी बात आप के सामने स्पष्ट हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री को जबाब देने दीजिए।

†**श्री आबिद अली** : सीमा को ४००रु० से बढ़ाकर ५०० रु० कर देने के संबंध में मेरा निवेदन है कि जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि इस मामले पर जीवनांकिक समिति ने विचार कर लिया है और उसका प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है जिस पर विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही हम एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की आशा करते हैं।

जहां तक तीन दिन की अवधि का प्रश्न है, उस सभा में साम्यवादी दल के समर्थकों ने तीन दिन की अवधि की मांग की थी, अतः स्पष्ट है कि इसके लिए समुचित कारण है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में यह अवधि ५ दिन की है। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। अतः उन्होंने भी ३ दिन का सुझाव दिया। अब श्री विट्ठल राव का कहना है कि २ दिन होना चाहिए। प्रथम वाचन के समय सभा में इस बात पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

जिस विधेयक पर इस समय विचार हो रहा है, उसमें श्रमिकों को काफी सुरक्षा दी गयी है। पहले स्थिति यह थी कि जांच के दौरान में जब एक नियोजक की आस्तियों का हस्तान्तर दूसरे नियोजक को दिया जाता था, तो उस बीच का वेतन आदि उन्हें नहीं मिलता था। विलम्ब के संबंध में भी सावधानी बरती गयी है। श्रमिकों को शीघ्र से शीघ्र उनका वेतन आदि मिल जाया करेगा। मामलों आदि को शीघ्र निबटाने की व्यवस्था का भी उल्लेख कर दिया गया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं इस सभा से भी प्रार्थना करता हूँ कि वह विधेयक को स्वीकृत करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

१९५८-५९ के लिये अनुदानो की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेगी। जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनायें आज प्रातःकाल मिली हैं, मैं उनके कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : (खम्मम्) : क्या सभी मांगे एक साथ ली जायेंगी, या एक-एक कर के?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम सभी मांगों को एक साथ लेंगे और, जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, बोल सकते हैं। अनुपूरक मांगों में लिए गये सभी विषयों पर बोला जा सकता है।

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीः--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	२,८५,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	५२,६८,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	२,३१,०००
१८	वैज्ञानिक गवेषणा	४०,००,०००
३२	स्टाम्प	२१,८०,०००
३५	टकसाल	९६,००,०००
३७	वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	१३,००,०००
४०	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३,०४,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
५८	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	१,११,०००
६७	प्रसारण	३३,००,०००
६९	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	१,६४,०००
७०	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	१०,००,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय	२,००,०००
७९	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों पर व्यय	४,२७,००,०००
८४	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	३,००,०००
८८	संचार (राष्ट्रीय राजपथों समेत)	२४,००,०००
९५	संभरण	५,०३,०००
९६	अन्य असैनिक निर्माण कार्य	२,८९,९३,०००
९७	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	९६,००,०००
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,१३,९७,०००
११२	चलमुद्रा और टंकण पर पूंजी व्यय	१,६३,४७,०००
११७	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन	४५,००,००,०००
११९	अनाज की खरीद	६७,५९,००,०००
१३०	सड़कों पर पूंजी व्यय	९७,९२,०००
१३४	दिल्ली पूंजी व्यय	५०,००,०००

वर्ष १९५८–५९ की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
११७	१	श्री सूपकार	हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड पर व्यय	१०० रु०
११९	२	श्री सूपकार	राज्य व्यापार का कार्यसंचालन	१०० रु०

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये मांगें और कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं ने कटौती प्रस्दाव संख्या १ और २ प्रस्तुत किये हैं । कटौती प्रस्ताव संख्या १ हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के लिये रखी गयी ३४ करोड़ से कुछ अधिक रुपये की मांग के संबंध में हैं । मांग के साथ जो व्याख्या संलग्न है उस में कहा गया है कि चालू वर्ष के आय व्ययक में हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की अंश पूंजी में विनियोजन करने के लिए १५७·८८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । उस में यह भी कहा गया है कि भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में कार्य की वास्तविक प्रगति आशा से अधिक रही है । मैं नहीं समझता कि किस प्रकार कार्य में आशा से अधिक प्रगति हुई है । सब लोग जानते हैं कि इन तीनों इस्पात कारखानों का कार्य निश्चित समय से देर में हो रहा है । रूरकेला और भिलाई में पहली भट्टी अक्टूबर १९५८ में चालू हो जाने चाहिए थी। पर इस में ३ महीने का विलम्ब हो गयी । तीन महीने के विलम्ब का अर्थ—आचार्य कृपालानी द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार—३० करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान । मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने कछुये की चाल से प्रगति करने की अनुमान लगा रखा था पर चूंकि प्रगति कछुये की चाल से कुछ अधिक रही है अतः वे समझते हैं कि उन्होंने कोई तीर मार लिया है और उनकी पीठ ठोंक कर उनकी सराहना की जाये । आरम्भ में थोड़ी राशि की व्यवस्था कर के वर्ष के अन्त में ३४ करोड़ की अनुपूरक मांग करना सरकार की धीमी प्रगति का उदाहरण है ।

मूल योजना यह थी कि इस्पात के तीनों कारखानों पर ३०० करोड़ रुपये का व्यय होगा । पर इस समय हम देखते हैं कि बस्ती बनाने, जल संभरण आदि की व्यवस्था करने आदि का सब व्यय ५५५ करोड़ रुपये का हो गया है । स्पष्ट है कि गैर सरकारी क्षेत्र में जिस काम पर १ रुपया व्यय होता है उसी काम पर सरकारी क्षेत्र में २ रुपये व्यय होते हैं । आपको ध्यान होगा कि रूरकेला इस्पात करखाने में पहले सरकार ने बताया कि कुल १२ करोड़ का व्यय होगा और यह कारखाना जर्मनी की संस्था के आधे साझे में होगा । पर बाद में सरकार ने उस समझौते को भंग कर दिया और सारा व्यय अपने ऊपर ले लिया । इस बात पर भारत के महालेखा परीक्षक ने भी आपत्ति की थी । हमें ध्यान रखना चाहिये कि यदि हमारे इस्पात कारखाने में होने वाले उत्पादन का मूल्य गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात के मूल्य से कम नहीं होगा तो हमारे इस्पात कारखानों की प्रगति अच्छी नहीं हो सकती और देश की अर्थ व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । बोकारों में हम एक चौथा इस्पात कारखाना भी खोलना चाहते हैं । पर हमें ध्यान रहे कि हम अपनी पुरानी गलतियों से शिक्षा लें और अब पुरानी गलतियों को दोहरायें न ।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ११९ के संबंध में है । उसके साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन से पता लगता है कि हम इस बात का ठीक अनुमान नहीं लगा पाते कि कितना खाद्यान्न हम देश में इकट्ठा कर पायेंगे और कितने खाद्यान्न का हमें आयात करना होगा । सब से पहले हमें इस बात के ठीक ठीक आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए कि हम देश में कितना अनाज इकट्ठा कर लेंगे और उसी के अनुसार हमें आयात का कार्यक्रम जानना चाहिए । १९५८ के मध्य से सरकार ने राज्य व्यापार आरम्भ किया है । राज्य व्यापार तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उत्पादन को उत्पादन का समुचित मूल्य न मिले और सामान्य उपभोक्ता को समुचित मूल्य पर खाद्यान्न न मिले । पर ये दोनों बातें नहीं हो पा रही हैं । सरकार को चाहिये कि खाद्यान्न के समाहार में अभिकर्ता चोर-बाजारी न करने पावें । इस संबंध में भ्रष्टाचार करने वालों को कठिन दण्ड दिया जाना चाहिये । चूंकि अन्य वस्तुओं का मूल्य खाद्यान्न के मूल्य पर बहुत सीमा तक निर्भर होता है अतः जब तक सरकार खाद्यान्नों की स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर ले ती खाद्य समस्या हल नहीं हो पायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खान देश) : मैं कई मांगों के संबंध में बोलना चाहता हूं। जो कुछ मुझे कहना है मैं संक्षेप से कहूंगा। पृष्ठ ३ पर मांग संख्या ५ के संबंध में मुझे कहना है कि जब नुमाइश (प्रदर्शनी) पर ६४ लाख रुपये व्यय हुये हैं और आय ४८ लाख रुपये की हुई है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि नुमाइश से हमें लाभ हुआ है। इस बात का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि मीटरिक प्रणाली के बाटों का प्रचार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे में तथा सरकार के अन्य विभागों में इन बाटों को कब से चालू किया जायेगा।

पृष्ठ १७ पर मांग संख्या ३५ के संबंध में मैं जाना चाहता हूं कि २५ नये पैसे का सिक्का जिसके स्थान पर इस समय पुरानी चवन्नी प्रयोग में आती हैं—कब बनाया जायेगा क्योंकि इसके बिना लोगों को कठिनाई हो रही है। पृष्ठ २५ पर मांग संख्या ६६ में नहरी पानी विवाद के संबंध में, जो शिष्ट मंडल अमरीका गया है, उल्लेख है। यह शिष्ट मंडल शायद मई १९५९ तक अमरीका रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस शिष्टमंडल का मई १९५९ तक वहां रहना आवश्यक है। हम शिष्ट मंडल को वहां रखकर बहुत खर्च रहे हैं,। फिर मांग संख्या ७ में कहा गया है कि रावी, व्यास, सतलज नदियों के पानी के समुचित उपभोग के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और योजनायें बनाई जा रही हैं। जिनके लिये ६१ लाख रूपये रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि यह राशि बहुत अधिक है। अतः इसकी व्याख्या की जाये। मांग संख्या ७२ में श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति के कार्य के लिए २ लाख रुपये की व्यवस्था है। मैं पूछता हूं कि इस समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और हमें निर्णयों के संबंध में अन्तिम प्रतिवेदन कब मिल जायेगा। मांग संख्या ८८ में तुएनसांग नागा पहाड़ी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए—जिन के निर्माण में ६० लाख की लागत लगी थी—१६ लाख की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि यह राशि आवश्यकता से अधिक है। मांग संख्या ९७ में मुद्रण तथा लेखन सामग्री के लिए ४·३६ करोड़ का उपबन्ध है। मैं समझता हूं कि कागज का व्यय बहुत होता है। क्या इस व्यय को कम करने के लिए कुछ उपाय काम में लाये जा रहे हैं। प्रचार के लिये जो प्रकाशन होता है वह हम लोगों को मिलता है। पर जो आवश्यक प्रकाशन हमें चाहिये वह नहीं मिलता। अतः आवश्यक प्रकाशन भी उपलब्ध कराये जायें। इसके अतिरिक्त तार डाक विभाग में रजिस्ट्री भेजने के लिए ५०, २० और एक नये पैसे का टिकट लगाना पड़ता है। अतः ७१ नये पैसे के टिकट बना दिये जायें तो इस से भी कागज आदि की बचत हो सकती है।

मांग संख्या १०६ के संबंध में कहा गया है कि नंगल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के लिए ७० लाख रुपये की आवश्यकता है। व्याख्या में कहा गया है कि हमारे आंकड़े गलत निकले हैं। पर यह तो कोई कारण नहीं है। फिर इस परियोजना का वार्षिक प्रतिवेदन भी आज सुबह ही सभा पटल पर रखा गया है। ऐसी स्थिति में हम से ७० लाख रूपये की राशि स्वीकृत करने की मांग की जा रही है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए ८५ लाख रूपये की मांग की गयी है। कहा गया है कि ऋण या समन्याय पूंजी में विनियोजन करने के लिए राशि की आवश्यकता है। यह बात ठीक नहीं है। स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना चाहिये कि धन की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों पड़ी? ढलाई परियोजना के लिए १० लाख की मांग की जा रही है पर अभी तक मांग क्यों नहीं की गयी। अब वर्ष के अन्त में मांग की जा रही है।

पृष्ठ ४५ पर नेपा मिल्स का उल्लेख है जिसके संबंध में बड़ी गड़बड़ी मालूम होती है। १२ वर्षों से यह मिल काम कर रही है पर उस में हमें कोई लाभ नहीं है। ३३ लाख रु० का घाटा देखकर तो

---

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री नौशीर भरूचा]

यही पता लगता है कि आगामी ५-६ वर्षों में ही हमारी समन्याय पूंजी बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। इस समवाय की जांच के लिए १९५३ में एक समिति नियुक्त की गयी थी। मैं समझता हूं कि पुनः एक समिति बना दी जाये जो इस समवाय की जांच करे।

मांग संख्या ११२ में, मैसूर सरकार को सोने के बदले कम दाम देकर शेष जो राजकीय सहायता दी जा रही है, वह राजकीय सहायता नहीं है बल्कि मूल्य का भी एक अंश है। अतः मेरा निवेदन है कि सारी राशि मूल्य के रूप में मैसूर राज्य को दी जानी चाहिए।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मुद्राकोष के नियमों के अनुसार हम बाजार मूल्य से अधिक मूल्य नहीं दे सकते। यह मैसूर सरकार बाजार में सोना बेचती तो उसे अधिक मूल्य मिलता। अतः हम मैसूर सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य दे रहे हैं और जो कमी रह गयी है उसे राजकीय सहायता के रूप में दे रहे हैं। यह तो हिसाब-किताब की बात है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : पर यह राजकीय अनुदान नहीं है बल्कि क्रय मूल्य का एक भाग है।

मांग संख्या ११७ में २५,००,००,००० रु० की राशि को भारित राशि दिखाया गया है। राज्य सरकारों को दिये गये अग्रिम भारित नहीं माने जाते वे स्वीकृत माने जाते हैं। अतः २५ करोड़ रुपये की यह मांग नियम विरुद्ध है। इस्पात के कारखाने के लिए ३९ करोड़ रुपये की जो मांग की गयी है उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि जब तक हमें कारखाने की प्रगति का लेखा-जोखा न मिले, हम लोग इस कारखाने के लिए ३९ करोड़ की राशि स्वीकृत नहीं कर सकते।

मांग संख्या ११९ के संबंध में जैसा कि श्री सूपकार ने कहा है, ठीक दिखाई पड़ता है। खाद्यान्नों के आयात के आंकड़े समय-समय पर इतने बदलते क्यों रहते हैं। हमें देश में अधिक खाद्यान्न इकट्ठा करने की बात पर जोर देना चाहिये। वर्षा न होने के कारण फसल खराब होने पर हमने १.५ लाख टन के बजाय ५ लाख टन खाद्यान्न इकट्ठा करने की कार्यवाही की। मैं समझता हूं कि आयात के आंकड़ों के संबंध में काफी सावधानी रखी जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों का उत्तर दें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं केवल मांग संख्या ५८ के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। संविधान के अनुच्छेद २९६ के अन्तर्गत कुछ भूतपूर्व राजाओं को निजी थैलियां दी जाती हैं। पर इन थैलियों के अलावा उनके आश्रितों तथा अन्य सम्बन्धियों को मासिक भत्ते भी दिये जाते हैं। ये भत्ते राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि शासकों के आश्रितों को जो भत्ते दिये जाते हैं उन्हें भारत की संचित निधि में कैसे भारित किया जाता है और किस मद के अधीन ?

उड़ीसा में एक विधवा रानी को, जो उड़ीसा मंत्रिमंडल की सदस्या थी, ५०० रु० मासिक भत्ता दिया जाता था। बाद में कुछ अन्य विधवा रानियों को ५००० रु० तक के भत्ते दिये गये। यह

†मूल अंग्रेजी में

सब राजनैतिक या दलीय भेद भाव के आधार पर किया गया। अब तो बौध की रानी को भी २००० मासिक का भत्ता दिया जा रहा है। बौध के राजा की मृत्यु होने पर भारत सरकार ने दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी। बाद में विधवा रानी को १००० रु० का भत्ता स्वीकार किया गया। अब इस राशि को बढ़ा कर २००० रु० किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि यह राशि क्यों बढ़ाई जा रही है और साथ ही यह राशि भारत की संचित निधि से क्यों दी जाती है, राज्य की सरकार की संचित निधि से क्यों नहीं दी जाती? मैं पूछता हूं कि राजनैतिक आधार पर इस प्रकार का भेद भाव क्यों बरता जा रहा है। अन्य राज्यों में जैसे केरल व बम्बई में यह राशि राज्य सरकार की संचित निधि में से दी जाती है तो फिर इस मामले में एक नया तरीका या एक नई बात क्यों की जा रही है। माननीय गृह-कार्य मंत्री से मैं पूछता हूं कि क्या अन्य राज्यों के राजाओं के आश्रितों के लिए भी यह सुविधा प्रदान की जायेगी। आशा है कि माननीय मंत्री मेरी बात का समुचित उत्तर देंगे।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी): मांग संख्या १ के संबंध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने यह कहा है कि यह मांग विशेषतः निर्यात संवर्द्धन के कार्य में विकास होने के कारण रखी गई है। इसी के विषय में मुझे दो शब्द कहने हैं। मैं मंत्रालय से इस सभा में बार बार निवेदन कर चुका हूं कि उड़ीसा में १३७ से भी अधिक मेंगनीज की खानें बन्द हो गई हैं, जिस के फलस्वरूप १५००० से भी अधिक व्यक्ति बेकार हो गये हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेंगनीज के लिये नये बाजार खोलने के संबंध में अब तक मंत्रालय ने ऐसा क्या कार्य किया है, जिस के फलस्वरूप ये खानें पुनः खुल जायें और अपना कार्य आरम्भ कर सकें। इस संबंध में छोटे खान मालिकों ने सरकार से बार बार यह प्रार्थना की है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त की जायें जिस से वह अपनी खानें खोलने में समर्थ हो सकें परन्तु मंत्रालय ने अभी तक उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अब मैं मांग संख्या ५३ को लेता हूं। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि यह बात सत्य है कि भूतपूर्व राजाओं को उनकी निजी थैलियां देने के संबंध में पक्षपात किया जाता है। बौध की रानी की निजी थैली की राशि को १००० रू० प्रतिमाह से बढ़ा कर २००० रू० प्रतिमाह कर दिया गया है। उड़ीसा में २५ अन्य रानियां भी हैं, तब क्या कारण है कि एक विशेष रानी की ही निजी थैली की रकम बढ़ाई जा रही है। वस्तुतः अब यह समय आ गया है कि हम जनता की मांग का विचार करते हुए राजाओं को दिये जाने वाले निजी थैलियों के संबंध में अपनी नीति परिवर्तित करने पर विचार करें।

मांग संख्या ११७ का संबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये ऋण से है। वस्तुतः राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार को एक बहुत बड़ी राशि केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण के व्याज के रूप में चुकानी होती है। उड़ीसा प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को ३ करोड़ रुपये ब्याज के देता है। जिस से राज्य सरकार के लिये कुछ नये कर लगाना अनिवार्य हो गया है। उड़ीसा की सामान्य जनता गरीब है और उसके लिये करों की बढ़ती हुई राशि चुकाना असंभव है। अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों को दिये गये सारे ऋण की राशि जोड़ ले और यदि वह १०० करोड़ रुपये के बराबर है तो उन्हें यह बता देवे कि यह राशि उन्हें ३० वर्ष बाद चुकानी होगी। इस से राज्य सरकारों का एक बड़ा भार हलका हो जायेगा। राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों इत्यादि को भी चाहिये कि वह इस विषय की चर्चा केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा उपमंत्री से भी करें जिस से इस विषय में स्थिर नीति निर्धारित की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

अब मैं अंतिम मांग को लेता हूं । यह मांग खाद्यान्नों की खरीद से संबंध रखती है । मैं राज्य द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार किये जाने से सहमत हूं तथापि इस में कुछ सुधार की आवश्यकता है । सरकार ने उड़ीसा में धान की कीमत ७ रु० प्रतिमन और चावल की कीमत १५ रू० प्रतिमन निर्धारित की है । इस खरीद के लिये कुछ सरकारी एजेंट मुकर्रर किये गये हैं । इन में अधिकांश वही लोग हैं जो बड़े बड़े मिलमालिक और आढ़तिये हैं । उन सब के खिलाफ अनाज जमा करने के आरोप हैं । इस पर भी राज्य का प्रचार विभाग इस बात की सर्वसाधारण को सूचना नहीं दे रहा है कि अमुक इलाके का सरकारी खरीदार कौन है । फल यह हो रहा है कि यद्यपि भाव ७ रू० प्रति मन है तथापि किसान लोग ६ रू० प्रतिमन धान बेच रहे हैं । इस संबंध में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है । इसी संबंध में मैं अन्तर्राज्यीय व्यापार को लेता हूं । अभी हाल उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल से चावल बेचने के संबंधी एक समझौता कर लिया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने बीच में पड़ कर यह कहा कि पश्चिम बंगाल केन्द्रीय सरकार के ही द्वारा यह खरीद कर सकेगा । परिणाम यह हुआ कि यह सौदा रद्द कर देना पड़ा जब कि केरल को सीधे मद्रास और आंध्र से चावल खरीदने की अनुमति दे दी गई । मेरे समझ में नहीं आया कि उड़ीसा के साथ इस प्रकार का पक्षपात क्यों किया जा रहा है । यह अनुचित है ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : मैं सब से पहले मांग संख्या ५ को लेता हूं । यद्यपि 'भारत १९५८ प्रदर्शनी' के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है तथापि मेरा इस संबंध में यह मत है कि राज्य सरकारों ने इस प्रदर्शनी में पूरा सहयोग नहीं दिया । राज्य सरकारों के स्टाल उतने आर्कषक नहीं थे जितने कि होने चाहिये थे । इस संबंध में एक बात यह भी थी कि प्रदर्शनी के लिये बाहर से आये हुये कर्मचारियों के लिये उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई । जिसके फलस्वरूप दिल्ली की सर्दियों में उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी । मांग संख्या ३७ पदनिवृति भत्तों और अतिवयस्कता भत्तों के संबंध में है । तथापि मेरे समझ में यह नहीं आया कि इस राशि में १३ लाख रुपये की वृद्धि होने का वास्तविक कारण क्या है । मांग संख्या ६७ अखिल भारतीय रेडियो, बम्बई द्वारा किराये पर ली गयी इमारतों के किराये इत्यादि से संबंधित है । इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि त्रिचिनापल्ली के अखिल भारतीय रेडियों स्टेशन की हालत भी बहुत खराब है ।

मांग संख्या ६९ सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से संबंधित है । इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे नहरी पानी विबाद के बारे में पूरी पूरी जानकारी सभा को दी जानी चाहिये । मांग संख्या ८४ परिवहन और संचार मंत्रालय से संबंध रखती है । इसका कारण यह बताया गया है कि मंत्रालय को पर्यटन का पृथक विभाग खोलना पड़ा । और सड़क परिवहन पुर्नगठन समिति का गठन इत्यादि करना पड़ा इस से यह व्यय हुआ । निसंदेह इस समिति के संबंध में कई बातें कही गई हैं । तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति ने कोई अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां तो उस प्रतिवेदन में क्या क्या सिफारिशें की गयी हैं । और उन में से कितनी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया गया है ।

मांग संख्या ९६ के संबंध में मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि मूल मांग २५ करोड़ की रखी गयी थी अब ३ करोड़ की अनुपूरक मांगें रखी गई हैं । इस से यह ज्ञात होता है कि योजना पूरी सावधानी से नहीं बनाई गई थी । निर्माण, आवास और संभरण मंत्री को चाहिये कि भविष्य में वह इस बात पर गौर करें कि योजना बनाने के संबंध में इस प्रकार की त्रुटियां न होने पावें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं मांग संख्या १०६ को लेता हूं इस में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के लिये १ करोड़ से अधिक की मांग की गई है । इस कारखाने के संबंध में यह कहा गया है कि इस कारखाने का उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्यों से ३०० प्रतिशत बढ़ गया है । यह बहुत अच्छी बात है, तथापि मैं इस कारखाने के संबंध में कुछ जानना चाहता हूं । पहिली बात तो यह है कि क्या इस कारखाने में बढ़िया प्रकार के ऐसे खराद नहीं बनाये जा सकते हैं जिनकी बाजार में अधिक मांग है । क्या हम इस संबंध में औद्योगिकों को संरक्षण देने वाली नीति तो नहीं बरत रहे हैं । खरादों के इस उत्पादन पर विदेशी खरादों के आयात के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाये । इसके साथ साथ प्रतिवेदन में भविष्य के उत्पादन कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये , ऐसा नहीं किया गया है । यह कारखाना सरकारी क्षेत्र के उन महत्वपूर्ण कारखानों से एक है जिन में श्रमिक प्रबन्धकों के साथ व्यवस्था में भाग ले रहे हैं । अतः इस प्रयोग के क्या परिणाम हुए । इनके संबंध में भी अधिक जानकारी दी जानी चाहिये ।

मांग संख्या ११९ में ६७ करोड़ रुपये की मांग रखी गई है मैं यह जानना चहता हूं कि क्या यह मांग आयात किये जाने वाले खाद्यान्न के परिणाम में वृद्धि होने के कारण ही हुई है अथवा हम खाद्यान्न ऊंचे भावों में खरीद रहे हैं।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह वृद्धि केवल परिमाण की वृद्धि के कारण हुई है, भावों के बढ़ने के कारण नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : इस वर्ष हमने १९१ करोड़ रुपयों का खाद्यान्न आयात किया है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस राशि को कम करने और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या किया जा रहा है । खाद्यान्नों की वसूली करने और सरकार द्वारा खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लिये जाने के लिये क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं । सरकार को इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये । साथ ही जनता को भी यह बताना चाहिये कि क्या अगले वर्ष भी इतनी ही बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया जायेगा । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चावल का कितना आयात किया जाता है वह क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये काफी है।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): मांग संख्या ९७ कागज की खरीद के संबंध में है । सरकार को इस मद में लग भग ४० लाख रू० और खर्च करने पड़े हैं । कारण यह है कि सरकार इस वर्ष कागज की कीमत पहिले वर्ष से १५४ रुपया अधिक दे रही है । हम जानते हैं कि कागज उद्योग पहिले ही बहुत लाभ कमा रहा है तब कीमतों में इस वृद्धि का कारण क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : कीमतों में वृद्धि का कारण केन्द्रीय बिक्री कर और उत्पादन शुल्क में वृद्धि है यह वृद्धि वर्ष के पिछले भाग से लागू हुई है ।

†**श्री वें० प० नायर** : यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है तथापि मेरा विचार है कि बाजार में कागज की कीमतों में वृद्धि का कारण यह है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यापारी यह चाहते हैं कि प्रशल्क आयोग का प्रतिवेदन आने के पूर्व वह सरकार से काफी कागज खरीदवा लेवें ।

अब मैं निर्यात संवर्द्धन से संबंधित मांग पर आता हूं । ज्ञात होता है यह राशि पश्चिम जर्मनी के फ्रैन्क्राफार्ट नामक स्थान पर एक संगठन स्थापित करने के कारण रखी गई है। उसके प्रभारी मंत्रालय के एक अधिकारी हैं। इस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में डा० लंकासुन्दरम् ने

† मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

अपने समाचार पत्र में एक संवाद प्रकाशित किया है। जिस में दिलचस्प बातें कही गई हैं उस में यह भी कहा गया है कि यह अधिकारी जर्मन नहीं जानता है जब कि इसे भविष्य में आधे से अधिक यूरोपीय देशों में निर्यात संवर्द्धन का कार्य करना है जिसके लिये जर्मन जाननी आवश्यक है। अपने रवाना होने के पूर्व इस अधिकारी महोदय ने बम्बई के अधिकारियों को एक पत्र लिखा जो बहुत दिलचस्प है और जिससे प्रतीत होता है कि यह अधिकारी चाहता है कि प्रस्थान के पूर्व उसकी शानदार आवभगत की जाये। डा० लंकासुन्दरम् ने इस पत्र को बेवकफी का नमूना कहा है। इस के अतिरिक्त अभी तक हमारे निर्यात व्यापार का अधिकांश अंश विदेशी व्यापारियों के हाथों में ही हैं। सरकार को चाहिये कि वह भारतीय व्यापार को इस एकाधिकारिता से मुक्ति दिलाने का भी प्रयत्न करे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने के पूर्व मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां श्रम मंत्रालय का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है जब कि आपने यह निर्णय दिया है कि जिस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जाय उसका मंत्री उस समय उपस्थि रहना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से वह आते ही होंगे। माननीय सदस्य को इस संबध में इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि वह सरकार पर कोई कड़ा आक्षेप करेंगे तो सरकार उसका उत्तर देगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं मांग संख्या १८ को लेता हूं। यह मांग वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय से संबंध रखती है। सब से पहिले मैं राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला, जमशेदपुर के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। वह यह है कि इस प्रयोगशाला ने अभी हाल एक मिश्रित धातु की खोज की है जो निकिल का स्थान ले सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस धातु का प्रयोग सिक्के बनाने के लिये किया गया है? यदि नहीं किया जा रहा है तो इसका क्या कारण है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी हाल वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेणा परिषद ने एक नये प्रकार की भट्टी का आविष्कार किया है।

भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाली लोह अयस्क और घटिया प्रकार के कोयले का उपयोग इस्पात बनाने के लिये किया जा सकता है कि नहीं, इसका प्रयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद द्वारा आविष्कृत भट्टी में किया जा सकता है।

मांग संख्या ७२ के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि संभरण मंत्रालय द्वारा खरीदे गये माल के निरीक्षण का कार्य एक गैर सरकारी संस्था के सुपुर्द कर दिया गया है। यह उचित नहीं है। यदि इस काम को करने वाले अधिकारी रेलवे विभाग को दे दिये गये हैं तो भी सरकार को चाहिये कि उनका कार्य अपने ही अनुभवी कर्मचारियों से करवाये। वस्तुतः विदेशों से खरीदे गये माल का परीक्षण इस प्रकार किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा करवाना उचित्त नहीं है।

मांग संख्या १०६ के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के लिये ढलाई घर तत्काल बनाया जाये और इस ढलाई घर के लिये विश्व के सभी देशों से टेंडर मांगे जाने चाहिये।

---

†मल अंग्रेजी में

मांग संख्या ८४ के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जलयान मरम्मत समिति की नियुक्ति हुए कई महीने हो गये तथापि उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। समिति के अध्यक्ष को दिये जाने वाले मानदेय तथा भत्तों के सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख नहीं है। इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : इस समिति का प्रतिवेदन जून के अन्त तक प्रकाशित हो जायेगा। इस संबंध में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक समय न लिया जाय। वस्तुतः समिति को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाना पड़ा और उनका विस्तृत अध्ययन करना पड़ा। मेरे विचार से हमें श्री अलगेशन तथा अन्य सदस्यों का कृतज्ञ होना चाहिये। श्री अलगेशन को उतनी ही राशि दी जा रही है जितना कि समिति का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें मिलनी चाहिये। मेरे विचार से उन्हें मासिक २००० रुपये के लगभग मिलता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं इस स्पष्टीकरण के लिये आपका कृतज्ञ हूं।

मांग संख्या ११७ के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में ऊंचे ऊंचे पदों पर रेलवे के बहुत से पदनिवृत कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। हमें इन कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सावधान रहना चाहिये। और इनकी नियुक्ति पर्याप्त विचार के पश्चात् की जानी चाहिये।

अब मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांग संख्या ७२ को लेता हूं। श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके एक सदस्य की मृत्यु हो गई है तो क्या नये सदस्य को नियुक्ति के बाद ही इस समिति की सिफारिशें प्रकाशित की जायेंगी। वस्तुतः यह मामला तीन चार वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ है। और इस बीच कई समाचार पत्र बन्द होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिये कि वह ऐसा न होने दे। और समिति का प्रतिवदन अविलम्ब प्रकाशित करने का प्रयत्न करे।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डिमांड (मांग) नम्बर ६९ और ७० के बारे में कुछ अर्ज करना है। इन डिमांड्स में सतलज, व्यास और रावी के पानी के इन्तिजाम के सिलसिले में जो डेलीगेशन गये हैं उनके लिये खर्च की मांग की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक नम्र निवेदन यह है कि क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है इसलिये हालत यह है कि अगर पंजाब को इन नदियों के पानी के बटवारे में कुछ नुकसान होने की भी संभावना हो तो भी वह इसको प्रकट करने से डरता है। सरकार की जिस तरह से नीति चल रही है उसको देखते हुये यह अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि इस तरह की बात कहते हुये अफसरों के दिल में कितना डर हो सकता है।

पंजाब में आम जनता को यह आशंका है कि यह जो नहर के पानी का फैसला होने वाला है हो सकता है कि जब यह आखिरी तौर पर हो तो ऐसा हो कि जिससे पंजाब की जनता के दिल को तसल्ली न हो और जितना पानी हिन्दुस्तान के पंजाब को मिलना चाहिये उतना न मिल पाये। इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की मिनिस्ट्री आफ इर्रिगेशन एण्ड पावर एक पैमफलेट

---

† मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणबीर सिंह]

छपवाये, जिसमें नहरी पानी के झगड़े की सारी कहानी और सारे वाकयात दर्ज हों और जिसमें बताया जाये कि किस तरह से पहले पाकिस्तान के पंजाब और हिन्दुस्तान के पंजाब के बीच में इस बारे में फैसला हुआ, वह क्या था और उसके बाद विश्व बैंक के इस झगड़े के बीच में पड़ने के बाद क्या हुआ और अब क्या पोजीशन (स्थिति) है। मुझे यह देख कर बड़ा दुख होता है कि दिल्ली से हुक्म चलता है कि भाखरा बांध से जो पानी इकट्ठा किया गया है, उसको सतलज में पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिये डाल दिया जाये, चाहे पंजाब की नहरों के लिये पानी काफ़ी हो या नहीं। इसकी वजह यह है कि इधर उधर से विश्व दबाव पड़ते हैं, हालांकि जो पहला फैसला हुआ, उसके तहत इन तीनों दरियाओं का पानी हिन्दुस्तान के पंजाब को मिलना था, लेकिन इंटरनेशनल बैंक ने कहा कि जहां खड़े हैं, वहां ही खड़े रह जायें और उसके बाद जब पाकिस्तान वाले उस समझौते से पीछे हट गये, उसके बाद भी हमें तरक्की करने से कई दफ़ा रोका जाता है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री आफ़ इरिगेशन एण्ड पावर, मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज़ से सलाह-मश्वरा करके इस बारे में एक पैमफ्लेट छपवाये, जिसमें बताया जाये कि क्या हमारी पोजीशन थी और आगे क्या होना है, ताकि आम पंजाबी और आम हिन्दुस्तानी को इस बारे में जो ग़लतफहमी है, वह दूर हो सके।

जहां तक माहू टनल प्राजेक्ट और दूसरी प्राजेक्ट्स के लिये रुपया देने का ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी दूसरे पांच-साला प्लान के तहत इतना रुपया तलाश किया जाये कि पंजाब की सरकार व्यास, रावी और सतलज के पानी का इन्तज़ाम कर सके। आप जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान सरकार काश्मीर वगैरह दूसरे झगड़ों में अदलती बदलती रहती है, उसी तरह पानी के झगड़े के बारे में भी अदलती बदलती रहती है। जितनी जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा रुपया दिला सकेंगे, उतना ही जल्दी इस मसले का हम हल करा सकेंगे।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भाखड़ा में पहला पावर हाउस १६६० में चालू होगा और दूसरे पावर हाउस बनाने के लिये हमें रुपया दिलाया जाये। आप जानते हैं कि वहां पर बारह, तेरह हज़ार आदमी काम करते हैं और उन्होंने वहां काम सीखा है। परसों हम भाखरा गये। वहां के एक अफ़सर ने बताया कि जो बाल्टी सीमेंट डालती है उसमें काम करने वाले अमरीकन को सात हजार रुपये तन्ख्वाह मिलती थी और अब जो हिन्दुस्तानी काम करता है, उसको ढाई सौ, तीन सौ रुपये ही मिलते हैं और उसकी काम करने की शक्ति अमरीकन से भी ज्यादा है। मेरा निवेदन करने का मन्शा यह है कि पंजाब में भाखरा में लोगों ने जो स्किल (कला) सीखी है, वे उसको भूल न जायें और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठायें, इसके लिये ज़रूरी है कि वहां काम जारी रखने के लिये रुपया दिया जाये। असल बात यह है कि भाखरा पावर हाउस से जो बिजली मिलनी है, पंजाब वालों के लिये उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाकी नहीं रह गया है। कुछ नांगल फ़रटिलाइज़र फैक्ट्री के लिये रखी गई है और कुछ दिल्ली और राजस्थान की सरकार को दी जायेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब की तरक्की के लिये बिजली की अशद ज़रूरत है। अगर कहीं आम आदमी और देहात के लोग बिजली का फायदा उठा सकते हैं, तो वह पंजाब है। यह बहुत नामुनासिब है कि पंजाब को सिर्फ इसलिये पीछे रखा जाये कि वहां बिजली पैदा न हो, हालांकि वहां के लोग पैदा कर सकते हैं। इसलिये इस काम के लिये जल्द से जल्द रुपया देना चाहिये।

अब मैं डिमांड नम्बर ११७ के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि पंजाब में ३२ लाख एकड़ भूमि खराब हो गई। अगर यह ज़मीन खराब न होती और उसको

खराब न होने दिया जाय—उसको ठीक कर दिया जाये, तो वहां पर नहरी पानी से खेती हो सकती है और अन्दाजा लगाया गया है कि वहां पर १७२ लाख मन फूड-ग्रेन्ज़ पैदा हो सकते हैं और २५ लाख मन चीनी पैदा हो सकती है और २० लाख मन कपास पैदा हो सकती है। आज ये तीनों चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार स्टेट को कोसी प्राजेक्ट के लिये दूसरे पांच-साला प्लान में जितना रुपया दिया गया है, उससे फालतू रुपया दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब के लिये पहले जो चार करोड़ रुपया रखा गया था, उसको घटा कर अब २·९६ करोड़ कर दिया गया है, हालांकि कि पंजाब के फ्लड कंट्रोल बोर्ड की स्कीम्ज़ ५·४ करोड़ की तैयार हैं। अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में बाहर से अनाज आना बन्द हो, लम्बे रेशे की कपास आना बन्द हो, और देश में तरक्की हो सके, और जिस रुपये से हम अनाज और कपास मंगाते हैं, उससे हम मशीनें मंगा सकें, तो यह निहायत ज़रूरी है कि पंजाब के फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने जितने रुपये की स्कीम्ज़ बनाई हैं, उनके लिये पूरा रुपया दूसरे पांच-साला प्लान में दिया जाये। उसको घटाने की कोई वजह नहीं है। हमें इस बात का गिला नहीं है कि कोसी के प्राजेक्ट में फ्लड कंट्रोल के लिये ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। अगर वहां ज्यादा रुपये की ज़रूरत है, तो वह बेशक दिया जाये, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस देश को नहरों के ईरिगेशन पोटेंशियल का पूरा फायदा नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि नहरों का पानी इस्तेमाल करने की लोगों की आदत नहीं है। इसके बर-अक्स पंजाब में भाखरा की नहरे तीन साल पहले कम्पलीट हो चुकी थीं और वहां के किसान उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब का किसान हिन्दुस्तान के लिये अनाज, कपास और चीनी पैदा करने के लिये तैयार है, वह मेहनत-कश है, वह जंगलों को काटता है और पैदावार करता है। यह दुख की बात है कि हमारी फूड मिनिस्ट्री बाहर से अनाज मंगवाने के लिये बजट में जितना रुपया रखा गया था उससे भी अधिक ६९ करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन पंजाब को पांच करोड़ रुपया भी नहीं दिया जाता है। यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि वाटर-लागिंग की वजह से ३४ करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है। हम तो सिर्फ पांच करोड़ रुपये मांगते हैं। मैं नहीं समझता कि यह कौनसा बनिये का हिसाब है। अगर कोई आम बनिया या साहुकार होता, तो मैं समझता हूं कि वह हमको ज़रूर यह रुपया दे देता।

इसके बाद मुझे यह भी कहना है कि पंजाब को दो हिस्सों में तक्सीम किया गया है—एक का नाम पंजाबी रिजन है और दूसरे का हिन्दी रिजन—और इसको इस सदन ने माना है। हिन्दी रिजन को और १·६ करोड़ रुपया अगर मिले तब उनको वैस्टर्न यमुना कैनाल का जो पानी है उसका पूरा फायदा पहुंच सकता है। अगर इतना रुपया उसको मिले तभी वाटर लागिंग जो है उसको रोका जा सकता है। लेकिन इस पांच करोड़ में से बहुत कम रुपया ही उस इलाके को मिलने वाला है। हम पंजाब के छोटे भाई हैं और गिनती के हिसाब से भी हम कम हैं और इसका नतीजा यह है कि डेमोक्रेसी के अन्दर हमारा जो दबाव है वह थोड़ा है। हिन्दुस्तान की सरकार ने वहां के लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ उनको पंजाब के साथ जोड़ रखा है। लेकिन हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा एतराज़ नहीं है। यह बात ज़रूर है कि उस इलाके के रहने वालों के प्रति हिन्दुस्तान की सरकार की जिम्मेवारी आती है और मैं चाहता हूं कि भारत की सरकार हमको पूरा रुपया दिलाये।

अब मैं डिमांड नम्बर्ज़ ११९ और १२० के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। ये डिमांड्स फूड एंड एग्रीकलचर मिनिस्ट्री (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय) से ताल्लुक रखती हैं। आज हमारे देश के अन्दर अनाज की कमी है और हमको अनाज के वास्ते दूसरे देशों के आगे झोली पसारनी पड़ रही है और इसके बावजूद भी जो कमी है वह दूर नहीं हो पा रही है। अगर बनिये का हिसाब भी लगाया जाये तो पता चलेगा कि अनाज के महंगा होने के कारण गवर्नमेंट को डीयरनेस एलाउंस

[चौ० रणबीर सिंह]

बढ़ाना पड़ा है और अब दूसरी इंस्टालमेंट की जो मांग है वह भी ज़ोर पकड़ रही है । इसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार का खर्चा करोड़ों में बढ़ा है और बढ़ता जाता है । लेकिन एक अजीब सी हालत चली आ रही है हमारी फाइनेन्स मिनिस्ट्री की । मेरे जिले के अन्दर जो एक कोआप्रेटिव सोसाइटी है उसका पेडअप कैपिटल ७६ लाख के करीब है । इतना होने पर भी जो रिज़र्व बैंक है वह वहां तीस लाख से ज्यादा की क्रेडिट की लिमिट नहीं रखता है हालांकि काश्तकार जो कर्ज़ा लेते हैं इसके खिलाफ वे अपनी ज़मीन रखते हैं और जो ज़मीन इस तरह से रखी जाती है उसकी कीमत कर्ज़े से कहीं ज्यादा होती है । काश्तकार अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकता है और न ही कर्ज़े को मार सकता है । इंसान को अगर वह मार दे तो मार ले लेकिन सरकारी कर्ज़े को वह मार नहीं सकता है । इस के बावजूद भी वह उसको ज्यादा कर्ज़ा नहीं देता है । इस रुपये का इस्तेमाल वह शादी में करना नहीं चाहता या किसी और चीज में करना नहीं चाहता, इस रुपये से वह अव्वाम (जन साधारण) के लिये अनाज पैदा करना चाहता है या दूसरी चीजें पैदा करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको रुपया नहीं मिलता है । रिज़र्व बैंक कुछ बैंको का रिज़र्व बैंक नहीं है या साहूकारों का रिज़र्व बैंक नहीं है और अगर वह ऐसा होता तब तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन वह हिन्दुस्तान की सरकार का रिज़र्व बैंक है और इतना होने पर भी अगर वह हिन्दुस्तान के किसानों के लिये रुपया न निकाल सके तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है । इस सदन के अन्दर भी ज्यादातर जो नुमाइन्दे हैं वे किसानों के ही हैं और उन्हीं के फैसलों से यह रिज़र्व बैंक चलता है लेकिन इतना होने पर भी किसानों को कर्ज़ा लेने में दिक्कत होती है या उनको रुपया नहीं मिलता है ।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । पंजाब के अन्दर बेटरमेंट लेवी के खिलाफ कुछ भाई लड़ाई लड़ना चाहते हैं । यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिये या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं । आप करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से मंगा रहे हैं, दूसरों के आगे झोली पसार रहे हैं क्या इससे यह अच्छा नहीं होगा कि आप सूबों को बगैर सूद कर्ज़ा दें और अगर आपने बगैर सूद के दस पन्द्रह साल तक कर्ज़ा दिया तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपको दूसरों के आगे झोली पसार कर जाना नहीं होगा । अगर आपकी यही बनाये की नीति चलती रही तो यकीन जानिये कि हम दुनिया के सामने भिखारी ही बने रहेंगे । मैं चाहूंगा कि रिज़र्व बैंक और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज्यादा बिना सूद के रुपया दे ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके । मुझे मसूरी की बात याद आती है ; और दुख होता जहां पर १४६ करोड़ रुपये की मांग की गई है और वह रुपया न दे कर पता नहीं आपने कितना रुपया, कितने सौ करोड़ रुपया विदेशों को दिया है । अगर आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की पैदावार रेडियो पर प्रचार करने से बढ़ सकती है तब तो ठीक बात है लेकिन अगर पैदावार खेतों में बढ़ सकती है तो आपको जितने रुपयों की किसानों को आवश्यकता है वह देना होगा और बगैर सूद के देना होगा और अगर आपने ऐसा न किया तो आपको भिखारी ही बने रहना होगा ।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय "खाद्यान्नों का क्रय" शीर्षक के अन्तर्गत मांग संख्या ११९ के बारे में ही मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशों से आयात करें तथा अपने देश में भी अधिक उपज बढ़ायें । लेकिन विस्तृत चर्चा करने से पूर्व मैं अपने यहां की एक घटना

† मूल अंग्रेजी में

का उल्लेख करना चाहता हूं । त्रिपुरा राज्य ने चावलों को रखने के लिये कोई भी गोदाम नहीं है यहां तक एक अस्थायी शेड भी सरकार ने वहां नहीं बनवाया है जिसमें कि चावल रखा जा सके । इसी जनवरी की घटना है कि वहां लगभग २५ हजार से ३० हजार मन तक चावल खुले मैदान में पड़ा था । न वहां उसके रखने लिये कोई गोदाम था और न उसकी देख भाल के लिये कोई चौकीदार । वहां के जिला मजिस्ट्रेट का जब मैंने इसकी ओर ध्यान दिलाया तो उन्होंने लिखा कि वे इसका प्रबन्ध कर रहे हैं । इसके बाद अचानक ही वर्षा हो गई और वह सब चावल खराब हो गया । प्रश्न संख्या ४६२ के उत्तर में माननीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि वहां १६ हजार मन चावल था । किन्तु तथ्य यह है कि चावल इससे भी अधिक था । जिसके खराब हो जाने से हमारे देश को अपार क्षति हुई । आशा है कि माननीय मंत्री वहां काम करने वाले कर्मचारियों को यह आदेश देंगे कि भविष्य में इस प्रकार चावल का बुरा हाल न हो । सन् १९५४ से हम बराबर केन्द्र से चावल ले रहे हैं जिसे कलकालीघाट से त्रिपुरा राज्य के अन्य भागों में ले जाना पड़ता है । किन्तु ३–४ वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी वहां अभी तक एक भी गोदाम नहीं बनाया है। यदि माननीय मंत्री अथवा कोई भी संसद सदस्य वहां जायें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार चावल वहां नष्ट हो रहा है ।

इसके अलावा वहां दिये जाने वाले ठेकों में भी गड़बड़ी है । कलकालीघाट से चावल उठाने तथा राज्य के विभिन्न भागों में उसे समय पर पहुंचाने के लिये धर्मनगर के श्री कालीमोहन सेन को ठेका दिया गया । ठेके सम्बन्धी करार में जिन बातों का उल्लेख किया गया है श्री सेन ने उनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया है किन्तु वहां के प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की है । आखिर में काफी कठिनाइयों के बाद वहां से श्री सेन का ठेका रद्द किया गया । मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि यदि इनका यह ठेका पहले ही रद्द कर दिया गया होता तो इतनी कठिनाई और हानि नहीं उठानी पड़ती इसी कारण सभा में यह प्रश्न मैंने रखा है ताकि प्रभावशाली कार्यवाही की जाये जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न हो ।

अब आगे से प्रशासन को चुरईबाड़ी में कोई अस्थायी गोदाम बनाना चाहिये जिससे कि वहां खाद्यान्न, सीमेंट तथा अन्य सामग्रियां रखी जा सकें । अन्यथा भविष्य में भी काफी हानि उठानी पड़ेगी ।

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री के विचारार्थ कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं कि वहां के प्रशासन ने चावल की इतनी बड़ी मात्रा को खुले मैदान में क्यों रखा ? दूसरे प्रशासन ने किसी अन्य यातायात अभिकरण के द्वारा उस चावल को वहां से क्यों न हटाया ? क्या स्वार्थवश ही किसी ठेकेदार को उसका हित बनाये रखने के लिये यह कार्य किया गया ? और इस प्रकार की बातें प्रायः हमारे राज्य में होती रहती हैं ।

शिक्षा मंत्रालय का ध्यान भी एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं । त्रिपुरा राज्य के काकराबान नामक स्थान पर एक बेसिक कालिज खोलने के लिये धन दिया गया था । किन्तु अभी तक वहां एक क्लास भी नहीं खोली गई है । शायद सितम्बर १९५८ में एक अध्यापक की नियुक्ति भी हो गई है । वह बहुत समय तक बेकार रहा किन्तु फिर भी सरकार से उसे वेतन मिलता रहा । और इस प्रकार सरकार के धन का अपव्यय हो रहा है । इसलिये माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें और देखें कि यह सब क्यों हो रहा है ।

†श्री हाल्दर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं खाद्यान्न और मूल्य सम्बन्धी मांग संख्या ११९ के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में और विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न की जो कमी है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक ओर हमारे मंत्री तथा अन्य सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है किन्तु फिर पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न की इतनी कमी क्यों है ? हमारे यहां के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री भी खाद्यान्न की कमी के बारे में चर्चा करने के लिये दिल्ली आये थे। सन् १९५६ में पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न की कमी ३ लाख टन की थी जब कि प्रति वर्ष बढ़ते बढ़ते अब यह ९,५०,००० टन हो गई है। कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में छपा था कि खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होगी और संभरण नियमित रूप से किया जायेगा किन्तु जैसे ही यह छपा कि हमारे यहां ९$^1/_2$ लाख टन की कमी है उसी दिन बाजार में से चावल गायब हो गया।

खाद्यान्न की कमी केवल कलकत्ता में ही नहीं है अपितु राज्य के छोटे छोटे स्थानों में भी है और यहां तक कि गांवों के बाजार में बड़ी कठिनाई से चावल मिल पाता है। इसीलिये १९५८ के सितम्बर-अक्तूबर के महीने में सत्याग्रह किया गया था जिस पर मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि खाद्यान्न का संभरण नियमित रूप से किया जायेगा तथा सस्ता भी दिया जायेगा। किन्तु उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई। कलकत्ता तथा देश के सभी भागों में खाद्यान्न की प्राप्ति के लिये विरोध भी किया गया इस पर मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी ग्रामवासियों को संभरण नियमित रूप से किया जायेगा तथा राज्यीय और ग्राम्य स्तर पर खाद्य समितियां बनाई जायेंगी जिनमें सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे जिससे कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार तथा गड़बड़ी न हो। किन्तु फिर भी वह अपने वचन की पूर्ति नहीं कर सके।

सुन्दरबन में सिंचाई की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सुन्दरबन चावल उत्पन्न करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक समय तक यह क्षेत्र पश्चिमी बंगाल की "खत्ती" कहलाता था किन्तु सरकार की भूल तथा बांधों के लगातार टूटने से वहां बाढ़ें आईं। जिसके परिणाम-स्वरूप वह क्षेत्र भी कमी वाला क्षेत्र हो गया। पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों का मूल्य इतना बढ़ गया है कि वहां के निवासी वहां के मंत्रिमंडल के समक्ष प्रदर्शन करने के लिये १२ मार्च को कलकत्ते में एकत्र हो रहे हैं। वे सरकार से लड़ने के लिये नहीं अपितु इस बढ़ते हुये मूल्यों का विरोध करने के लिये ही एकत्रित हो रहे हैं। जिससे कि उन्हें नियमित रूप से चावल और अन्य खाद्यान्न मिलने लगें।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): कुछ विरोधी माननीय सदस्यों ने इस्पात योजनाओं के बारे में कहा है। श्री सूपकार ने कहा है कि इन योजनाओं में जो देरी हो रही है उसके कारण हमें काफी हानि उठानी पड़ रही है। मैं उनसे सहमत हूं और इसी कारण इस देरी को दूर करने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। यदि उन्होंने वर्तमान मांग का सावधानी से अध्ययन किया होता तो उन्हें इस बात का पता चल जाता कि इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये गये हैं और जिसके परिणाम अच्छे निकले हैं तथा इस सम्बन्ध में जो देरी हुई है वह दूर की जा रही है। यही उस अनुपूरक मांग का स्पष्टीकरण है जिसे हमने सभा में प्रस्तुत किया है। जब आयव्ययक बना था तो एक निश्चित राशि इसके लिये मांगी गई थी और उसकी व्यवस्था आयव्ययक में की गई थी। उस समय भिलाई और रूरकेला परियोजनाओं के बारे में कुछ कठिनाइयां थीं किन्तु

†मूल अंग्रेजी में

इनके बारे में जो पग उठाये गये हैं उनसे इनके तैयार करने में काफी जल्दी हुई है और यही कारण है कि हमने सदन से अधिक निधि की मांग की है। यदि माननीय सदस्य ने इसका सावधानी से अध्ययन किया होता तो वह हिन्दुस्तान स्टील द्वारा शीघ्रतापूर्वक काम करने तथा अधिक धन मांगने की प्रशंसा कर सकते।

परियोजनाओं में कार्य करने तथा संयंत्र और अन्य सामान के आने के बारे में भी काफी प्रगति हुई है और यही कारण है कि हमने अधिक धन की मांग की है। आक्कलनों में वृद्धि के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा की जा चुकी है। इस बारे में भी सभा को यह बताने में मुझे प्रसन्नता है कि इन तीन इस्पात परियोजनाओं पर किया जाने वाला खर्च वही रहा है जिसका अनुमान दो वर्ष पूर्व लगाया गया था। उसमें कोई और वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त धन की मांग का सम्बन्ध इन परियोजना के आक्कलन से कुछ नहीं है बल्कि यह राशि तो इन परियोजनाओं के कार्यों को बढ़ाने तथा संयंत्र तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं पर जो व्यय हुआ है, उसके बारे में है। अतः जो अधिक व्यय इस चालू वर्ष के दौरान में हुआ है उतना व्यय आगामी वर्ष में कम होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में इन परियोजनाओं पर जो व्यय होता है उसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र में उस पर दुगुना व्यय हुआ है। मेरा विचार है कि ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों से उनका सम्बन्ध अधिक नहीं रहा है। मेरा कहना है कि ग़ैर सरकारी क्षेत्रों में इन परियोजनाओं पर इतना व्यय होता, क्योंकि इन ग़ैर सरकारी क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी हमें मिली है उनसे यही पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इन इस्पात योजनाओं पर जो व्यय हुआ है वह इन ग़ैर सरकारी क्षेत्र में होने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक नहीं है मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि न जाने उनको ये आंकड़े कहां से मिल गये। यहां तक कि गैर-सरकारी क्षेत्रों का भी यह दावा नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में हम जो व्यय कर रहे हैं वे इसका आधा धन व्यय कर रहे हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे सदन में कोई अनुचित विवरण न दें क्योंकि इससे न केवल सरकार ही बल्कि परियोजनाओं के पदाधिकारियों की स्थिति बड़ी भद्दी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जिसके बारे में कोई दावा नहीं कर सकता और फिर वह उसके आधार पर विशेष रूप से उसका अनुमोदन करता है तो यह बात अच्छी नहीं है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : पृष्ठ ४९ पर उन्होंने किस प्रकार ५२ करोड़ रुपये का उल्लेख किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अब मैं उसका भी उल्लेख करता हूं। इसके बारे में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि प्राक्कलित व्यय १५७.८८ करोड़ से बढ़ कर १९६.८८ करोड़ हो गया है। दूसरे मांग संख्या १२८—हिन्दुस्तान इस्पात के अंश पूंजी के लिये नियोजन पर पूंजीगत लागत—के मद में १३.६ करोड़ धन की वापसी है। यह इस कारण हुआ कि हमने अस्थायी तौर पर यह निश्चय कर लिया है कि अंशपूंजी ३०० करोड़ से अधिक नहीं होगी और अतिरिक्त धन की पूर्ति ऋणों द्वारा की जायेगी यही कारण है कि एक मद के अधीन हम धन वापस कर रहे हैं और इसी मद के अधीन अतिरिक्त धन की मांग कर रहे हैं।

जहां तक कि ५२·६० करोड़ राशि की बात है यह बहुत सीधी सी बात है। वित्त मंत्रालय के अनुदान के अधीन अन्य दूसरे अनुमानित व्यय के द्वारा १८·५८ रुपये की राशि उपलब्ध है। और

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

अनुपूरक मांग केवल ३४·०२ करोड़ रुपये की है। यदि इन दोनों राशियों को मिला दिया जाये तो यह धन ५२·६० करोड़ रुपये हो जाता है।

श्री विट्ठलराव ने जमशेदपुर की धातुकर्म सम्बन्धी प्रयोगशाला के बारे में कुछ कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि "लॉ शाफ्ट फरनेस" का काम प्रारम्भ हो गया है। हमारा इरादा भी उसी प्रकार का है जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है अर्थात् निम्न श्रेणी के कच्चा लोहा तथा अधातुकर्म कोयला और लिगनाइट के प्रयोग का परीक्षण करना। इसी विचार से 'लॉ शाफ्ट फरनेस' का कार्य प्रारम्भ हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि इससे जो परिणाम निकलेंगे वे भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। इससे हमारा यह मूल उद्योग लोहा तथा इस्पात बनाने में समर्थ हो सकेगा।

उन्होंने स्टेनलैस स्टील का भी उल्लेख किया है जिसका विकास राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में हुआ है। इसके लिये इस प्रयोगशाला को बधाई देनी चाहिये और सरकार का विचार इस प्रणाली को नये स्टेनलैस स्टील तथा टाल अलाय संयंत्रों में उपयोग करने का है जो कि लगाये जाने वाले हैं। जहां तक कि इसकी किसी न किसी प्रयोजन की उपयुक्तता का सम्बन्ध है सरकार निश्चय ही इसके बारे में विचार करेगी।

दुर्भाग्यवश उन्होंने अवकाशप्राप्त व्यक्तियों और विशेष रूप से रेलों से अवकाशप्राप्त व्यक्तियों का उल्लेख किया है। किन्तु इन पदाधिकारियों की सेवायें देने के लिये मैं रेलवे प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इनके कार्य को चलाने आदि के लिये कुछ पदाधिकारियों को हमें दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने इसे बहुत शानदार बनाया है। मैं उनके प्रयत्नों की मान्यता का उल्लेख यहां सार्वजनिक रूप से करता हूं और कहता हूं कि रेलवे से हमें विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी मिले हैं उन्होंने हमारे लिये बहुत कार्य किया है क्योंकि रेलवे ही सार्वजनिक क्षेत्र में एक ऐसा सब से बड़ा संगठन है जिसे प्रशासन तथा निर्माण कार्य में बड़ा व्यापक अनुभव है। इसलिये हमें न केवल इस्पात परियोजनाओं में ही अपितु अन्य दूसरे प्रकार के क्षेत्रों में भी इन रेलवे पदाधिकारियों का बिना किसी संकोच के उपयोग करना चाहिये। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि जहां तक कि इन रेलवे पदाधिकारियों की बात है और उनका काम है वे बहुत अच्छे सिद्ध हुये हैं।

मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि इन इस्पात संयंत्रों का पहला प्रक्रम पूरा हो गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। और ये इस्पात संयंत्रों की प्रगति बहुत कुछ अनुसूची के अनुसार ही हो रही है। इसलिये इस मामले में सब से बढ़िया बात व्यवहार रूप से कुछ करके दिखाना है। और वह हमने किया है।

†**श्री क० च० रेड्डी**: मांग संख्या ९६ "अन्य असैनिक निर्माण" तथा मांग संख्या ९७ "मुद्रण तथा लेखन सामग्री" के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उन्हीं के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

मांग संख्या ९७ "मुद्रण तथा लेखन सामग्री" के बारे में श्री भरूचा ने कहा है सरकार को कागज क्रय करने के लिये अधिक मूल्य देना पड़ेगा। शायद उनका विचार यह है कि इस प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

अनुपूरक मांग का सारा रुपया कागज़ की उस बढ़ी हुई आवश्यकता के क्रय की मद के लिये है जो अब हमें क्रय करना पड़ेगा । किन्तु यह बात नहीं है । किन्तु यह तो और ही एक दो महत्वपूर्ण कारणों की वजह से हुआ है ।

पहली बात तो यह है कि जब १९५८–५९ के आय व्ययक के लिये धन नियत किया गया तो हमने इसका अनुमान उन दिनों में प्रचलित मूल्य के आधार पर ही लगाया और यह शायद अक्तूबर १९५७ के दिनों में प्रचलित मूल्य के आधार पर था । उन दिनों कागज का मूल्य आज उपलब्ध होने वाले कागज के मूल्य की अपेक्षा बहुत कम था । इसके अलावा १९५७–५८ के अन्तिम दिनों में उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर के लगने के फलस्वरूप मूल्यों में और भी वृद्धि हो गई । इस-लिये १९५८–५९ के आय व्ययक में इस मद का आवकलन १९५७ के अक्तूबर मास में प्रचलित मूल्य के आधार पर लगाया गया । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि उस समय कागज का मूल्य १,४०० रुपये प्रति टन था जब कि हमें गत वर्ष १,५७७ रुपये प्रति टन के हिसाब से देना पड़ा इस प्रकार प्रति टन पर लगभग १५० रुपये का अन्तर पड़ गया । यही कारण है कि इस मद में अधिक व्यय हुआ और इसीलिये हमें इस अनुपूरक मांग को लेकर उपस्थित होना पड़ा ।

जहां तक कि आर्थिक बचत का सम्बन्ध है १९५८-५९ में १९५७-५८ की अपेक्षा लगभग ३ हजार से ४ हजार टन कागज का अधिक व्यय हुआ है । इसका कारण यह था कि १९५७–५८ में जब कि हमें मिलों से ३७ हजार टन कागज मिलता था हमें केवल २३ से २४ हजार टन ही कागज़ मिला । १९५८–५९ में कागज़ का संभरण कुछ अच्छा रहा और यह बढ़ कर २७ हजार टन तक हो गया । अतः जहां तक कि आर्थिक बचत का प्रश्न है कागज़ के वास्तविक संभरण ३५ हजार टन के स्थान पर १९५७–५८ में २३ से २४ हजार टन और १९५८–५९ में केवल २७ हजार टन ही कागज़ मिला । इसलिये देश में कागज़ के उत्पादन में कमी होने के फलस्वरूप हमारा संभरण सीमित रहा और सरकारी विभागों में कागज के उपभोग में मजबूरी के आधार पर ही बचत हुई । यदि हमें अधिक कागज़ मिला होता तो संभव था कि कागज़ का उपभोग अधिक हुआ होता ।

दूसरी बात यह भी है कि संभरण की कमी होते हुये भी तथा अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुये अभी हाल ही में सरकार ने यह निश्चय किया है कि सरकारी विभागों में उपभोग किये जाने वाले कागज़ में १५ प्रतिशत की कमी की जाये । इस कटौती का निर्णय करने के तुरन्त बाद ही सरकारी विभागों द्वारा निरन्तर यह मांग की गई कि यह कटौती ठीक नहीं है और इससे बहुत सी कठिनाइयां आ गई हैं इसलिये इस कटौती को रद्द कर दिया जाय और उनको उतना ही कागज़ उपभोग के लिये दिया जाये जितना कि उनको पहले दिया जाता था ।

श्री भरूचा द्वारा सरकारी प्रकाशनों के बारे में भी कुछ कहा गया है । उनका कहना है कि आप कागज़ पर इतना धन व्यय कर रहे हैं और ९० लाख रुपये की अनुपूरक मांग भी प्रस्तुत कर रहे हैं किन्तु फिर भी सरकारी प्रकाशनों की दुकानों पर सरकारी प्रकाशन उपलब्ध नहीं हैं । मेरे विचार से तो उनका यह विचार केवल विचार ही है ।

जहां तक कि सरकारी प्रकाशनों की बात है मेरा मंत्रालय तो अन्य मंत्रालयों के अभिकरण के रूप में ही काम करता है । हम तो उतनी ही प्रतियां छापते हैं जितनी प्रतियों की सम्बन्धित मंत्रालय छापने के लिये कहता है । उदाहरण के लिये उन्होंने कहा है कि "औद्योगिक विवाद अधिनियम" की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं । इसका उत्तर तो यही है कि सम्बन्धित मंत्रालय ने जितनी प्रतियां छपवाई थीं वे संभवतः सभी समाप्त हो गई हैं ।

†**श्री नौशीर भरुचा** : मैं तो जब कभी भी प्रकाशनों की दुकान पर गया चाहे वह बम्बई हो अथवा दिल्ली ; मुझे तो यही उत्तर मिला कि यह प्रकाशन उपलब्ध नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि ८० प्रतिशत मुझे यही उत्तर मिला।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा और यह यदि सही है कि ८० प्रतिशत उन्हें यही उत्तर मिला तो मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि मैं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से इस बारे में बातचीत करूंगा और इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि इन महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियां जनता को उपलब्ध हो सकें।

कागज़ के मूल्य के सम्बन्ध में भी कहा गया है। इसका कारण तो यही था कि १९५७-५८ के अन्त में उत्पाद-शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर के लग जाने के कारण ही इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। इसके अलावा मज़दूरी तथा अन्य निर्माता व्यय बढ़ जाना भी इसके मूल्य की वृद्धि का कारण रहा है। काफी बातचीत और विचार विमर्श के पश्चात् यह निश्चित हुआ कि मूल्यों का बढ़ जाना ठीक था। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि खुदरा मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अभिप्राय इस बात से है कि प्रशुल्क आयोग के निर्णय के आधार पर खुदरा व्यापारियों ने पहले से ही कागज़ का मूल्य बाज़ार में बढ़ा दिया है। इस तथ्य के बारे में मैंने विचार नहीं किया है। मेरा विचार है कि माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसका कारण जानने का प्रयत्न करेंगे।

मेरा विचार है कि श्री तंगामणि ने आय व्ययक में प्रस्तुत आक्कलन और वास्तविक आक्कलन के अन्तर के बारे में जिसके लिये हमने अनुपूरक मांग संख्या ९६ प्रस्तुत की है, उल्लेख किया है। माननीय सदस्य ने उस ज्ञापन को अवश्य ही देखा होगा जो सभा में बांटा गया है। मैं इसमें केवल इतना ही जोड़ देना चाहता हूं कि २८९,९३,००० रुपये की सम्पूर्ण अनुपूरक मांग अवर्गित लेखा शीर्षक के अधीन है। कहने का भाव यह है कि यह अस्थायी शीर्षक है। इस शीर्षक के अधीन के लेखा धीरे धीरे उन खातों में ही डाल दिये जायेंगे जिन मदों में कि उनका व्यय किया गया है। इस २८९ लाख रुपये की अनुपूरक मांग में से २,८२,७०,००० लाख रुपये तो व्यय में से कम हो जायेंगे। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल दे रहा हूं कि यह धन व्यय ही नहीं हुआ है जिसके लिये कि हमने यह अनुपूरक मांग की है बल्कि यह धन कुछ ऐसे सामान का क्रय करने के लिये हुआ है जिसका भांडार किया जायेगा और जो समय आने पर उन क्षेत्रों को दिया जायेगा जिनको यह आसानी से प्राप्त नहीं होते। इस २८९ लाख रुपये का विभाजन इस प्रकार है। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग पर १,१८,२३,००० रुपये व्यय होगा। शेष राशि कुछ ऐसे भांडारों पर क्रय करने में व्यय की जायेगी जो बाद को हिमाचल प्रदेश प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, पूर्वी सीमान्त अभिकरण, तथा अन्य इसी प्रकार के प्रशासनों के लिये काम आयेंगे। हमें इनके लिये उपबन्ध करना है। यही कारण है कि अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई है। मेरा विचार है कि यदि हम यह समझ लें कि यह राशि खर्च के मद की नहीं है बल्कि अवर्गित लेखा की है तो इस पर चर्चा अथवा आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह अवर्गित लेखा के अधीन है। यह हो सकता है कि माननीय सदस्य यह कहें कि जब आय व्ययक बना था तो इस के लिये स्पष्ट रूप से व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी ? सीधी सी बात कि अवर्गित लेखा के अधीन, अविश्वस्त बातों के आधार पर जैसे कि सामान का संभरण,

†मूल अंग्रेजी में

माल का मिलना, देश के विभिन्न भागों में निर्माण कार्य की स्थिति में अन्तर, आदि के बारे में ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन्हीं परिस्थितियों में यह अनुपूरक मांग रखनी पड़ी। मैं समझता हूं कि इन बातों के अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने अन्य कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिनका कि उत्तर दिया जाये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : यद्यपि मांग संख्या ५८ पर कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु उड़ीसा के दो माननीय सदस्यों ने दो शिकायतें की हैं। एक यह कि भूतपूर्व राजाओं के उत्तराधिकारियों को कुछ भत्ता दिया जा रहा है और दूसरी शिकायत यह है कि इसी प्रकार के एक मामले में इस भत्ते की राशि बढ़ा दी गई है। जैसा सभा को पता है निजी थैलियां संविधान के अंतर्गत और नियमों के अनुसार भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। यह भत्ता इसलिए दिया जाता है क्योंकि रियासतों के विलय के समय ऐसा करने का करार हुआ था। और इन्हें राज्य सरकारों के राजस्व में से दिया जाता है। इस मामले में, दो राजा मर गये और प्रश्न उठा कि अनुच्छेद ३६६(२२) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उनके उत्तराधिकारियों को मान्यता देनी चाहिए अथवा नहीं। सरकार सब हालात पर विचार कर के इस परिणाम पर पहुंची कि किसी को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना कोई आवश्यक नहीं। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के नंदगांव राज्य के शासक की निजी थैली की बहुत बड़ी राशि समाप्त हो गयी और यह राशि ३,५३,६५० रुपये की थी। सरकार ने उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी परन्तु राजा की विधवा के लिए व्यवस्था करना जरूरी था। अतः उन्हें ४००० रुपये प्रति मास भत्ते के रूप में देना स्वीकार किया गया और वह उन्हें दिया जा रहा है। साधारणतः इस प्रकार के भत्ते राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं। इस मामले में सरकार को काफी राशि प्राप्त हुई थी ; अतः राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय राजस्व से ही ४००० रुपये प्रतिमास अर्थात ४८००० रुपये वार्षिक देना स्वीकार कर लिया गया। ऐसा करने पर भी सरकार को ३ लाख रुपये की बचत हुई है। इस में कोई विधि का प्रश्न नहीं है। सहानुभूति पूर्वक विचार कर के ऐसा किया गया है।

दूसरे, उड़ीसा में बौध के मामले में भी उत्तराधिकारी को मान्यता न देने का राष्ट्रपति द्वारा निश्चय किया गया। राजा के मरने के बाद केवल १००० रुपये भत्तों के रूप में देने की अन्तरिम व्यवस्था की गयी थी, परन्तु बाद में सहानुभूतिपूर्ण विचार के अन्तर्गत यह राशि २००० रुपये कर दी गयी और इस के लिए यह मांग की जा रही है। बौध राज्य के राजा की निजी थैली ६९००० रुपये प्रति वर्ष थी। परन्तु हम राजा की विधवा को २००० रुपये प्रति मास अर्थात् २४००० रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं, और इस में भी भारत सरकार को लाभ ही हुआ है।

तीसरा मामला अथमलिक के बारे में है। वहां के राजा तीन रानियां छोड़ कर मरे हैं। प्रश्न यह है कि दावेदारों में से किस को उत्तराधिकारी समझा जाये। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति जब तक इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं करते, तीनों रानियों को मिलाकर १४५० रुपये प्रति मास दिया जायेगा। यह अन्तरिम व्यवस्था है और इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। जब इसका अंतिम निर्णय होगा तो इस पर भी विचार किया जायेगा।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मांग संख्या ११९ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस में खाद्यान्न खरीदने के लिए ६७.५९ करोड़ रुपये की मांग की गयी है। अनुमानित आंकड़ों और पुनरीक्षित आंकड़ों के इस भारी अन्तर पर हम स्वयं भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

प्रसन्न नहीं हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य सारी स्थिति को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सरकार की जान बूझ कर ऐसा करने की इच्छा कदापि नहीं थी। सामान्यत: आय व्ययक सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व दिसम्बर में अनुमानित आंकड़े तैयार कर लिये जाते हैं। खाद्यान्न खरीद के अनुमान दिसम्बर, १९५७ में लगाये गये थे। उस समय हमारे पास दस लाख टन के करीब का स्टाक था परन्तु १९५८ में जो हानि हुई उसका हमें कुछ पता नहीं था। परन्तु अब पता चल रहा है कि १९५६-५७ के मुकाबले में इस वर्ष के उत्पादन में ७० लाख टन की हानि हुई थी। यह भी सभा को पता है कि गेहूं की मांग बहुत अधिक रही है, गेहूं की ही नहीं अन्य खाद्यान्नों की भी, वर्षा न होने और उत्पादन में कमी के कारण, मांग बहुत ज्यादा रही है। १९५७ में जब अनुमान लगाये गये तो हमने बाहर से गेहूं मंगाने के पक्के प्रबन्ध नहीं किये थे। अमरीका से अतिरिक्त सम्भरण की व्यवस्था पी० एल० ४८० के अन्तर्गत जून, १९५८ और सितम्बर १९५८ के दो करारों द्वारा की गयी। और इन दो करारों के द्वारा ही हम काफी मात्रा में अमेरिका से खाद्यान्नों का आयात कर सके।

हमारी वर्तमान आवश्यकता का अनुमान ३३·२६ लाख टन है, जब कि मूल अनुमान २० लाख टन था। जिन मदों के अन्तर्गत राशि स्वीकृत करने के लिये सभा के समक्ष मांगों को प्रस्तुत किया जा रहा है, वह यह हैं। अनाज का आयात काफी मात्रा में आयात करना पड़ा, यानी १३·२६ लाख टन गेहूं और मंगाना पड़ा। इसके अतिरिक्त १·२१ लाख टन मोटा अनाज आयात किया गया जिस पर ३·०९ करोड़ खर्च आया। जहां तक देश के अंदर वसूली करने का सवाल है हमारा ख्याल था कि हम १·५ लाख टन प्राप्त करेंगे, परन्तु सरकार की नीति बदल गयी और हमारा इरादा अधिक से अधिक अनाज वसूल करने का हो गया, यहां तक कि हमने कोई ५·२७ लाख टन चावल वसूल किया। जो कुछ आय व्ययक में वसूली के लिए व्यवस्था थी उसके अतिरिक्त इस पर २१·२२ करोड़ और खर्च हो गया। साथ ही राज्य सरकारों को अग्रिम धन देने का खर्चा भी हुआ; यह राशि ८·२७ करोड़ रुपये थी। बर्मा से चावल की खरीद का खर्चा कम हो गया है। वह लगभग ७·०७ करोड़ रुपये था। इस प्रकार कुल मिला कर ६८·५९ करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है और उसी के लिए ही अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जा रही है।

वसूली की कीमतों के औचित्य के बारे में भी श्री सूपकार और श्री पाणिग्रही ने उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ चर्चा की। बहुत हद तक हम ने वसूली की कीमतें वही रखी हैं जो कि १९५७-५८ में थीं। १९५७-५८ में उत्पादन काफी कम हुआ था और काफी मात्रा में अन्न आयात करना पड़ा था। इस पर भी हमने इस वर्ष भी उसी वर्ष की कीमतें रखी हैं जब हमें आशा है कि फसल काफी अच्छी होगी इसीलिए वृद्धि की अब कोई गुंजाइश नहीं, अगर हो सकती है तो कमी ही हो सकती है। हमने कीमतों का स्तर १९५७-५८ का ही रखा है। जो कुछ हमने परिवर्तन किये हैं वे उत्पादक के हित के लिए किये हैं।

खाद्यान्न जांच समिति ने १९५७-५८ के लिये वसूली की कीमत १५ से १७ रुपये मन के बीच रखने की सिफ़ारिश की और जो कीमतें निर्धारित की गई थीं वे इसी के आधार पर की गई थीं। वही कीमतें इस वर्ष के लिए भी रखी गई हैं, परन्तु कुछ राज्यों के लिए कुछ परिवर्तन किये गये हैं। ऐसा केवल बढ़िया किस्म के चावल के लिये किया गया है और वह भी उत्पादकों के हित के लिए ही किया गया है। उड़ीसा में मोटे अनाज का भाव १५ रुपये और धान का ८·८० रुपये रखा गया है। बढ़िया चावल का १५ रुपये ८१ नये पैसे, धान का ९ रुपये ३० नये पैसे और बहुत बढ़िया

चावल का १७ रुपये है । यह कीमतें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के परामर्श के परिणाम-स्वरूप निर्धारित की गयी हैं ।

एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल सरकारों के बीच जो निर्णय हुआ था, उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया । २७-१-१९५७ को सारी स्थिति का पुनः पुनरीक्षण किया गया और उसमें यह तय हुआ कि वसूली केवल केन्द्रीय सरकार की ओर से करना ठीक है और केन्द्र के आदेशानुसार ही उड़ीसा द्वारा पश्चिमी बंगाल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाये । एक माननीय सदस्य ने पूछा जब केरल को आंध्र से वसूल करने दिया जाता है तो पश्चिमी बंगाल के उड़ीसा से लेने पर आपत्ति क्यों हो रही है । दक्षिण की स्थिति और उड़ीसा की स्थिति में काफी अन्तर है । उड़ीसा और बंगाल एक क्षेत्र (ज़ोन) में नहीं हैं, जबकि आंध्र, मैसूर, केरल और मद्रास एक ही क्षेत्र में हैं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि उड़ीसा से आंध्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को भी चावल जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उड़ीसा को तो अलग रखा गया है । राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से वसूली की जाती है । उड़ीसा सरकार की भी इच्छा थी कि उत्पादक को राज्य के अन्दरूनी हिस्सों तक में ठीक कीमत उपलब्ध हो । इस विचार से यह निश्चय किया गया कि कोरापट जिले में जयपुर की आउट एजेन्सी को रेल-हैड माना जाये ताकि जयपुर से सबसे निकट के रेलवे स्टेशन, सलूर तक का भाड़ा केन्द्रीय सरकार वहन कर ले ।

यह भी निश्चय किया गया कि अन्य जिलों के बारे में केन्द्रीय सरकार २·५ लाख रुपये तक की सहायता देगी ताकि राज्य के अन्दरूनी क्षेत्रों की कीमतों को सहारा मिल सके और परिवहन पर आने वाले खर्चे के ५० प्रतिशत से अधिक सहायता नहीं दी जायेगी । इससे एक लाभ यह भी हुआ कि रेलवे आउट एजेन्सी को रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है और यहां माल दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की ओर से वसूली के खर्चे को पूरा करने के लिए यह निश्चय हुआ कि राज्य सरकार को ३ आने प्रति मन चावल पर और दो आना प्रति मन धान पर प्रशासनिक शुल्क दिया जायेगा । केन्द्र के सम्बन्ध में सभी प्रकार के आवश्यक संरक्षणों की व्यवस्था कर दी गयी है । राज्य सरकार उत्पादकों के हितों की रक्षा चाहती है और हमें आशा है कि वहां उत्पादकों को उचित कीमत अदा की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त कुछ और बातें कही गईं । त्रिपुरा के माननीय सदस्य ने किसी ठेके की बात की । एक प्रश्न चौराबाड़ी में १६,००० टन चावल के खुले में पड़े रहने के बारे में उठाया गया; यह ठीक है कि सदस्यों ने इस बारे में तार भेजे । हमने समुचित जांच की तो पता चला कि बहुत अधिक हानि नहीं हुई । केवल ५०० मन चावल खराब हुआ था । सामान्यतः इस काल में इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती । परन्तु वहां दो तीन दिन तक लगातार वर्षा होती रही । आस पास कोई गोदाम भी नहीं थे । अब केन्द्रीय सरकार एक गोदाम बनाने का विचार कर रही है । परिवहन का कार्य ठेकेदार को दिया गया था और जब वह इसे ठीक प्रकार से न कर सका तो उसका ठेका समाप्त कर दिया गया और उसके लिए अलग से प्रबन्ध किया गया । मेरे विचार में यह बहुत गम्भीर स्थिति नहीं है जैसा कि बताया गया है ।

† मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० थामस]

एक माननीय सदस्य ने पश्चिमी बंगाल को अनाज के दिये जाने और मंडी में अनाज की कमी का प्रश्न प्रस्तुत किया । यह ठीक है राज्य के व्यापार-क्षेत्र में आ जाने से कुछ हलचल जरूर है । और इस परिवर्तन के काल में हमें अवश्य कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा । परन्तु जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है फ़सल का समय अभी ही समाप्त हुआ है । परन्तु हम पश्चिमी बंगाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए काफ़ी अनाज दे रहे हैं । फरवरी में पश्चिमी बंगाल सरकार ने ३०,००० टन चावल मांगा था और हम ने ३०,००० टन चावल के अतिरिक्त २०,००० मन धान भी दे दिया है । जनवरी में भी १२,००० टन चावल दिया गया । यद्यपि हम किसी प्रकार के भी सम्भरण के लिए वचन-बद्ध नहीं परन्तु फिर भी हम उनकी उचित मांग को पूरा करेंगे । ५०,००० टन गेहूं तो हम प्रति मास पश्चिमी बंगाल को बराबर दे रहे हैं । इससे कलकत्ता और जिलों की आवश्यकता बखूबी पूरी की जा सकती है ।

उत्पादन का प्रश्न भी प्रस्तुत किया गया; यह पूछा गया कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया जा रहा है । हम आवश्यक पग उठा रहे हैं । रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में सभा को पता ही है; अब हम खरीफ आन्दोलन चलाने जा रहे हैं । उत्पादन भी बढ़ रहा है । यह कहना गलत होगा कि हमारे प्रयत्नों के बावजूद उत्पादन कम होता रहा है । १९५७-५८ में, जो कि प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण एक असामान्य वर्ष था उत्पादन को काफी क्षति पहुंची थी, अन्यथा १९५६-५७ में काफ़ी बढ़िया फ़सल हुई थी । इस वर्ष, हमें आशा है, जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी खाद्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा है कि, हम ७०० लाख टन पर पहुंच जायेंगे । १९५८-५९ में हम इतने सफल हो जायेंगे । इससे पता चलता है कि उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यद्यपि यह उस स्तर पर नहीं पहुंच रहा जितना कि हम चाहते हैं ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में नियुक्त समिति का उल्लेख किया गया है । एक माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या श्री वैद्यनाथ अय्यर के स्थान पर, जिनका कि कुछ दिन हुए दुर्भाग्य से देहान्त हो गया, कोई अन्य सदस्य नियुक्त किया जा रहा है । समिति का जांच का कार्य तो लगभग पूरा हो चुका है अब तो प्रतिवेदन के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, अतः हमारा उनके स्थान पर कोई और सदस्य नियुक्त करने का इरादा नहीं है । नई दिल्ली में साक्ष्य लेने के अतिरिक्त समिति ने सारे भारत का दौरा कर लिया है और बम्बई, मद्रास और कलकत्ते आदि में भी साक्ष्य ले चुकी है । आयकर विभाग ने हमें काफी संख्या में आयकर अधिकारियों की सेवायें प्रदान की थी, और उन्होंने समिति को प्रस्तुत किये गये लेखों और विवरणों का अच्छी प्रकार परीक्षण किया । इसके बाद प्रस्थापनाओं का निर्माण करके उन्हें परिचालित कर दिया गया । लगभग १९० अभ्यावेदन विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से प्राप्त हुए हैं । इनमें मालिक और कर्मचारी दोनों हैं । आशा है कि समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन तीन सप्ताहों में प्रस्तुत कर देगी, मार्च के अन्त तक तो निश्चित रूप से कर देगी । 'बम्बई क्रॉनिकल' और 'अमृत बाज़ार पत्रिका' के सम्बन्ध में जैसा मैं कह चुका हूं, यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । इसके बावजूद जब भी कभी समय आया, और कर्मचारियों को सहायता देने की कोई ज़रूरत आई तो हम वैसा खुशी से करेंगे ।

समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में सब ठीक ही रहा है और सभी ओर से प्रसन्नता से ही इसका स्वागत किया है । समिति द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया को भी सभी ने पसन्द किया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : श्री नौशीर भरूचा ने "भारत १९५८" प्रदर्शनी के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। यह सच है कि प्रदर्शनी वित्तीय दृष्टि से भी प्रायः स्वावलम्बी रही है। जैसा कि व्याख्यात्मक स्मरणपत्र में बताया गया है ६४ लाख रुपये के व्यय में से ४८ लाख रुपये प्रवेश शुल्क और स्टालों आदि के किराए से प्राप्त हो गए हैं। इसलिये केवल १६ लाख रुपए का घाटा रहता है। परन्तु १४ लाख रुपए की हमारी स्थायी आस्तियां हैं। अस्तु इस कार्य पर सरकार को केवल २ से ३ लाख रुपए तक की हानि होगी। परन्तु अनुपूरक मांग की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है कि सरकार को सामान्य बजट प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त व्यय को स्वीकृति हेतु सदन में रखना होता है। मैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यह ३५ लाख रुपये की मांग इसलिए रखनी पड़ी कि समस्त देश भर में प्रदर्शनियों के लिए मूल उपबन्ध ५३ लाख रुपये का किया गया था परन्तु उसमें लगभग २५ लाख रुपये की कमी कर दी गई थी। इस प्रकार वास्तव में हमें केवल २८ लाख रुपये ही दिये गये थे। इसीलिए हमें ३५ लाख रुपये की यह मांग पुनः उपस्थित करनी पड़ी।

जहां तक सरकारी उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, नांगल फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे मन्त्रालय द्वारा चालू वर्ष के लिए स्वीकृत नांगल बोर्ड का मूल प्राक्कलन लगभग ५ करोड़ रुपये का था। परन्तु गत वर्ष बजट बनाते समय पूंजी की कमी के कारण हमने केवल ४,०४,००,००० रुपए की व्यवस्था की थी। अस्तु योजना को समय में समाप्त करने की दृष्टि से नांगल बोर्ड ने डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की है। परन्तु वित्त मन्त्रालय ने बताया कि ७५ लाख रुपये से अधिक की मांग नहीं की जा सकती है। इसलिए इतनी ही राशि की मांग सदन के समक्ष रखी गई है। ऐसी बात नहीं है कि व्यय बढ़ जाने के कारण प्राक्कलन अधिक हो गया है, वरन् अनुमानित लागत की सीमा के अन्दर ही यह उपबन्ध किया जा रहा है।

श्री तंगामणि ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि फाउण्ड्री मूल परियोजना का एक आवश्यक अंग थी यद्यपि उसके लिए उपबन्ध नहीं किया गया था। उसमें १¹/₄ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा की गई प्रगति के परिणामस्वरूप ही अब हमने इस फाउण्ड्री की स्थापना करने का निर्णय किया है जिसकी पहले कल्पना भर की गई थी। फाउण्ड्री के चालू हो जाने से उत्पादन की लागत कम हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त उसमें ढलाई भी अधिक अच्छी होगी जो अभी हमें छोटे-छोटे कारखानों से करानी पड़ती है। इसीलिए हमने फाउण्ड्री के विस्तार के लिए यह प्रस्ताव उपस्थित किया है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : अभी तक इस परियोजना में कितना व्यय किया जा चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तक हम कूपर एलेन, किरलोस्कर्स, जेसप्स तथा कई अन्य गैर-सरकारी ढलाई संस्थाओं से खरीदते रहे हैं। यह सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। यह १० लाख रुपए चालू उपबन्ध के हैं। कुल आवश्यकता लगभग ८५ लाख रुपए की होगी जिसमें से कुछ अंश स्वयं कम्पनी के कोष से ही दिया जाएगा। अभी तक फाउण्ड्री स्थापित न होने के कारण हम सारी खरीद बाहर से कर रहे हैं परन्तु अब हम इसे छोड़ना चाहते हैं।

श्री तंगामणि ने यह प्रश्न भी रखा कि हम इस फाउण्ड्री में समस्त वस्तुओं का निर्माण करायेंगे अथवा इस बात का विचार करेंगे कि देश में अन्य कारखाने भी वैसा उत्पादन कर रहे हैं जैसा कि सदन को भली प्रकार ज्ञात है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स विशेष प्रकार के (हाई प्रिसीशन) मशीनी औजारों का कारखाना है इसलिए ऐसी परियोजना में बहुत छोटे किस्म के मशीनी औजार बनाने से

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मनुभाई शाह]

कोई लाभ नहीं होगा चाहे वे लेथ मशीनें हों अथवा ड्रिलिंग मशीनें अथवा अन्य प्रकार के मशीनी औजार हों ।

जहां तक रायल्टी के भुगतान का प्रश्न है, पुनरीक्षित करार के अन्तर्गत भी हमें प्रथम पांच वर्षों में केवल ओरलिकन्स की लेथ मशीनों पर ४ प्रतिशत देना होगा । मूल करार के अनुसार दूसरे पांच वर्षों में यह भुगतान ३$^{1}/_{2}$ प्रतिशत है, तीसरी पंचवर्षीय अवधि में ३ प्रतिशत है और चौथी पंचवर्षीय अवधि में २ प्रतिशत है । इस प्रकार यह उत्पादन के सम्बन्ध में २० वर्षीय करार है । परन्तु अब पुनरीक्षित करार के अन्तर्गत हम मशीनी (हाई प्रिसीशन) औजारों के लिए संसार के विभिन्न उत्पादकों से समझौता करने के लिए स्वतन्त्र हैं । यह रायल्टी केवल ओरलिकन्स की लेथ मशीनों पर ही जारी रहेगी ।

जहां तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कार्य-संचालन का सम्बन्ध है मैं यह बता देना चाहता हूं वहां न केवल लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है वरन् हमें इस बात का गर्व है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र की इस परियोजना ने देश के सरकारी उद्योग क्षेत्र के इतिहास में एक गौरवमय अध्याय जोड़ दिया है । हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स, हिन्दुस्तान केबिल्स, नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी, सिन्दरी जैसी अन्य परियोजनाओं में भी ऐसा ही अच्छा कार्य हुआ है । इसलिए मैं अपनी ओर से तथा सदन और सरकार की ओर से सरकारी उद्योग क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के प्रबन्धकों, कर्मचारियों तथा संचालक बोर्डों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है ।

तीसरी नेपा परियोजना के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने कहा कि यह इतने दिनों से चल रही है फिर भी अनुपूरक अनुदान क्यों मांगा जा रहा है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है । हमने इस परियोजना को अपने हाथों में पिछले वर्ष ही लिया है । मूलतः इस परियोजना का सूत्रपात गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में हुआ था । बाद में जब मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर हमने उस परियोजना की जांच की तो हमने देखा कि यदि केन्द्र उसे अपने हाथ में न लेगा तो तेजी से उन्नति न हो सकेगी । इसलिये हमने उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया । अब हमारा प्रस्ताव यह है कि हमने जो पूंजी ऋण दिया है उसका कुछ भाग अंश पूंजी में बदल दिया जाये ताकि ५१ प्रतिशत से अधिक अंश केन्द्रीय सरकार के हो जायें जिससे समस्त नियन्त्रण-प्रबन्ध, कार्यक्रम, क्रियान्यवन, वित्त-व्यवस्था, विक्रय आदि भारत सरकार के हाथ में आ जाये । वर्तमान अनुपूरक मांग इस कारण उपस्थित की गई है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : जब कारखाने का सारा कागज हाथों हाथ बिक जाता है तो फिर ३३ लाख रुपये का नुकसान कैसे हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका इतिहास बहुत लम्बा है जो मैं कई बार यहां बता चुका हूं । यह हानि केवल चालू वर्ष की नहीं है बल्कि पुरानी चली आ रही है । मैं तो अपनी ओर से इतना ही कह सकता हूं कि जबसे हमने उसे अपने हाथ में लिया है उसका कार्य सुधर रहा है । १९५४ में ९,०००—१०,००० टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन नहीं था जबकि चालू वर्ष में २५,००० टन हुआ और मैं यह कह सकता हूं कि हम विद्युत् शक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए जो १ करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं यदि वह स्वीकार कर ली जाये तो उत्पादन १०० टन प्रतिदिन अथवा ३०,०००—३३,००० टन प्रतिवर्ष हो जायेगा । इसके अतिरिक्त कागज की किस्म भी सुधरेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो अंश लेगी वे सम मूल्य पर लिए जायेंगे अथवा वर्तमान अवमूल्य पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में हम अंश खरीद ही नहीं रहे हैं जैसा कि ब्यौरे में बताया गया है। केवल ऋण को अंश पूंजी में बदल रहे हैं। लगभग सवा लाख के अंश बेकार पड़े हैं जिन्हें जब्त किया गया था। उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। इन अंशों का मूल्य वर्तमान अंशों के बराबर ही है अर्थात् सम मूल्य है। जो नुकसान चल रहा है उसको भी पृथक् हिस्सों में विभाजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार कुछ हानि का अपलेखन करने को सहमत हो गई है। उसने यह निर्णय भी किया है कि जो ७५ लाख रुपए ब्याज जमा हो गया है उसे बिना ब्याज का ऋण मान लिया जायेगा तथा उसका भुगतान दस वर्षों में किया जा सकेगा। भारत सरकार ने यह भी देखा कि ऋण बहुत अधिक है जिनका बहुत ब्याज देना पड़ता है जो कि इस आकार की सरकारी क्षेत्र की परियोजना के लिए किसी भी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह विचार किया गया है कि हम अंश पूंजी बढ़ायें ताकि अंश पूंजी और वर्तमान ऋण का अनुपात उतना अधिक न रहे जितना इस समय है।

फिर, हमारे मंत्रालय के किसी व्यापार-संचालन द्वारा लिखे गये पत्र का उल्लेख किया गया। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिये थी। वैसे जिन महाशय के सम्बन्ध में यह बात कही गई है वह बहुत योग्य पदाधिकारी हैं और पश्चिमी जर्मनी जाने के पूर्व निर्यात संवर्धन के संचालक थे। वह एक सम्मानित अधिकारी थे और अभी भी निर्यात संवर्धन के मामले में बड़े योग्य अधिकारी हैं। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं यह एक बहुत छोटी सी बात है और हमारा उद्देश्य कम योग्य अधिकारी भेजना नहीं था। वह केवल जर्मनी के ही नहीं समस्त योरुप के लिए निर्यात संवर्धन के प्रभारी होंगे। इसीलिये वह पश्चिमी जर्मनी के पद के अतिरिक्त योरोपीय व्यापार के संचालक कहलाते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या उन्हें भारत सरकार की ओर से समझौतों की वार्ता करने की शक्ति प्राप्त है अथवा वह बॉन स्थित दूतावास के अधीन रह कर कार्य करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उन्हें सरकार के समस्त अभिकरणों के अन्तर्गत कार्य करना है। भारत सरकार के किसी भी अधिकारी को कोई समझौता करने का पूर्णाधिकार प्राप्त नहीं है। वह प्रस्ताव रख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और सरकारी तथा गैर-सरकारी समस्त अभिकरणों के सहयोग से भारतीय वस्तुओं के विक्रय का प्रयत्न कर सकते हैं परन्तु उन पर यहां से, दूतावास से और योरूप के महायुक्त (कमिश्नर जनरल) श्री स्वामीनाथन् के माध्यम से, जिनका प्रधान कार्यालय लन्दन में है, अधीक्षण तथा नियन्त्रण रखा जायेगा।

हमने व्यापार चिन्हों के लिए विशेष कार्यपदाधिकारी, भारी इंजीनियरिंग निगम के लिए आयोजन अधिकारी और निर्यात संवर्द्धन पर एक विशेष पदाधिकारी जैसे कुछ पदों के लिए मांग करते समय प्रशासन व्यय में यथासम्भव मितव्ययता लाने का प्रयत्न किया है। वास्तविकता तो यह है कि हमने मुख्य औद्योगिक परामर्शदाता का पद आस्थगित रखा है। सरकारी उद्योग क्षेत्र के नये कार्यों के कारण, विशेषकर उत्पादन मंत्रालय के अधिकांश कार्यों के इस मन्त्रालय को हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् वर्तमान कर्मचारियों के लिए, बिना कुछ अधिकारियों और एक संयुक्त सचिव के बढ़ाये, काम चलाना सम्भव नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

जहां तक मीट्रिक पद्धति का सम्बन्ध है, जिस का श्री भरूचा ने उल्लेख किया, वह अभी शुरू ही हुई है। हमारी नीति राज्य सरकारों को ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ऋण देने की है। ३४ लाख रुपये के उपबन्ध में से आधा राज्य सरकारों को ऋण के रूप में दिया जायेगा और आधा अनुदान के रूप में। समस्त बांटों को मीट्रिक पद्धति में बदलने के कार्यक्रम का यह प्रारम्भिक पहलू है।

हमारा विचार इस परिवर्तन को दस वर्षों में पूर्ण करने का है और इसे सर्वोत्तम ढंग से किया जायगा। इस का कार्य प्रारम्भ हो गया है और आशा है कि व्यापारियों, उद्योगों तथा अनेक सरकारी विभागों के सहयोग से यह कार्य व्यापार में बाधा पहुंचाये बिना यथाशीघ्र समाप्त हो जायेगा।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: मैं वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। श्री भरूचा ने कहा कि २५ नये पैसे के सिक्के क्यों नहीं ढाले जा रहे हैं। अभी हम, एक, दो, पांच और दस नये पैसों के सिक्के बना रहे हैं और इन के बाद २५ और ५० नये पैसों के सिक्कों का बनाना शुरू करेंगे। अभी उन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुराने चार आने के सिक्कों से काम चल रहा है।

उन्होंने यह भी पूछा कि राज्यों को दिये जाने वाले ऋण भारत की संचित निधि से क्यों लिये जा रहे हैं? अनुच्छेद २९३(२) में कहा गया है कि राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋण पारित होने चाहियें, संसद् द्वारा पारित नहीं। यह भी कहा गया है कि ये ऋण भारत की संचित निधि में से लिये जाने चाहियें।

जहां तक पेंशनों और अतिव्यस्कता प्रभारों के बढ़ जाने के कारण प्रस्तुत १३ लाख रुपये की राशि का संबंध है, यह सही है कि हम उस का पूर्वानुमान ठीक नहीं कर सके। इस के अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान पेन्शनों में—विशेषकर कम पेंशन पाने वालों के सम्बन्ध में—थोड़ी सी वृद्धि भी हुई। यही कारण है कि वह राशि अनुमान से कुछ बढ़ गई।

जहां तक श्री पाणिग्रही के प्रश्न का संबंध है, वह उस को बहुत समय से उठाते आ रहे हैं। वह चाहते हैं कि राज्य सरकारों को सिंचाई और विद्युत् के संबंध में दिये जाने वाले समस्त ऋण ब्याज-मुक्त होने चाहियें। मैं नहीं समझता कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि भारत सरकार स्वयं १४० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में दे रही है। हम जो ऋण बाजार से लेते हैं उस का ब्याज हमें देना पड़ता है, इसलिये हम राज्य सरकारों को बिना ब्याज के ऋण नहीं दे सकते। परन्तु फिर भी इस प्रश्न पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है और संभव है ऋणों को संचित कर दिया जाये और अन्ततः उन्हें कुछ लाभ हो सके। परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं संबंधी ऋण सर्वथा ब्याज-मुक्त होंगे। जब भारत सरकार स्वयं ब्याज देती है तो वह दूसरों को बिना ब्याज के ऋण देने की उदारता कैसे कर सकती है। राज्यों की सहायता करने से पूर्व हम अपनी स्थिति दृढ़ करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सूपकार के कटौती प्रस्ताव संख्या १ तथा २ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मदतान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	२,८५,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	५२,६८,०००
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय	२,३१,०००
१८	वैज्ञानिक गवेषणा .	४०,००,०००
३२	स्टाम्प	२१,८०,०००
३५	टकसाल . .	६६,००,०००
३७	वार्धक्य-भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	१३,००,०००
४०	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	३,०४,०००
५८	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	१,११,०००
६७	प्रसारण . .	३३,००,०००
६९	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	१,६४,०००
७०	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें .	१०,००,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय . .	२,००,०००
७९	विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों पर व्यय	४,२७,००,०००
८४	परिवहन तथा संचार मंत्रालय .	३,००,०००
८८	संचार (राष्ट्रीय राजपथों समेत) .	२४,००,०००
९५	संभरण . .	५,०३,०००
९६	अन्य असैनिक निर्माण कार्य . .	२,८९,९०,०००
९७	लेखन सामग्री तथा मुद्रण .	९६,००,०००
१०६	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,१३,९७,०००
११२	चल मुद्रा और टंकण पर पूंजी व्यय	१,६३,४७,०००
११७	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन .	४५,००,००,०००
११९	अनाज की खरीद . .	६७,५९,००,०००
१३०	सड़कों पर पूंजी व्यय	९७,९२,०००
१३४	दिल्ली पूंजी व्यय .	५०,००,०००

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

इस विधेयक का उद्देश्य १७ जनवरी, १९५९ को जारी किये गये भारतीय आय-कर (संशोधन) अध्यादेश (१९५९ का पहला) को बदलना है । मैं उस विवरण में, जो मैंने सदन के समक्ष रख दिया है, इस बात पर प्रकाश डाल चुका हूं कि सरकार द्वारा अध्यादेश के प्रख्यापन की क्या आवश्यकता हुई थी । संक्षेप में बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के १९-११-५८ को दिये गये एक निर्णय के अनुसार छिपाई गई आयों के संबंध में जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत २६-१-१९५० को या उसके पश्चात् पूर्ण किये गये समझौते शून्य तथा अप्रवर्तनीय हो गये थे । परिणामतः इन समझौतों से संबंधित कर की बकाया राशियों की वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । यही नहीं वरन् जो राशियां निर्धार्यों से वसूल की जा चुकी थीं उन के लौटाये जाने के दावे किये जाने का भी खतरा था । कुछ दावे किये भी जा चुके थे । इन दोनों प्रकार के मामलों की संख्या ५०० से अधिक थी तथा उसमें १७ करोड़ रुपये की राशि फंसी हुई थी । इस स्थिति को नियमित करने का एकमात्र रास्ता भारतीय आय-कर अधिनियम के सामान्य उपबन्धों, अर्थात् छिपाई गई आयों के निर्धारण से संबंधित धारा ३४, के अन्तर्गत मामलों को फिर से चलाना और निर्धारण पूर्ण करना था ।

इस अवस्था में एक और कठिनाई आ पड़ी । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, १९५६ तक इस धारा के अन्तर्गत मामलों को फिर से चलाने की एक समयावधि थी । परन्तु १९५६ में पर्याप्त करापवंचन के मामलों में पुनर्निर्धारण करने के लिये यह समयावधि खत्म करने की दृष्टि से इस धारा में संशोधन किया गया । उस समय की परिस्थितियां ऐसी ही थीं जैसी कि अब हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने १९५५ के अन्त में एक निर्णय दिया था जिसमें जांच आयोग द्वारा २६–१–१९५० के पश्चात् 'जांच' के आधार पर निपटाये गये मामले अमान्य घोषित कर दिये गये थे । ये वह मामले थे जिनमें निर्धार्य अपनी छिपाई हुई आय के आयोग द्वारा निश्चय किये जाने से सहमत नहीं हुए थे और परिणामस्वरूप छिपाई हुई आय का नियमित निर्धारण प्रक्रिया द्वारा निर्धारण करना पड़ा था । जिस समय यह निर्णय दिया गया उस समय तक करारोपण जांच आयोग का प्रतिवेदन भी प्रकाशित हो गया था और आयोग ने सिफारिश की थी कि जानबूझ कर छिपाई गई आय के मामलों में फिर कार्यवाही शुरू करने के सम्बन्ध में कोई समयावधि नहीं होनी चाहिये । इन दोनों बातों के कारण १९५६ में धारा ३४ का संशोधन करना पड़ा जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि एक लाख रुपये या उससे अधिक के छिपाई हुई आय के मामलों में ८ वर्ष की समयावधि लागू नहीं होगी और आय-कर विभाग निर्धार्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा । यह समझा गया था कि संशोधित प्रावधान से आय-कर विभाग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित समस्त मामलों में पुनर्निर्धारण कर सकेगा परन्तु हाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भूतलक्षी प्रभाव देने वाले स्पष्ट उपबन्ध के अभाव में १९५६ में किया गया संशोधन विभाग को उन मामलों में फिर से कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है जो १-४-१९५६ को आठ वर्ष से अधिक पुराने हो गये थे । इस निर्णय के कारण सरकार को यह सलाह दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय के विगत नवम्बर के निर्णय से प्रभावित समझौते के मामलों में धारा ३४ के अन्तर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि १९५६ में धारा ३४ में जो संशोधन किया गया था उसका उद्देश्य वास्तव में ऐसे समस्त मामलों में कार्यवाही करना था । विधेयक का खण्ड २ जिसमें धारा ३४ में एक नई उप धारा (४) जोड़ने का उल्लेख है इस स्थिति को स्पष्ट कर देता

†मूल अंग्रेजी में

है। इसके अतिरिक्त विधेयक का खण्ड ४ उन कार्यवाहियों को भी मान्यता प्रदान करता है जो वर्तमान धारा ३४ के अन्तर्गत समझौते के मामलों में प्रारम्भ की गई हों।

इस विधेयक का दूसरा मुख्य उपबन्ध खण्ड ३ है जो आय-कर अधिनियम में एक नई धारा ४६ ई० ई० जोड़ता है। इस धारा का उद्देश्य सरकार को उन राशियों तथा प्रतिभूतियों को जमा रखने का अधिकार देना है जो समझौते के मामलों से उत्पन्न मांगों की आंशिक अथवा पूर्ण पूर्ति में सरकार को प्राप्त हो चुकी हों। स्थिति यह है कि समझौते के मामलों की कर राशियों का ५० प्रतिशत वसूल किया जा चुका है और शेष राशि के कुछ भाग के लिये निर्धार्यों द्वारा सरकार के पास प्रतिभूतियां जमा की जा चुकी हैं। ये राशियां तथा प्रतिभूतियां आय-कर विभाग से छिपाई गई आय से संबंधित हैं। धारा ३४ के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली नई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप जो राशि देय निकलेगी वह प्रायः उतनी ही छिपाई हुई आय के संबंध में होगी जिन के आधार पर वह समझौते किये गये थे जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा शून्य और अप्रवर्तनीय कर दिये गये हैं और इसलिये इन राशियों के नई मागों की पूर्ति के लिये और प्रतिभूतियों के सरकार को बकाया मांग की वसूली करने में सहायता देने के लिये जमा रखने के लिये उपबन्ध करना आवश्यक है। नई धारा ४६ ई० ई० का यही उद्देश्य है। सरकार को धारा ३४ के अन्तर्गत जारी किये जा चुके नोटिसों के मामले में निर्धारणों की समाप्ति तक और अन्य मामलों में दो वर्ष के लिये राशियां और प्रतिभूतियों को जमा रखने को शक्ति दी गई है। इस दो वर्षों के उपबन्ध से सरकार को समस्त प्रभावित मामलों में धारा ३४ के अन्तर्गत नोटिसों के जारी किये जाने के संबंध में विभागीय जांच पूर्ण कर सकेगी। परन्तु इसके साथ ही निर्धार्यों को भी यह लाभ होगा कि इन दो वर्षों में जो वाद तथा कानूनी कार्यवाहियां उनके विरुद्ध की जा सकती थीं वे अब इस प्रस्तावित विधेयक के उपबन्ध के कारण इस अवधि में न की जा सकेंगी अर्थात् उन्हें दो वर्ष की छट मिल जायेगी। नई धारा ४६ ई० ई० में० इन मामलों का उपबन्ध भी किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : आय-कर अधिनियम में इतने अधिक परिवर्तन हो चुके हैं कि इस विषय से सम्बन्धित विधि बड़ी ऊट-पटांग सी बन गई है और सारी व्यवस्था बड़ी बोझिल हो गई है। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत तो करता हूं, लेकिन बड़ी निराशा के साथ।

उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों ने आय सम्बन्धी कराधान (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ को बिल्कुल ही प्रभावहीन बना दिया है।

जिस समय वह अधिनियम बना था, उस समय संविधान प्रवर्तित नहीं हुआ था। १९५० में संविधान के प्रारम्भ के बाद, कराधान सम्बन्धी उस अधिनियम की मान्यता के बारे में शंकायें उठाई जाने लगी थीं। शायद सूरजमल के मुकदमे के सिलसिले में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा ५(४) को शून्य घोषित कर दिया था। तभी वित्त मंत्रालय ने उसे मूल्यांकन की क्षमता प्रदान करने के लिये ही, १९५४ में आय-कर अधिनियमन का संशोधिन किया था।

लेकिन वित्त मंत्रालय ने शायद प्रक्रिया को ठीक से समझा नहीं। उस संशोधन का उल्टा असर यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम की धारा ५ (१) को संविधान की शक्ति से परे घोषित कर दिया।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मूल्यांकन सम्बन्धी धारा ८(२) को ही संविधान के अनुच्छेद १४ की शक्ति से परे घोषित कर दिया ।

इतना ही नहीं अब एक मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय कर दिया है कि उस अधिनियम की धारा ८(क) के अन्तर्गत मूल्यांकन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और किसी व्यक्ति के बीच किये गये समझौते भी संविधान के अनुच्छेद १४ की शक्ति से परे हैं ।

इस प्रकार हम अपने को अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही पाते हैं । तथा कथित कर-अपवंचक इस आय कर सम्बन्धी अधिनियम को चुनौतियां देते रहे हैं, और उच्चतम न्यायालय इसकी धाराओं को संविधान की शक्ति से परे घोषित करती रही है । उच्चतम न्यायालय इस की धाराओं को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध मानती है । इसका नतीजा यह हुआ कि कर अपवंचकों ने ७०० करोड़ रुपये की अपवंचना कर ली है । मैं तो समझता हूं कि इस अधिनियम में ही बार बार थिगड़े लगाते जाने से कहीं अच्छा यह होगा कि पूरे अधिनियम को एक नये सिरे से ही तैयार किया जाये और उसमें इन सभी त्रुटियों का ध्यान रखा जाये ।

जांच आयोग ने भी अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । आयोग ने भी शायद यही कहा है कि समूची विधि को नये सिरे से रचा जाना चाहिये । उसमें हम संविधान की भावना और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पूरा पूरा ध्यान रख कर त्रुटिहीन व्यवस्थायें कर सकते हैं । इस कार्य के लिये हम कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं । तभी इस कर-अपवंचना को रोका जा सकेगा ।

जहां तक मेरी जानकारी है, हमें अभी आय-कर की २८० करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने को पड़ी है । इन लोगों की आय का मूल्यांकन किया जा चुका है, लेकिन आय कर नहीं वसूला गया है । हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है चाहिये जिससे यह बकाया राशि वसूली जा सके । इस के बारे में एक दलील यह भी दी जा सकती है कि यदि इस बकाया राशि को किसी मौजूदा प्रक्रिया द्वारा वसूलने का प्रयास किया जाये, तो हो सकता है कि फिर मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे और संविधान के अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद ३२ के अंतर्गत उसे शक्ति परस्तात् घोषित कर दिया जाये । कभी कभी दिमाग में यह ख्याल आता है कि क्या इन अनुच्छेदों की यह असाधारण व्यवस्थायें इसीलिये हैं कि राज्य विकासात्मक कार्यों के लिये राष्ट्रीय आय में वृद्धि न कर पाये ? तब अनुच्छेद २२६ और अनुच्छेद ३२ को संशोधित क्यों नहीं किया जाता ? हमें कर की बकाया राशि की वसूली के मामलों को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहिये । या फिर यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि अगर उच्च न्यायालय वसूली रोकने का अन्तरिम आदेश देता है, तो उतनी राशि का कर दाता से जमा करानी चाहिये । ऐसी एक शर्त रखी जानी चाहिये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था अधिनियमित करनी चाहिये कि यदि सरकार को किसी व्यक्ति से कर की बकाया राशि लेनी है, और न्यायालय उसे रोकने का आदेश देना चाहता है, तो न्यायालय को पहले एटर्नी-जनरल को लिखना चाहिये । यदि एटर्नी-जनरल को उस पर उस आदेश पर कोई आपत्ति हो, तो वह आदेश फिर नहीं दिया जाना चाहिये ।

बड़े-बड़े व्यापारी वसूली से अपने को बचा लेते हैं । वसूली के समय वे अपनी सारी आस्तियां किसी दूसरे के नाम कर देते हैं । फिर जब आय-कर अधिकारी वसूली के लिये पहुंचता है, तो उसे कुछ मिलता ही नहीं । मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में शोधाक्षमता अधिनियम का सहारा लिया जाना चाहिये । इस अधिनियम के अन्तर्गत आय-कर अधिकारी उस को दिवालिया घोषित करके उसके

सभी सौदों को रद्द कर सकता है। लेकिन यह नहीं किया जाता। आय कर आयुक्त ने मेरे इस सुझाव पर ध्यान ही नहीं दिया। इस सिलसिले में कड़े अनुदेश जारी किये जाने चाहियें।

दूसरी चीज यह है कि सभी वरिष्ठ आय-कर अधिकारी, जो निवृत्त होने वाले होते हैं, यही सोचते रहते हैं कि निवृत्ति के बाद वे अपनी निजी वकालत किस तरह करेंगे। इसी लिये, वे निवृत्ति से पह ने बड़े बड़े धन पतियों और व्यवसायियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिये। यदि निवृत्त होने पर कोई आय-कर अधिकारी आय सम्बन्धी मुकदमों की पैरवी करता है, तो उसे रोका जाना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये। यह लोक हित के विरुद्ध है।

१९५६ में भी हमने इसी तरह का एक अधिनियमन पारित किया था। १९५९ में अब फिर वैसा ही संशोधन विधेयक रखा गया है। इस बात की क्या गारंटी है कि इसे भी उच्चतम न्यायालय व्यर्थ नहीं कर देगा? इसीलिये मुझे इससे निराशा ही हुई है। लेकिन विकास कार्यों के लिये हमें धन चाहिये, और इसलिये मैं इस का स्वागत करता हूं। वैसे मैं चाहता यही था कि पूरे अधिनियम को नये सिरे से एक व्यापक रूप दिया जाता। हम चाहते हैं कि वसूली की व्यवस्था को अधिक से अधिक सरल बनाया जाये।

आय-कर विभाग की हालत यह है कि आय-कर आयुक्त के इस्तेमाल के लिये बहुत सी कारें कार्यालय के बाहर खड़ी रहती हैं। मैं ने खुद देखा है। वह बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुक रखता है।

आय-कर अधिनियम की धारा ३४ इसलिये है कि जो लोग लगातार मूल्यांकन कराने से बचते रहते हैं, उन की आय का मूल्यांकन किया जा सके। लेकिन इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस धारा को ऋण सहायता अधिनियम की व्यवस्था से बचने का साधन बनाया जा रहा है। मेरे राज्य में ऋण सहायता अधिनियम पारित किया गया है, जिसकी व्यवस्था यह है कि जो भी कृषक उस अधिनियम के प्रभावी होने से तीन वर्ष पहले से आय-कर देता रहा है उसे छूट नहीं दी जायेगी। इसलिये अब तमाम ऐसे लोग भी धारा ३४ के अन्तर्गत अपनी आय का मूल्यांकन करा रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कोई व्यवसाय ही नहीं किया। इस तरह के ऋण सहायता अधिनियम से बचना चाहते हैं। वे खद आय-कर अधिकारियों को राज़ी करके अपने नाम धारा ३४ के अन्तर्गत नोटिस मंगवा लेते हैं। स्वर्गीय आगा खां को १ करोड़ रुपया बकाया आय-कर का देना था। सरकार ने उसकी वसूली के लिये क्या किया है? कुछ करोड़पति सम्पदा शुल्क से बचने के लिये मरने से पहले अपनी सारी सम्पत्ति दूसरों के नाम कर देते हैं। इन सब को न रोक पाने का कारण यह है कि आय-कर विभाग के कर्मचारियों के काम में कोई सहयोजना नहीं है। इसकी जांच की जानी चाहिये। दिन पर दिन विधि को अधिक पेचीदा और बोझिल बनाया जा रहा है। आज हालत यह है कि १९५० से १९५९ तक के काल में ७० करोड़ रुपया वसूलने का पड़ा है। इस का मात्र कारण यह है कि वसूली करने के ढंग से कोई योजना नहीं बनाई गई है। हमें संविधान के प्रारम्भ के बाद ही, अधिनियम को संशोधित करना चाहिये था।

आय-कर की अपवंचना बहुत से लोगों ने की है। शांति प्रसाद जैन का मामला सामने है। उस ने विदेशी मुद्रा की विशाल राशि संचित कर ली थी। क्या उसकी जांच की गई है? और ऐसी जांचों के लिये एक कार्य क्षम व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : साधारण जनता को तो यही लगता है कि आय-कर अपवंचकों और सरकार की इस रस्साकशी में सरकार को ही मुंह की खानी पड़ती है। विधि त्रुटिपूर्ण है। सभी विधियों में बार बार संशोधन किये जाते हैं। सरकार को इन विधेयकों के प्रारूपकारों की क्षमता बढ़ानी चाहिये ।

श्री ईश्वर अय्यर का यह सुझाव बड़ा अच्छा है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इसके लिये संविधान को संशोधित करने की जरूरत है। देश को विकास-कार्यों के लिये धन की आवश्यकता है, इसलिये बकाया आय-कर की वसूली की व्यवस्था होनी ही चाहिये ।

मुझे इस सम्बन्ध में दो बातें कहनी हैं। पहली तो यह कि हम छिपाई हुई आय के बारे में क्या कर रहे हैं। आय-कर जांच आयोग अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ही यह था कि युद्ध-काल की कर-अपवंचना को रोका जाये। लेकिन सभी जानते हैं कि हमें उसमें सफलता नहीं मिली है।

प्रोफैसर काल्डोर के सुझाव का क्या बना है? यह बड़ी गम्भीर बात है कि प्रति वर्ष ५० करोड़ रुपये के करों की अपवंचना हो रही है। यदि हम सभी श्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को लेखते रहें, तो यह अपवंचना नहीं हो सकेगी। प्रोफैसर काल्डोर के सुझाव का यही प्रयोजन था । हमने प्रोफैसर काल्डोर की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें उनकी आशा के अनुसार राजस्व नहीं मिल रहा है। इसलिये यह जरूरी है कि आय छिपाने के सभी साधनों को नाकाम कर देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि सरकार छिपाई हुई आय के बारे में जांच करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाली व्यवस्था को कब तक बनाये रखना चाहती है। यह प्रश्न १९५१ में भी उठाया गया था, और उस समय यह भी कहा गया था कि इससे विनियोजनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं यह तो मानता हूं कि कर-अपवंचकों से बकाया कर वसूल किया जाना चाहिये, लेकिन उसकी कोई सीमा भी तो होनी चाहिये। मूल-व्यवस्था यह थी कि १९४१ से अब तक की छिपाई हुई आय के बारे में जांच की जा सकती है। लेकिन अब उसे बीस वर्ष हो चुके हैं। यानी आय-कर अधिकारी बीस वर्ष पहले छिपाई हुई आय के बारे में भी फिर से जांच कर सकता है। मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये। आखिर इसकी कोई सीमा तो निर्धारित की जानी चाहिये। यदि यह नहीं किया जायेगा, तो इसका दुरुपयोग होने लगेगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आय-कर विभाग को ८-१० वर्ष के अन्दर ही छिपाई हुई आय का पता लगा लेना चाहिये ।

मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं, पर आश्चर्य की बात है कि हमें इतनी बार इसमें संशोधन करने पड़ते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का फायदा उठा कर निर्धायों ने ७० करोड़ रुपये की राशि से सरकार को वंचित करना चाहा है, और यह संशोधन उसी को रोकने के लिये है। इसी लिये अब एक नयी धारा जोड़ी जा रही है।

लेकिन मुझे शक है कि अभी इसमें कुछ और भी त्रुटियां बाकी हैं, इसमें सरकार द्वारा वापिसी न करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें केवल दो ही प्रकार के मामलों का उल्लेख है। पहली प्रकार

† मूल अंग्रेजी में

के मामले तो वे हैं जिनमें धारा ३४ के अन्तर्गत १७ जनवरी, १९५९ से पहले नोटिस जारी कर दिया गया हो, और दूसरी प्रकार के मामले वे हैं जिनमें दो साल के भीतर नोटिस दिया गया हो। ऐसे मामलों की अपील न्यायालयों में नहीं की जा सकेगी ।

लेकिन इसमें त्रुटि यह है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें मुकदमा तो चला दिया गया हो, दावा तो कर दिया गया हो, लेकिन १७ जनवरी, १९५९ से पहले नोटिस जारी न किये गये हों। ऐसे मामलों पर यह संशोधन लागू नहीं होगा ।

न्यायालयों में मुकदमों के दर्ज होने में ही कभी-कभी पांच छः महीने लग जाते हैं। और, नोटिस मुकदमा दर्ज होने के बाद ही सरकार को भेजा जायेगा। फिर ऐसे मामलों में तो सरकार को वसूली हुई राशि वापिस करनी ही पड़ेगी ।

ऐसे मामले इस नयी धारा ४९ ई० ई० की पकड़ में नहीं आते। सभा को इस पर विचार करना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद २२६ और ३२ को संशोधित करने का सुझाव दिया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि सरकार चलाने के न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान मंडल तीनों का ही समान सह-कार्य जरूरी है। इसलिये न्यायपालिका की शक्ति कम करने से समान सह-कार्य पैदा नहीं होगा। न्यायपालिका हमारी कार्यपालिका और विधान मंडल पर नियंत्रण करती है। इसलिये जहां भी कार्यपालिका या विधान मंडल की गल्ती होगी, हमें संशोधन करने ही पड़ेंगे ।

दूसरी चीज यह है कि इससे सम्बन्धित वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि निबटारे का काम बढ़ जाने के कारण इस संगठन के लिये ४.८१ लाख रुपये की और ज़रूरत है। इसका कारण यह बताया गया है कि निबटारे के नये मामले बहुत बढ़ गये हैं, इसलिये कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।

मेरा ख्याल तो यह है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अब उन नये मामलों में कोई कार्यवाही करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्ञापन में कई प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है ।

इस मितव्ययता के ज़माने में यह ठीक नहीं है ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बें० गोपाल रेड्डी)** : आयोग का कार्य-काल एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं पुनर्निर्धारण के कार्य के लिये बढ़ाये जाने वाले कर्मचारियों के बारे में कह रहा हूं, आयोग के बारे में नहीं। पुनर्निर्धारण के काम को तो अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार फिर नये सिरे से करना पड़ेगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : विधि के अनुसार, उन सभी को फिर से शुरू करना पड़ेगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि वह सारा कार्य मौजूदा कर्मचारी ही निबटा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

इस के अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने वित्त अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के द्वारा मुख्य आय-कर अधिनियम में संशोधन करने पर आपत्ति की है। मैंने देखा है कि इस सभा में ऐसे वित्त अधिनियम पुरःस्थापित किये जाते हैं जिनके ज़रिये मुख्य आय-कर अधिनियम में भी संशोधन किये जाते हैं। वे परिवर्तन भी छोटे मोटे नहीं होते। धाराओं के संशोधन के लिये अलग से संशोधन अधिनियम रखे जाने चाहिये। इस प्रकार परोक्ष रूप में मुख्य आय-कर अधिनियमन को संशोधित करना गलत है।

एक और समस्या यह है कि हमारे देश में यह दस-पन्द्रह किस्म के प्रत्यक्ष और परोक्ष कर हैं। क्या इन सबको मिला कर एक कर नहीं लगाया जा सकता? एक ही कर ऐसा हो जो इन सब को अपने में समेट ले। फिर हम बाद में राज्यों और केन्द्र में उसका बंटवारा कर सकते हैं। इसीलिये श्री बिमल घोष ने विस्तृत विवरणी का सुझाव रखा था। एक ही कर लगने पर लोग आसानी से अपवंचना भी नहीं कर सकेंगे।

एक और चीज यह है कि गांवों में कर-अपवंचना के कई तरीके अपनाये जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं यह इसीलिये कह रहा हूं कि धारा ३४ को संशोधित किया गया है। मैं कह रहा हूं कि वित्त अधिनियम के द्वारा आय-कर अधिनियम में परिवर्तन नहीं किये जाने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त अधिनियम, १९५६ द्वारा धारा ३४ को संशोधित किया गया था। उसे तीन वर्ष हो गये हैं। माननीय सदस्य तीन साल पीछे हैं।

माननीय सदस्य को वित्त अधिनियम की चर्चा के समय अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

अब समय भी नहीं रह गया है। इसलिये माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २३ फरवरी १९५९

४ फाल्गुन, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	११९७---१२२४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५१९	दिल्ली में पुनर्वास बस्तियां	११९७--९९
५२०	औषधियों का निर्माण	११९९
५४७	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड .	१२००--०३
५२१	धातु मिश्रण पदार्थ . . .	१२०३--०५
५२२	दिल्ली की प्रविधिक संस्थाओं में हड़ताल .	१२०५-०६
५२३	सीमेंट उद्योग में ठेके की प्रथा का उन्मूलन .	१२०६-०७
५२४	कपड़ा और पटसन मिलों का आधुनिकीकरण	१२०७--१०
५२५	रबड़ का उत्पादन . .	१२१०--१२
५२६	खलों का निर्यात . . .	१२१२--१४
५२८	आई० ए० सी० आफिस, कराची पर छाप।	१२१४-१५
५२९	संगठन तथा रीति विभाग	१२१६-१७
५३१	मैंगनीज़ .	१२१७-१८
५३२	कर्मचारी राज्य बीमा निगम .	१२१८-१९
५३४	निर्यात-गृह . . .	१२२०
५३५	आन्ध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा संयंत्र . .	१२२०-२१
५३७	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम . .	१२२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	कैमरून्स . . .	१२२२--२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	. .	१२२४--७२
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२७	इस्पात ढलाईघर	१२२४
५३०	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति .	१२२४-२५
५३३	सिंगापुर को भारतीय वस्त्र का निर्यात . . .	१२२५
५३६	प्रतिलिप्यधिकार करार	१२२५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५३८	चीनी दस्तों के कब्जे में भारतीय राज्य-क्षेत्र . .	१२२५
५३९	शक्ति-चालित करघे	१२२६
५४०	कोलम्बो योजना	१२२६–२७
५४१	फेनी नदी	१२२७
५४३	लौंग, लाख और रबड़ के सामान का निर्यात . .	१२२७
५४४	लंका द्वारा बीड़ी के आयात में कमी . .	१२२७–२८
५४५	क्यूबा को मान्यता देना . .	१२२८
५४६	हंगरी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध . . .	१२२८
५४८	'अमृत पत्रिका' का बन्द हो जाना . . .	१२२९
५४९	सिन्दरी में उर्वरक का लागत व्यय . . .	१२२९
५५०	कलकत्ता के गोदी श्रमिक	१२३०
५५१	भारतीय साधारण चाय का निर्यात . . .	१२३०–३१
५५२	कटिहर जूट मिल का बन्द होना . .	१२३१
५५३	रूस को भारत का निर्यात	१२३१–३२
५५४	केन्द्रीय सचिवालय के कार्यालयों के लिये नई इमारतें .	१२३२
५५५	अन्दमान और निकोबार द्वीपों में रबड़ के बागान . .	१२३२–३३
५५६	समवाय अधिनियम १९५६	१२३३
५५७	श्रम मंत्रणा समिति	१२३३
५५८	पटसन का उत्पादन	१२३३–३४
५५९	पाकिस्तान के साथ सीमा व्यापार . . .	१२३४
५६०	१९५७-५८ में दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति का प्रतिवेदन .	१२३४
५६१	सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में गैर-सरकारी निदेशक	१२३४–३५
५६२	इण्डोनैशिया में भारतीय . . .	१२३५
५६३	गुड़ का निर्यात	१२३५
५६४	ऐण्टी आक्सीडेण्ट्स . . :	१२३५–३६
५६५	राज्य व्यापार निगम .	१२३६
५६६	कार्यान्विति समिति	१२३६
५६७	योजना का प्रचार	१२३७
५६८	रांची में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना का सुझाव . .	१२३७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

६६६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१२३७
६६७	पंजाब में गृह-निर्माण	१२३७–३८
६६८	थोक डिपो	१२३८
६६९	व्यापार मेले	१२३८
६७०	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों का निर्यात	१२३८
६७१	राज्यों को सहायता	१२३८–३९
६७२	राष्ट्रपति की मलाया यात्रा	१२३९
६७३	बम्बई में दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र	१२३९
६७४	बिना बिका हथकरघे का सामान	१२३९
६७५	पंजाब में टेक्निकल प्रशिक्षण	१२३९–४०
६७६	दिल्ली में शरणार्थियों के लिये गीता कालोनी	१२४०
६७७	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजाब	१२४०
६७८	रेडियो सक्रियता	१२४०–४१
६७९	भारत और जापान के बीच व्यापार	१२४१
६८०	पंजाब में खादी का उत्पादन	१२४१–४२
६८१	रोज़गार नमूना सर्वेक्षण	१२४२
६८२	मैसूर में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं पर व्यय	१२४२–४३
६८३	मैसूर के लिये ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाएं	१२४३
६८४	काम दिलाऊ दफ्तर	१२४३—४५
६८५	कपास	१२४५
६८६	वस्त्र निर्यात संवर्द्धन योजना	१२४५—४७
६८७	ब्रिटेन को वस्त्र का निर्यात	१२४७
६८८	घड़ियों का निर्माण	१२४७
६८९	राजस्थान में हथकरघा उद्योग	१२४८
६९०	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीरोद्योग	१२४८–४९
६९१	आकाशवाणी को हुई हानि	१२४९–५०
६९३	कर्मचारियों की भरती	१२५०
६९४	कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना	१२५१
६९५	मशीनों और उपकरणों का निर्माण	१२५१
६९६	नारियल जटा उद्योग में श्रमिक	१२५१–५२
६९७	ईराक को भारतीय वस्त्रों का निर्यात	१२५२

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९८	प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना . .	१२५२–५३
६९९	मराठवाड़ा के समवाय . .	१२५३
७००	कर्म-समितियां	१२५३
७०१	पांडिचेरी . . .	१२५४
७०२	मलाया में भारतीय . .	१२५४–५५
७०३	सीमावर्ती घटना . . .	१२५५
७०४	दिल्ली में श्रमिक कल्याण केन्द्र .	१२५५–५६
७०५	ताड़ गुड़	१२५६
७०६	केले के पौधे से कागज का निर्माण . .	१२५७
७०७	अखबारी कागज .	१२५७
७०८	काम दिलाऊ दफ्तर	१२५७–५८
७०९	फिजो . . .	१२५८
७१०	भारत से पश्चिम जर्मनी को निर्यात .	१२५८
७११	जूतों का निर्यात . .	१२५९
७१२	नारियल जटा उद्योग . .	१२५९
७१३	चीनी की मिलों के श्रमिकों के लिये अवकाश-गृह .	१२५९
७१४	चमड़ा प्लास्टिक के सामान का आयात . .	१२५९–६०
७१५	अधिक अन्न उपजाओ योजना सम्बन्धी आकाशवाणी कार्यक्रम .	१२६०
७१६	नये एककों के लाइसेंस देना . .	१२६०–६१
७१७	तरल सुनहरी पालिश .	१२६१
७१८	कुटीर उद्योग . . .	१२६२—६५
७१९	पंजाब में पुनर्वास विभाग . .	१२६५–६६
७२०	'दुर्गापुर कोक ओवन प्लांट'	१२६६
७२१	भारत और रूस द्वारा मिल कर बच्चों के लिये फिल्में बनाना .	१२६६
७२२	मितव्ययता	१२६६–६७
७२३	भाग्यनगर (मैसूर) का कढ़ाई और सिलाई केन्द्र .	१२६७
७२४	केरल में कपूरथला प्लाट	१२६७–६८
७२५	निष्क्रमणार्थियों के नगद निक्षेप . .	११६८
७२६	ऊन विकास परिषद्	१२६८—६९
७२७	करोल बाग (नई दिल्ली) में 'औक्युपेशनल थिरेपी होम' .	१२६९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
७२८ बम्बई राज्य में गन्दी बस्तियां हटाने का काम	१२६९-७०
७२९ हिमाचल प्रदेश में खादी की सहकारी संस्थायें	१२७०
७३० निर्यात प्रतिबन्ध	१२७०
७३१ फिल्मों का आयात	१२७०
७३२ बोल्ट व नट	१२७१
७३३ भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	१२७१
७३४ आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	१२७२

निधन सम्बन्धी उल्लेख १२७२

अध्यक्ष ने श्री वेदलपतला गंगाराजू, जो केन्द्रीय विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया। इस के पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . १२७२—७४

अध्यक्ष ने श्री हेम बरुआ द्वारा सूचित उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, जो आसाम की सीमा पर १८ और २१ फरवरी, १९५९ को पाकिस्तान की सेना द्वारा की जाने वाली गोला-बारी के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में था।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२७४-७५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति :—

(एक) नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड की १९५७-५८ का लेखा-परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड की १९५७-५८ का लेखा-परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन।

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--क्रमश:	
(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४ की एक प्रति ।	१२७५
राष्ट्रपति का सन्देश	
अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रपति से प्राप्त निम्नलिखित संदेश लोक-सभा को बताया :--	
"९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष मैं ने जो अभिभाषण दिया था उस के लिये लोक-सभा द्वारा पारित धन्यवाद का प्रस्ताव मुझे मिला है और उस पर मुझे परम् संतोष है ।"	
राज्य-सभा से सन्देश	१२७५
सचिव ने राज्य-सभा से यह सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य-सभा ने लोक-सभा द्वारा १९ दिसम्बर, १९५८ को पारित किये गये चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १९५८ को १३ फरवरी, १९५९ की अपनी बैठक में संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और इस प्रार्थना के साथ विधेयक को वापस कर दिया है कि संशोधनों के प्रति लोक-सभा की सहमति राज्य-सभा को भेज दी जाये ।	
राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखा गया .	१२७५
सचिव ने चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १९५८ को, राज्य-सभा द्वारा संशोधनों के साथ, पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा ।	
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	१२७६
चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	१२७६
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बर्नपुर की मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड की इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी में कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम से अलग कर दिये जाने की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य . .	१२७६
वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने कैप्टेन किन्नियर की गिरफ्तारी के बारे में १० फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ पर श्री न० रा० मुनिस्वामी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक पुरःस्थापित . .	१२७७
(१) भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक, १९५९ । (२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।	
विधेयक पारित	१२७७—८४
कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, खण्डवार चर्चा समाप्त हुई । विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया ।	
वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . .	१२८४—१३११
वर्ष १९५८-५९ के लिये आय व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई और समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।	
विधेयक विचाराधीन	१३१२—१८
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जायें । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

मंगलवार, २५ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा और उस का पारित किया जाना, और संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार ।

---

354 (Ai) LSD—9